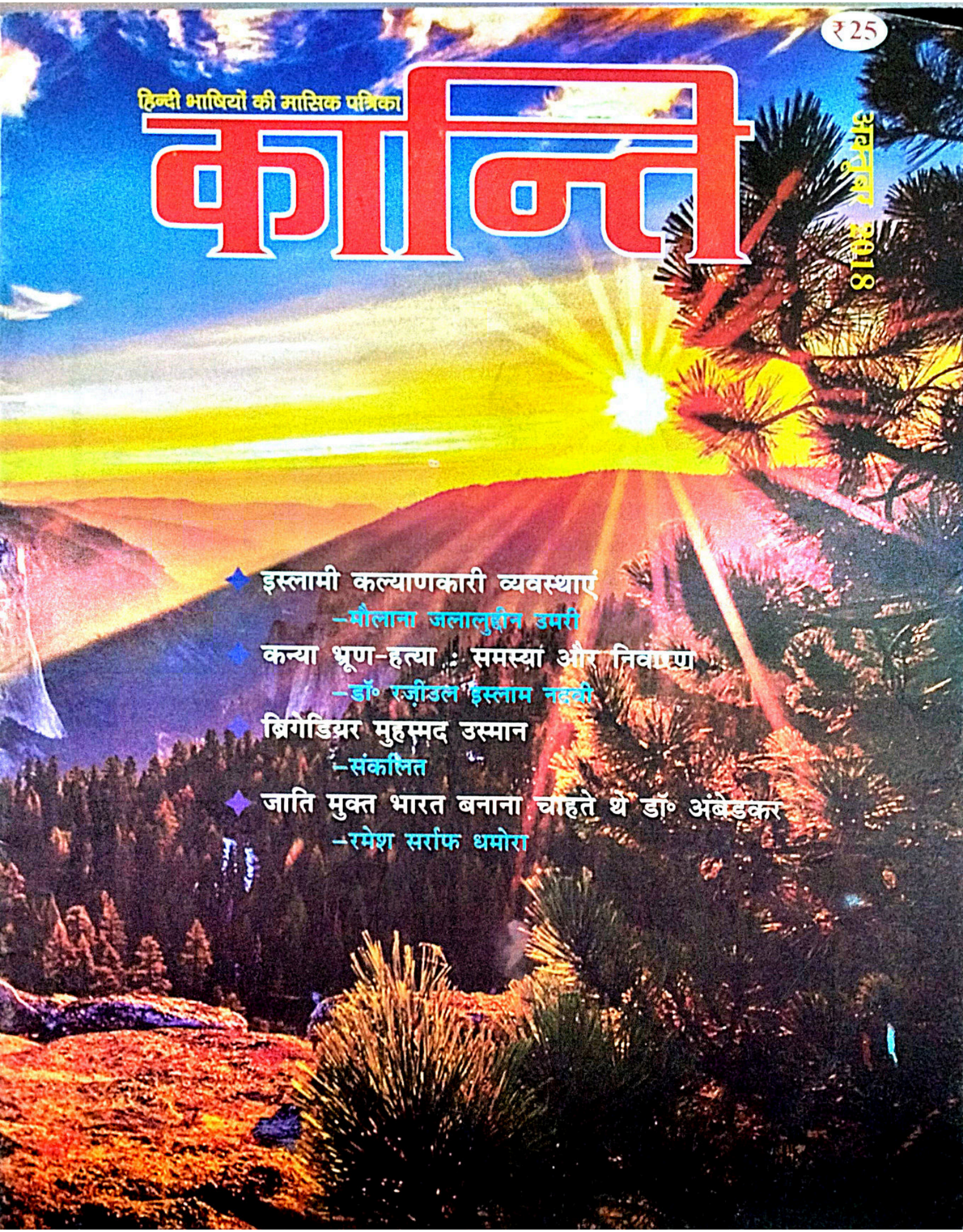
₹25
हिन्दी भाषियों की मासिक पत्रिका
क्रान्ति
अक्तूबर 2018
इस्लामी कल्याणकारी व्यवस्थाएं
–मौलाना जलालुद्दीन उमरी
कन्या भ्रूण-हत्या : समस्या और निवारण
–डॉ॰ रज़ीउल इस्लाम नदवी
ब्रिगेडियर मुहम्मद उस्मान
–संकलित
जाति मुक्त भारत बनाना चाहते थे डॉ॰ अंबेडकर
–रमेश सर्राफ धमोरा

With Best Compliment From

DR. M. A. PATANKAR

Al-Khaleej Diagnostic Centre









M-2, 2nd Floor, Above SBI Bank
South Extension Part-2, New Delhi-110049
Email : alkhaleejdc@yahoo.com
Tel. No. : 011-26262680-41646577

आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब

हिन्दी भाषियों की मासिक पत्रिका

कान्ति

वर्ष 28 अंक 4 अक्तूबर 2018

तबाही है उन नमाज़ पढ़ने वालों के लिए जो अपनी नमाज़ से ग़फ़लत बरतते हैं, जो दिखावे का काम करते हैं और साधारण ज़रूरत की चीज़ें (लोगों को) देने से कतराते हैं । –क़ुरआन

संपादक

डॉ० मुहम्मद अहमद

अपने विचार, लेख, रचनाएं भेजने एवं
संपादकीय मामलों के लिए लिखें–
संपादक, 'कान्ति' मासिक
डी–314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव
जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025
ई मेल editorkanti@yahoo.com

* * *

ख़रीदार बनने, एजेंसी लेने, प्रचार-प्रसार
एवं प्रबंधकीय मामलों के लिए लिखें–
प्रबंधक, 'कान्ति' मासिक
डी–314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव
जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025
ई मेल managerkantidelhi@gmail.com

* * *

फ़ोन संपादकीय एवं प्रबंधकीय
011-26949430, 09818799223

सहयोग राशि

एक प्रति रु० 25/- विशेषांक रु० 60/-
वार्षिक रु० 270/-, दो वर्ष 500/-
पांच वर्ष 1100/-, आजीवन रु० 6000/-
सऊदी अरब और खाड़ी के देशों से–110 रियाल
यूरोप व अमेरिका से–40 US डॉलर
वेब : **www.kanti.in**

चेक / ड्राफ्ट **'कान्ति'** के नाम से बनवाएं

हम सब भाई-भाई

कहा जाता है,
एक ब्राह्मण गंगा-स्नान करके लौट रहा था,
रास्ते में,
उसे दलित जाति का एक आदमी मिल गया,
देखते ही ब्राह्मण चीख़ उठा–
रास्ता छोड़ो, एक तरफ़ हट जाओ ।
दलित ने पूछा, क्यों ?
ब्राह्मण ने तेज होकर कहा,
क्या तू जानता नहीं जो ऐसी बात पूछता है ?
दलित बोला, 'यह देह तो सबकी मिट्टी है,
एक दिन मिट्टी में ही मिल जाने वाली है ।'
ब्राह्मण ने कहा, हट, हट, आया ज्ञान बघारने वाला ।
दलित बोला, महाराज ! एक बात बता दीजिए,
क्या गंगा जल में दिखने वाला चांद,
और हमारी पोखर के पानी में दिखने वाला चांद,
एक नहीं है ? क्या ये दो हैं ?
क्या इनमें कोई अन्तर है ?
ब्राह्मण सकपका गया, आगे बढ़ने लगा ।
इतने में एक संत फ़क़ीर ने आवाज़ दी ।
महाराज, सुनो, दलित भाई आप भी सुनो,
न पोखर, न गंगा जल
और न इन दोनों में दिखने वाला चांद, बताओ
एक मां-बाप की सन्तान आपस में क्या होते हैं ?
क्या होता है इनमें रिश्ता ?
दोनों एक साथ बोले–यह भी कोई पूछने की बात है ?
एक मां-बाप की सन्तान है, तो भाई-भाई हैं ?
संत फ़क़ीर बोला–बताओ, क्या इस संसार के सभी मनुष्य
एक बाप (आदम, मनु) और एक मां (हव्वा, इड़ा),
की सन्तान नहीं हैं ?
अगर हैं, तो ये सब आपस में भाई-भाई ही तो हुए,
इनमें कैसा भेदभाव और कैसा असर ?
न कोई छोटा, न कोई बड़ा, न कोई सवर्ण, न कोई अवर्ण,
सब हैं समान, भाई-भाई,
ज़ोर से बोलो, हम सब भाई-भाई ।

● डॉ० कौसर यज़दानी नदवी



कहां क्या है ?

हम सब भाई-भाई	–डॉ॰ कौसर यज़दानी नदवी	3
कुरआन ज्योति		5
यात्रा में साथी की सहायता (हदीस मंजरी)		6
हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) सबके हितैषी (संपादकीय)		7
मतदाताओं की भूमिका (आपके पत्र)		9
हज़रत उम्मे हकीम (रज़ि॰) (नेकी के सिपाही)	–तालिब हाशिमी	11
इस्लाम को समझें (सद्भावना)	–मौलाना जलालुद्दीन उमरी	13
इस्लाम में महिला-अधिकार	–बुशरा सादिक़ा	15
कन्या भ्रूण-हत्या : समस्या और निवारण	–डॉ॰ रज़ीउल इस्लाम नदवी	19
अपाहिज (कहानी)	–सैयद नफ़ीस अहमद संभली	23
धमाल (कविता)	–ओम प्रकाश बजाज	25
इस्लामी कल्याणकारी व्यवस्थाएं	–मौलाना जलालुद्दीन उमरी	26-27
चाहिए एंटी वायरस सॉफ्टवेयर तो...	–भारत मल्होत्रा	37
अबुल मुजाहिद 'ज़ाहिद' की दो ग़ज़लें		39
नये मानदण्ड, दयालु शीला (लघुकथाएं)		40
जाति मुक्त भारत बनाना चाहते थे डॉ॰ अंबेडकर	–रमेश सर्राफ धमोरा	41
समान सिविल कोड का परिदृश्य	–गुलाम रसूल 'देशमुख'	43
ब्रिगेडियर मुहम्मद उस्मान	–संकलित	45
नग़मा-ए अम्नो मुहब्बत	–इन्तिज़ार नईम	46
वेरीकोज़ अल्सर	–डॉ॰ विमला रानी गर्ग	47
ख़ुशी (कविता)	–देवेन्द्र कुमार मिश्रा	48
आशूरा बनी पाल और उसका पुस्तकालय (बालवीथी)		49

कुरआन ज्योति

(75) फिर उन[72] के बाद हमने मूसा और हारून को अपनी निशानियों के साथ फ़िरऔन और उसके सरदारों की ओर भेजा, मगर उन्होंने अपनी बड़ाई का घमंड किया[73], और वे अपराधी लोग थे । (76) अतः जब हमारे पास से सत्य उनके सामने आया तो उन्होंने कह दिया कि यह तो खुला जादू है ।[74]

–क़ुरआन, 10:75,76

72. इस अवसर पर उन टिप्पणियों को दृष्टि में रखा जाए जो हमने सूरा-7 आराफ़, (आयत 100 से 171 तक) में मूसा और फ़िरऔन के क़िस्से पर लिखी हैं । जिन बातों की व्याख्या वहां की जा चुकी है, उन्हें यहां न दोहराया जाएगा ।

73. अर्थात उन्होंने अपने धन और सत्ता और सुख-वैभव के नशे में चूर होकर अपने आपको बन्दगी की जगह से उच्च समझ लिया और आज्ञापालन में सिर झुकाने के बजाय अकड़ दिखायी ।

74. अर्थात हज़रत मूसा (अलैहि०) का सन्देश सुनकर वही कुछ कहा जो मक्का के काफ़िरों ने मुहम्मद (सल्ल०) का सन्देश सुनकर कहा था कि "यह व्यक्ति तो खुला जादूगर है ।" (देखिये इसी सूरा यूनुस की दूसरी आयत)

यहां पूरे क्रम को दृष्टि में रखने से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि हज़रत मूसा (अलैहि०) और हारून (अलैहि०) भी वास्तव में उसी सेवा पर नियुक्त किये गये थे जिस पर हज़रत नूह (अलैहि०) और उनके बाद के तमाम नबी, हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) तक नियुक्त किये जाते रहे हैं । इस सूरा में आरंभ ही से एक विषय चला आ रहा है और वह यह कि सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपना रब और उपास्य मानो और यह स्वीकार करो कि तुमको इस ज़िन्दगी के बाद दूसरी ज़िन्दगी में अल्लाह के सामने हाज़िर होना और अपने कर्म का हिसाब देना है । फिर जो लोग पैग़म्बर की इस दावत (पुकार) को मानने से इन्कार कर रहे हैं उन्हें समझाया जा रहा है कि न केवल तुम्हारी सफलता का बल्कि तमाम इन्सानों की सफलता का आश्रय इसी हिदायत (सन्मार्ग) के ग्रहण करने पर रहा है । यही इस सूरा का केन्द्रीय विषय है । और इस संदर्भ में जब ऐतिहासिक नज़ीरों के रूप में दूसरे नबियों का उल्लेख हुआ है तो अनिवार्य रूप से इसका अर्थ यही है कि जो सन्देश इस सूरा में प्रस्तुत किया गया है, वही उन तमाम नबियों का सन्देश था और उसी को लेकर हज़रत मूसा और हारून (अलैहि०) भी फ़िरऔन और उसके क़ौम के सरदारों के पास गये थे । अगर घटना वह होती जो कुछ लोगों ने गुमान किया है कि हज़रत मूसा व हज़रत हारून (अलैहि०) का मिशन एक विशेष क़ौम को दूसरी क़ौम की गुलामी से रिहा कराना था तो इस संदर्भ में इस घटना को ऐतिहासिक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना बिल्कुल बेजोड़ होता । इसमें सन्देह नहीं कि इन दोनों नबियों के मिशन का एक हिस्सा यह भी था कि बनी इसराईल (एक मुसलमान क़ौम) को एक काफ़िर क़ौम के क़ब्ज़े से (अगर वह अपने कुफ़्र पर जमे रहे)

(शेष पृष्ठ 10 पर)

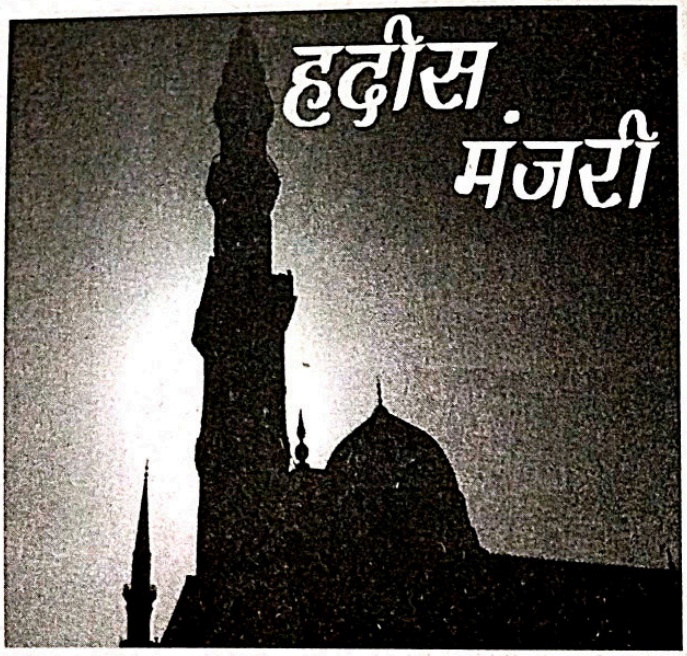

यात्रा में साथी की सहायता

● हज़रत अबू सईद अल-ख़ुदरी (रज़ि॰) से रिवायत है। वे कहते हैं कि हम यात्रा पर थे कि एक व्यक्ति अपनी सवारी पर आया और दायें-बायें निगाह दौड़ानी शुरू कर दी। अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा : "जिसके पास फ़ालतू सवारी हो वह उसे उसको दे दे जिसके पास सवारी न हो, और जिस किसी के पास फालतू पाथेय हो उसे चाहिए कि उसको दे दे जिसके पास पाथेय न हो।" और आपने विभिन्न प्रकार की चीज़ों का नाम लिया यहां तक कि हमने समझ लिया कि हममें से किसी को फ़ालतू माल रखने का हक़ नहीं है। –मुस्लिम

● हज़रत जाबिर (रज़ि॰) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) जब किसी युद्ध के लिए जाने का इरादा करते, तो कहते : "ऐ 'मुहाजिर' और 'अंसार' (अल्लाह के लिए घर-बार छोड़ने वालो और उनकी मदद करने वालो) के एकत्र लोगो, तुम्हारे भाइयों में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास न तो माल है और न उनका कोई क़बीला है। तो तुममें से हर व्यक्ति को चाहिए कि वह दो-दो या तीन-तीन को अपने साथ मिला ले और हममें से हर एक व्यक्ति बस बारी-बारी सवार हो अर्थात उनमें से हर एक।" रावी कहते हैं : मैंने अपने साथ दो या तीन व्यक्तियों को शामिल कर लिया। और मेरे ऊंट पर मेरी बारी भी बस उतनी होती थी जितनी उनकी बारी होती। –अबू दाऊद

● हज़रत जाबिर (रज़ि॰) से रिवायत है। वे कहते हैं कि जब हम ऊंचाई पर चढ़ते, तो 'अल्लाहु अकबर' (अल्लाह सबसे बड़ा है) कहते और जब ऊंचाई से उतरते तो 'सुब्हानल्लाह' (अल्लाह महान है।) कहते। –बुख़ारी

● हज़रत इब्न उमर (रज़ि॰) से रिवायत है। वे कहते हैं कि नबी (सल्ल॰) और आपकी सेना के लोग जब ऊंचाई पर चढ़ते, तो 'अल्लाहु अकबर' कहते और जब नीचे उतरते तो 'सुब्हानल्लाह' कहते। –अबू दाऊद

● हज़रत इब्न उमर (रज़ि॰) से रिवायत है कि नबी (सल्ल॰) जब हज या उमरह से लौटते, तो जब भी किसी घाटी या ऊंचे स्थान पर चढ़ते, तो तीन बार 'अल्लाहु अकबर' कहते और फिर कहते : अर्थात "अल्लाह के सिवा कोई पूज्य नहीं, वह एक है उसका कोई साझी नहीं, बादशाही उसी की है और सारी प्रशंसा उसी के लिए है और उसे हर चीज़ की सामर्थ्य प्राप्त है। हम इस हाल में वापस हो रहे हैं कि हम (अल्लाह की ओर) लौटते हैं, तौबा करते हैं, बन्दगी करते हैं, सजदा करते हैं, अपने रब की प्रशंसा करते हैं। अल्लाह ने अपना वादा सच कर दिखाया और उसने अपने बन्दे की मदद की और उसने अकेले ही तमाम गिरोहों को परास्त कर दिया।" –बुख़ारी, मुस्लिम

और मुस्लिम की एक रिवायत में है : आप युद्ध या लड़ाई की किसी मुहिम या हज या उमरह से लौटते।

● हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि॰) से रिवायत है कि एक व्यक्ति ने कहा : ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल॰), मेरा इरादा यात्रा का है। अत: आप मुझे कुछ वसीयत कीजिए। आपने कहा : "ईश-परायणता को अपने लिए अनिवार्य कर लो और इस बात को कि जब भी किसी ऊंचे स्थान पर चढ़ो, तो 'अल्लाहु अकबर' कहो।" रावी कहते हैं कि जब वह व्यक्ति लौट गया, तो आपने कहा : "ऐ अल्लाह, दूरी को इसके लिए समेट ले और यात्रा इसके लिए सहज कर दे।"

–तिरमिज़ी

('रियाज़ुस्सालिहीन' से)

इस्लाम-परिचय : हिन्दी वेबसाइटें

www.islamdharma.org
www.islamic videos.com
www.islamicwebdunia.com
www.quranhindi.com

हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) : सबके हितैषी

इस्लाम के अंतिम पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के मानव कल्याण के महान कारनामों की इतनी लंबी सूची है, जिनका उल्लेख मात्र ही किसी एक संपादकीय लेख में संभव नहीं है। ऐसे बहुतेरे लोग हैं, जो इस्लामी साहित्य का ठीक से अध्ययन करना चाहते हैं। इस्लाम के पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) का जन्म सन 570 ईसवी में अरब के पवित्र शहर मक्का में हुआ था। आपका जीवन सबके लिए था और आज भी है। आप (सल्ल०) स्त्री-पुरुष, लड़के-लड़कियों, वृद्धजनों, कमज़ोरों, अनाथों, असहायों, मुहताजों, मज़दूरों यहां तक कि सबलों एवं अमीरों के बड़े उपकारक और हितैषी थे। शांति और सद्भाव के अग्रदूत थे। आपका पूरा जीवन 'सादा जीवन, उच्चतम विचार' वाला था। जो उपदेश देते, उसे अपने जीवन में पूरी तरह बरतते भी थे। पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के विषय में गांधी जी के विचार बड़े स्वाभाविक और उल्लेखनीय हैं। वे कहते हैं–"इस्लाम अपने अति विशाल युग में भी अनुदार नहीं था, बल्कि सारा संसार उसकी प्रशंसा कर रहा था। उस समय, जबकि पश्चिमी दुनिया अंधकारमय थी, पूर्व क्षितिज का एक उज्ज्वल सितारा चमका, जिससे विकल संसार को प्रकाश और शान्ति प्राप्त हुई। इस्लाम झूठा मज़हब नहीं है। हिन्दुओं को भी इसका उसी तरह अध्ययन करना चाहिए, जिस तरह मैंने किया है। फिर वे भी मेरे ही समान इससे प्रेम करने लगेंगे। मैं पैग़म्बरे-इस्लाम की जीवनी का अध्ययन कर रहा था। जब मैंने किताब का दूसरा भाग भी ख़त्म कर लिया, तो मुझे दुख हुआ कि इस महान प्रतिभाशाली जीवन का अध्ययन करने के लिए अब मेरे पास कोई और किताब बाक़ी नहीं....अब मुझे पहले से भी ज़्यादा विश्वास हो गया है कि यह तलवार की शक्ति न थी, जिसने इस्लाम के लिए विश्व-क्षेत्र में विजय प्राप्त की, बल्कि यह इस्लाम के पैग़म्बर का अत्यंत सादा जीवन, आपकी निरुस्वार्थता, प्रतिज्ञा-पालन और निर्भयता थी। यह आपका अपने मित्रों और अनुयायियों से प्रेम करना और ईश्वर पर भरोसा रखना था। यह तलवार की शक्ति नहीं थी, बल्कि वे विशेषताएं और गुण थें, जिनसे सारी बाधाएं दूर हो गयीं और आप (सल्ल०) ने समस्त कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर ली। मुझसे किसी ने कहा था कि दक्षिण अफ़्रीक़ा में जो यूरोपियन आबाद हैं, इस्लाम के प्रचार से कांप रहे हैं, उसी इस्लाम से जिसने मोरक्को में रोशनी फैलाई और संसार वासियों को भाई-भाई बन जाने का सुखद-संवाद सुनाया। निस्संदेह दक्षिण अफ़्रीक़ा के बारे में यूरोपियन इस्लाम से नहीं डरते हैं, बल्कि वास्तव में वे इस बात से डरते हैं कि अगर अफ़्रीक़ा के आदिवासियों ने इस्लाम क़बूल कर लिया तो वे श्वेत जातियों से बराबरी का अधिकार मांगने लगेंगे। आप उनको डरने दीजिए। अगर भाई-भाई बनना पाप है, तो यह पाप होने दीजिए। अगर वे इस बात से परेशान हैं कि उनका नस्ली बड़प्पन, क़ायम न रह सकेगा तो उनका डरना उचित है, क्योंकि मैंने देखा है अगर एक जूलों ईसाई हो जाता है तो वह फिर भी सफ़ेद रंग के ईसाइयों के बराबर नहीं हो सकता, किन्तु जैसे ही वह इस्लाम ग्रहण करता है, बिल्कुल उसी समय वह उसी प्याले में पानी पीता है और उसी प्लेट में

खाना खाता है, जिसमें कोई और मुसलमान पानी पीता और खाना खाता है, तो वास्तविक बात यह है जिससे यूरोपियन कांप रहे हैं।'' ('जगत महर्षि', पृष्ठ 2)

हम यहां हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) की कुछ ऐसी शिक्षाओं का उल्लेख करेंगे, जो आज बहुत प्रासंगिक हैं। पिछले कुछ वर्षों से इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ने का अनुचित प्रयास किया जाता है, जबकि यह पूरी तरह से इसका विरोधी है। जीवहत्या, बलात्कार, अश्लीलता की ओर उन्मुखता, स्त्री-असुरक्षा और ऐसे ही कितने विकारों से व्यावहारिक रूप में समाज को पवित्र किया आप (सल्ल०) ने। पवित्र क़ुरआन की उद्घोषणा है कि किसी निर्दोष की हत्या पूरी मानवता की हत्या के सदृश है (5:32)। एक हदीस में है–हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि०) से उल्लिखित है कि आपने कहा–''बड़े गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह ईश्वर का सहभागी ठहराना है और (अकारण) जीवहत्या, माता-पिता की अवज्ञा एवं झूठ बोलना है''। एक हदीस में है–क़यामत के दिन बंदे का जिस चीज़ का हिसाब लिया जाएगा वह नमाज़ है और पहली चीज़ जिसका निर्णय लोगों के मध्य किया जाएगा, वे ख़ून के दावे हैं''। हज़रत इब्ने उमर (रज़ि०) से उल्लिखित है कि हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने कहा कि ''ईमान वाला अपने धर्म की विस्तीर्णता में उस समय तक रहता है, जब तक वह कोई अवैध रक्तपात नहीं करता''। पवित्र क़ुरआन में है–''ऐ नबी, उनसे कहो कि आओ मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हारे रब ने तुम पर क्या-क्या पाबंदियां लगाई हैं–यह कि उसके साथ किसी को साझीदार न बनाओ, और माता-पिता के साथ अच्छा व्यवहार करो एवं अपनी संतान को निर्धनता के भय से क़त्ल न करो। हम तुमको भी रोज़ी देते हैं और उनको भी देंगे, और अश्लील बातों के निकट भी न जाओ चाहे वे खुली हुई हों या छिपी हुई'' (6:151)। एक बार एक व्यक्ति आप (सल्ल०) की सेवा में उपस्थित हुआ और उसने पूछा, सबसे बड़ा गुनाह कौन-सा है ? हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने जवाब दिया, ''यह कि तू किसी को ईश्वर के समकक्ष और प्रतिद्वंद्वी ठहराए, जबकि उसने तुझे पैदा किया'' उसने फिर पूछा, इसके बाद कौन-सा बड़ा गुनाह है ? आप (सल्ल०) ने उत्तर दिया, ''यह कि तू अपने बच्चे की हत्या कर दे, इस विचार से कि वह तेरे खाने में साझीदार होगा''। उसने कहा, इसके बाद कौन-सा गुनाह है ? नबी (सल्ल०) ने जवाब दिया, ''यह कि तू अपने पड़ोसी की पत्नी से व्यभिचार करे''। आपकी शिक्षाओं के द्वारा अल्पसमय में ही अरब का कायाकल्प हो गया। हिंसक अरबों में सभ्य संस्कार विकसित हुए। उनमें दूसरों के प्राण-सम्मान एवं शांतिप्रियता का ऐसा गुण पैदा हो गया कि पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) की भविष्यवाणी के अनुसार ऐसा ही हुआ कि महिलाएं काद्सिया से सनआ तक अकेली सफ़र करती थी और कोई उनकी जान-माल, इज़्ज़त-आबरू पर हमला नहीं करता था। जबकि यही वह देश था, जहां पचीस वर्ष पूर्व बड़े-बड़े क़ाफ़िले भी निश्चिंत होकर नहीं गुज़र सकते थे! निश्चय ही आज के मुसलमानों की स्थिति कई दृष्टियों से विचारणीय है। एक तो वे सही इस्लामी शिक्षाओं से अनभिज्ञ हैं, उन पर अमल का भी प्रश्न है। इसकी एक बड़ी वजह इस्लामी साहित्य के अधिकांश भाग का अरबी भाषा में होना है। इसलिए यह प्रयास किया जाता रहा है कि हिंदी और अन्य भाषाओं के साहित्य में वे चीज़ें समाहित हो, जिनसे देश में शांति-सद्भाव का वातावरण न सिर्फ़ बने, बल्कि परवान चढ़े।

मतदाताओं की भूमिका

हमारे देश में ग्रामप्रधानी और स्थानीय निकाय की सभासदी तथा चेयरमैनी के चुनाव से लेकर एम॰एल॰ए॰ और एम॰पी॰ के चुनाव तक ज़्यादा महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका मतदाताओं की होती है । मगर हमारे यहां सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यजनक स्थिति यह है कि समाज में जो मतदाता पूरी चुनाव प्रक्रिया की संगे बुनियाद और धुरी है तथा जिसके क़ीमती वोट के भरोसे प्रांतीय और केन्द्रीय स्तर पर सरकारों का गठन किया जाता है और देश-प्रदेश की तरक़्क़ी व भलाई से मुताल्लिक़ तमाम अहम फ़ैसले किये जाते हैं, वह आज बेहद कमज़ोर तथा असंगठित है, वह आज विभिन्न छोटे-छोटे जातीय तथा सांप्रदायिक आधारों पर विभक्त है ।

हमारे देश में, हमारे लोकतंत्र में आज यदि किसी की सर्वाधिक दयनीय स्थिति है तो वह है मतदाता यानी लोक जिस पर हमारी समूची लोकतांत्रिक व्यवस्था का दारोमदार है और जिसके लिए जनतांत्रिक अवधारणा का तमाम इतना ताना-बाना बुना जाता है । आज़ादी के साढ़े पांच दशक से ज़्यादा बीत जाने के बावजूद आज भी स्वदेश में मतदान का आधार उम्मीदवारों का किरदार नहीं, जाति, संप्रदाय, फ़िरक़ा और क्षेत्रवाद माना जाता है तथा इन्हीं के आधार पर मतदाताओं का बड़ा भाग किसी के पक्ष-विपक्ष में फ़ैसला करता है ।

आश्चर्य है कि देश में तमाम छोटी-बड़ी पार्टियों का संगठन है, अधिवक्ताओं, अध्यापकों, व्यापारियों, राजकर्मचारियों, राजपत्रित अधिकारियों तथा अमीनों, सरकारी ड्राइवरों व ट्यूबवेल ऑपरेटरों आदि का अपना संगठन है मगर मतदाताओं का अपना न कोई ऐसा मंच और न अपना किसी प्रकार का संगठन है जो उन्हें राजनीति के अपराधीकरण, अपराध के राजनीतिकरण, राजनीतिक भ्रष्टाचार, वोट के लिए पार्टियों द्वारा विभिन्न स्तरों पर की जाने वाली मक्कारियों, चालबाज़ियों और ग्लैमर के ख़ूबसूरत मगर ख़तरनाक जाल से ख़बरदार, सतर्क और होशियार कर सके । अशिक्षा और अजागरूकता के कारण मतदान के मौक़े पर हम बुद्धि विवेक के बजाय भावनाओं के सैलाब के वशीभूत होकर वोटिंग करते हैं । कोई धनबली, बाहुबली व गनबली उम्मीदवार गांव के पुरखों में जाकर चुनाव के दौरान शराब का हज़ार पांच-सौ पाउच फ्री में बंटवा आया, ग़रीब महिलाओं में दो-चार सौ साड़ियां घर-घर तक़सीम कर दिया । हम ख़ुश होकर उसकी इस नामनिहाद दरियादिली से मुतास्सिर होकर उसे वोट देने का चटपट फ़ैसला कर लेते हैं तथा यह नहीं सोचते कि संबंधित प्रत्याशी मछली का शिकार करने के लिए इस रूप में चारा फेंक रहा है, मतदाताओं को लालच देकर वोट ख़रीद रहा है । आज वह जितना व्यय कर रहा है, कल जीत जाने पर उसका कई गुना ग़लत तरीक़े से वसूल लेगा । क्या इस प्रकार की बातें लोकतांत्रिक नज़रिये से मुनासिब व जायज़ हैं ?

मतदाताओं की इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर राजनीतिक पार्टियां अब तक ख़ूब उठाती आ रही हैं जिसके फलस्वरूप गंभीर आपराधिक मामलों में शामिल माफ़िया, ख़ूनी-क़तली तथा लाखों-करोड़ों रुपये डकारने वाले भ्रष्टाचारी चुनाव जीत जाने में आसानी से कामयाब हो जाते हैं तथा ऐसे ही भ्रष्ट व ग़लत क़िस्म के लोक राजनीति में उच्च पदासीन होकर मंत्री बनकर लोकतांत्रिक मूल्यों की धज्जियां उड़ाने से बाज़ नहीं आते । दूसरी तरफ़ अच्छे चरित्रवान क़िस्म के लोग दरकिनार कर दिये जाते हैं जिससे समाज व शासन उनकी अच्छाइयों से लाभांवित नहीं हो पाता ।

देश की आज़ादी के बाद विगत 58 सालों से चली आ रही लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन करते हुए पोलिंग बूथ पर जाकर ख़ाली चुपचाप किसी उम्मीदवार की हिमायत या ख़िलाफ़त में वोट डाल आना ही काफ़ी नहीं है । मतदान के वक़्त जो सबसे अहम बात होती है, वह है सतर्कता और जागरूकता । यह कैसी विडंबना है कि हम अपने परिवार को अक़्लमंदी से सही-ग़लत सोच-समझकर चलाते हैं मगर जिन लोगों को नगर पंचायत, ज़िला पंचायत, विधानसभा अथवा लोकसभा में बैठकर नगर, जनपद, प्रदेश या देश की सुरक्षा व विकास के संबंध में अहम निर्णय करना है, उनको

चुनने में गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया जाता तथा उनके चुनाव में हम स्वस्थ लोकतांत्रिक मूल्यपरक परंपराओं को आधार न बनाकर जाति-संप्रदाय व ग्लैमर की बैसाखियों का सहारा लेने लगते हैं । जिस प्रकार के ग़लत भ्रष्ट क़िस्म के जनप्रतिनिधियों का चुनाव हमारे द्वारा किया जाता है, उसी का परिणाम आज हमें संसद व विधानसभाओं में आये दिन जूतम-पैजार, उठापटक, अनर्गल आरोप-प्रत्यारोप, मूल्यहीन राजनीति, भ्रष्टाचार, वादाफ़रमोशी आदि की शक्ल में दिखलायी पड़ रहा है । लोकतंत्र को मज़बूत करने के लिए हमें सार्वजनिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में माफ़ियाओं, अपराधियों तथा भ्रष्टाचारियों की घुसपैठ रोकनी होगी तथा यह तभी मुमकिन है जब हम मतदान के मामले में संजीदा समझदार हों तथा जाति, संप्रदाय व ग्लैमर के तंग घेरों से ऊपर उठकर आगे-पीछे भलीभांति सोच-समझकर ही विवेक के साथ मतदान करें ताकि जन प्रतिनिधि सभाओं में अच्छे चरित्रवान नुमाइन्दों का वर्चस्व हो, ग़लत क़िस्म के लोगों की आमद रुके ।

विद्या प्रकाश

जौनपुर (उ०प्र०)

(लेखक का मृत्यु-पूर्व लिखा उद्‌गार)

शब्दों का कारवां

''कारवां'' शब्द वैसे तो उर्दू भाषा का है लेकिन भारत में बहुत लोकप्रिय रहा भी है, परंतु इसकी उपयोगिता केवल एक क़ाफ़िले तक ही सीमित नहीं है बल्कि अगर आज के परिवेश में देखें तो ''कारवां'' वास्तव में शब्दों का ही होता है । गुबार कारवां गुज़र जाने के बाद ही देखने पढ़ने सुनने को मिलता है । इसलिए संसार में सबसे अधिक मूल्यवान वस्तु अगर कोई है तो वह शब्द ही है । शब्द बोलने-लिखने और पढ़ने की भी अपनी एक कला होती है और ये शब्द ही हैं जो व्यक्ति को साहसी कायर चतुर चालाक बनाते हैं । शब्द बनते काम बिगाड़ भी सकते हैं और बिगड़े काम बना भी सकते हैं यानी कह सकते हैं कि शब्द मनुष्य के वर्तमान को संवारने-बिगाड़ने संभालने की पूर्ण क्षमता-दक्षता रखते हैं इसलिए शब्द का प्रयोग बहुत सोच-समझकर करना चाहिए ।

सामाजिक, पारिवारिक, व्यापारिक, धार्मिक या कोर्ट कचहरी तक में भी संवाद विवाद वाद परिवाद का माध्यम शब्द ही हैं और इनको बोलने, लिखने और सुनने का समय भी बहुत महत्वपूर्ण होता है । आत्महत्या जैसे जघन्य अपराधों में सुइसाइड नोट या फिर मृत्यु से ठीक पहले बोले गये शब्दों का कुछ अलग ही महत्व है । प्रेम, वैर, वैमनस्य ईर्ष्या, द्वेष राग, अनुराग, क्रोध, लोभ, मोह, प्रसन्नता, अहंकार–ये सब शब्दों से परिचायित और प्रकट होते हैं ।

शब्द जब मुंह या लेखनी की क़ैद से बाहर निकल गये तो इनका गुबार भी देखना मजबूरी है और यह गुबार कितना सुखद अथवा दुखद होता है, इसका फ़ैसला समय ही करता है, करता रहा है और करता भी रहेगा । इसलिए शब्द मूल्यवान हैं, जिनका संचय करना और समुचित प्रयोग करना ही वास्तविक विवेक है और जिसके पास शब्द संचय करने और प्रयोग करने का विवेक है वही सबसे अधिक विद्वान और धनी व्यक्ति है ।

रचना रस्तोगी

वेस्टर्न कचहरी रोड, मेरठ (उ०प्र०)

क़ुरआन ज्योति

(पृष्ठ 5 का शेष)

निजात दिलाएं । लेकिन यह एक गौण उद्देश्य था, न कि भेजे जाने का मूल उद्देश्य । मूल उद्देश्य तो वही था जो क़ुरआन के अनुसार तमाम नबियों के भेजे जाने का उद्देश्य रहा है और सूरा-79 (नाज़िआत) में जिसका स्पष्ट रूप से उल्लेख भी कर दिया गया है कि ''फ़िरऔन के पास जा, क्योंकि वह बन्दगी की सीमा पार कर गया है और उससे कहा क्या तू इसके लिए तैयार है कि सुधर जाए और मैं तेरे रब की ओर तेरा मार्गदर्शन करूं तो तू उससे डरे ?'' मगर चूंकि फ़िरऔन और उसके दरबारियों ने उस सन्देश को ग्रहण नहीं किया और अंततः हज़रत मूसा (अलैहि०) को यही करना पड़ा कि अपनी मुसलमान क़ौम को उसके क़ब्ज़े से निकाल ले जाएं, इसलिए उनके मिशन का यही हिस्सा इतिहास में उभर आया और क़ुरआन में भी उसको वैसा ही उभारकर प्रस्तुत किया गया जैसा कि वह इतिहास में सच में है । जो व्यक्ति क़ुरआन की विस्तृत विवेचन को उसके 'कुल' से अलग करके देखने की ग़लती न करता हो, बल्कि उन्हें कुल के तहत करके ही देखता और समझता हो, वह कभी इस भ्रम में नहीं पड़ सकता कि एक क़ौम की रिहाई किसी नबी के भेजे जाने का मूल उद्देश्य और सत्य धर्म का आह्वान केवल उसका एक गौण उद्देश्य हो सकता है ।

हज़रत उम्मे हकीम (रज़ि०)

■ तालिब हाशिमी

सन 8 हिजरी में रमज़ान के महीने में अल्लाह के रसूल (सल्ल०) दस हज़ार सैनिकों के साथ बड़ी ही निराली शान से मक्का मुअज़्ज़मा में दाख़िल हुए । क़ुरैश पराजित हुए और मुसलमानों को विजय प्राप्त हुई ।

उनका यह प्रवेश दुनिया के अन्य विजयी शासकों के समान नहीं था । न लूट-मार, न क़त्ल व ग़ारतगिरी । अल्लाह के रसूल (सल्ल०) तो आम माफ़ी का ऐलान कर रहे थे । गिनती के कुछ दुष्ट लोगों को छोड़कर सभों के लिए यह घोषणा की जा रही थी कि आज किसी से कोई पूछ-गछ नहीं होगी । लेकिन मक्के में कुछ ऐसे आदमी भी थे जिनको यह विश्वास ही नहीं आ रहा था कि आप (सल्ल०) उन पर क़ाबू पा लेने के बाद उन्हें ज़िन्दा छोड़ देंगे । उन्होंने मक्का से भाग जाना ही मुनासिब समझा ।

उन्हीं दिनों की एक घटना है । एक दिन एक महिला आप (सल्ल०) की सेवा में हाज़िर हुईं और इस्लाम क़ुबूल करने की घोषणा की । फिर कहा :

''या अल्लाह के रसूल (सल्ल०)! मेरा पति अपनी जान के भय से यमन चला गया है । यदि आप उसे अमान दे दें तो मैं उसको वापस ले आऊं।''

आप ने बिना किसी झिझक के कहा : ''जाओ, मैंने उसको अमान दी ।'' आप (सल्ल०) की अमान पाकर उस महिला की ख़ुशी का कोई ठिकाना न रहा । क्योंकि उनके पति की मुस्लिम दुश्मनी मशहूर थी । उसने मुसलमानों को सताने में कभी कोई मौक़ा हाथ से जाने नहीं दिया था । इसीलिए वह महिला उसी समय अपने एक ग़ुलाम के साथ पति की तलाश में निकल पड़ीं ।

वह महिला जिसके पति को अल्लाह के रसूल (सल्ल०) अमान दे दी थी, वह कोई और नहीं इक्रिमा बिन अबू जेहल की पत्नी हज़रत उम्मे हकीम (रज़ि०) थीं । हज़रत उम्मे हकीम एक मशहूर सहाबिया हैं । इनके पिता का नाम हारिस बिन हिशाम था और मां का नाम फ़ातिमा बिन्त वलीद था । उनकी मां हज़रत ख़ालिद बिन वलीद की सगी बहन थीं । उनके पिता हारिस बिन हिशाम अबू जेहल के सगे भाई थे । ये दोनों भाई इस्लाम के कट्टर शत्रु थे, यही हाल उनकी मां और मामू ख़ालिद बिन वलीद का था । फिर शादी भी हुई तो अपने चचा के बेटे इक्रिमा बिन अबू जेहल से हुई जो इस्लाम दुश्मनी में अपने पिता से किसी तरह कम न था ।

सन 2 हिजरी में जंगे बद्र में अबू जेहल मारा गया तो इक्रिमा ने अपने पिता के छोड़े हुए काम को पूरा करने का बीड़ा उठाया और मक्का विजय तक हर मैदान में मुसलमानों को सताने में आगे रहा ।

जंगे उहद में वह अपनी पत्नी उम्मे हकीम को भी अपने साथ ले गया और ख़ालिद बिन वलीद के साथ मिलकर मुसलमानों को बहुत नुक़सान पहुंचाया । अहज़ाब की जंग में बनू कनाना के साथ मिलकर मदीना मुनव्वरा पर चढ़ाई की । सन 8 हिजरी में बनू ख़ज़ाआ के क़त्लो-ग़ारतगिरी में हिस्सा लिया और हुदैबिया की संधि को व्यावहारिक रूप में तोड़ डाला । यहां तक कि मक्का विजय के दिन उसने कुछ मुश्रिकों के साथ मिलकर उस सैनिक दस्ते को रोकने की कोशिश की जो हज़रत ख़ालिद बिन वलीद के नेतृत्व में मक्का में प्रवेश करना चाह रही थी । ज्ञात हो कि ये वही ख़ालिद बिन वलीद थे जो कभी इक्रिमा के साथ मिलकर मुसलमानों पर हमला किया करते थे ।

हज़रत ख़ालिद बिन वलीद (रज़ि०) ने तो इस्लाम क़ुबूल कर लिया लेकिन इक्रिमा की गतिविधियां वैसे ही जारी रहीं । यही कारण था कि इक्रिमा आप (सल्ल०) के पास नहीं आया और यमन की तरफ़ भाग निकला । इधर उसकी पत्नी हज़रत उम्मे हकीम (रज़ि०), उनके पिता हारिस बिन हिशाम (रज़ि०) और उनकी मां फ़ातिमा तीनों अल्लाह के रसूल (सल्ल०) की सेवा में हाज़िर हुए और सच्चे दिल से इस्लाम क़ुबूल कर लिया ।

हज़रत उम्मे हकीम (रज़ि०) को अपने पति से बहुत

मुहब्बत थी । इसीलिए उन्होंने अपने पति की अमान मांगी जिसे आप (सल्ल०) ने क़ुबूल कर लिया, फिर वे इक्रिमा की खोज में चल पड़ीं ।

हज़रत इक्रिमा मक्का से भागकर बहीरा-ए-कुलज़ुम के तट पर पहुंचे । तट पर यमन जाने वाली नाव तैयार खड़ी थी । वे उस नाव में बैठ गया । नाव जब कुछ दूर चली और गहरे पानी में पहुंची तो तूफ़ान में घिर गयी । हज़रत इक्रिमा ने अपने माबूद लात और उज़्ज़ा को पुकारना शुरू कर दिया ।

मल्लाहों ने कहा : ''यह अल्लाह को पुकारने का समय है । लात और उज़्ज़ा नाव को भंवर से बाहर नहीं निकाल सकते ।''

यह बात इक्रिमा के दिल को प्रभावित कर गयी । हाफ़िज़ बिन हिज्र (रह०) ने ''इसाबा'' में लिखा है कि इस अवसर पर इक्रिमा ने यह दुआ की ।

''ऐ अल्लाह, मैं प्रण करता हूं कि यदि इस तूफ़ान ने मुझे ज़िन्दा छोड़ दिया तो मैं स्वयं को मुहम्मद (सल्ल०) के सामने पेश कर दूंगा । वे बड़े रहीम व करीम हैं । (आशा है वे) मुझसे पूछ-गछ नहीं करेंगे ।''

अल्लाह का करना नाव उसी जगह किनारे आ लगी जहां से चली थी । हज़रत उम्मे हकीम (रज़ि०) भी अपने पति को खोजती हुई तट पर आ पहुंचीं थीं । उन्होंने हज़रत इक्रिमा को बताया कि मैं एक ऐसे इन्सान के पास से आ रही हूं जो सबसे ज़्यादा नेक, सबसे ज़्यादा रहीम और सगे-संबंधियों का ख़्याल करने वाला है । मैंने उनसे तुम्हारे लिए अमान हासिल कर ली है । अब मेरे साथ उनकी सेवा में चलो ।

हज़रत इक्रिमा (रज़ि०) तुरंत मान गये और हज़रत उम्मे हकीम (रज़ि०) के साथ आपकी सेवा में हाज़िर हुए । आप उन्हें देखकर बहुत ख़ुश हुए और कहा : ''स्वागत हो तुम्हारा ऐ परदेसी सवार ।''

हज़रत इक्रिमा (रज़ि०) ने अपनी पत्नी की ओर इशारा करते हुए कहा : ''इसने मुझे बताया है कि आपने मेरी जान बख़्श दी है ।''

आप (सल्ल०) ने कहा : हां, उसने सच कहा है, तुम सुरक्षित और अमान में हो ।''

इस घटना से हज़रत इक्रिमा (रज़ि०) इतने प्रभावित हुए कि उसी समय सच्चे दिल से ईमान ले आये । और अहद लिया कि भविष्य में मेरा धन और मेरे प्राण सब अल्लाह के लिए जिहाद में लगेंगे । उसके बाद उनके ज़िन्दगी में इंक़िलाब आ गया । वे जितने कट्टर विरोधी थे उतने ही जोश से इस्लाम की सेवा करने लगे ।

सन 11 हिजरी में आप (सल्ल०) की वफ़ात के बाद हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ (रज़ि०) के दौरे ख़िलाफ़त में इरतिदाद के फ़ित्ना ने सिर उभारा । तो उन्होंने उसे रोकने के लिए सिर-धड़ की बाज़ी लगा दी । जब यह फ़ित्ना ख़त्म हुआ और मुसलमानों ने सीरिया पर चढ़ाई की तो हज़रत इक्रिमा (रज़ि०) अपनी पत्नी हज़रत उम्मे हकीम (रज़ि०) के साथ सीरिया की मुहिम में शामिल हो गये । वहां उन्होंने अनेक अवसरों पर अपनी जवांमर्दी के जौहर दिखाये और अंत में अजनादीन की लड़ाई में लड़ते-लड़ते शहीद हो गये । इस तरह हज़रत उम्मे हकीम विधवा हो गयीं ।

हज़रत उम्मे हकीम (रज़ि०) के इद्दत के दिन जब पूरे हो गये तो उन्हें अनेक जगहों से निकाह के पैग़ाम आये । वे सभों को मना करती रहीं । लेकिन जब हज़रत ख़ालिद बिन सईद (रज़ि०) का संदेशा आया तो वे तैयार हो गयीं । हज़रत ख़ालिद बिन सईद (रज़ि०) बड़े जलीलुल क़द्र सहाबी थे और आरंभिक सहाबियों में शुमार किये जाते थे । 400 दीनार मेह्र पर उनका निकाह हो गया ।

निकाह के बाद हज़रत ख़ालिद बिन सईद (रह०) ने रस्मे उरूसी (सुहाग रात) मनाने की इच्छा व्यक्त की । हज़रत उम्मे हकीम (रज़ि०) ने कहा : ''दुश्मन सिर पर खड़ा है । हर समय लड़ाई की आशंका है । इसलिए कुछ दिन रुक जाते और इत्मीनान के साथ यह रस्म होती तो अच्छा था ।

हज़रत ख़ालिद बिन सईद (रज़ि०) ने कहा, ''मुझे इस युद्ध में अपने शहीद हो जाने का यक़ीन है ।'' हज़रत उम्मे हकीम (रज़ि०) ख़ामोश हो गयीं । एक पुल के नीचे यह रस्म अदा की गयी । सुबह को वलीमे की दावत थी । अभी लोग खाना खा ही रहे थे कि दुश्मनों ने हमला कर दिया । एक रोमी योद्धा मुसलमानों को ललकार रहा था । हज़रत ख़ालिद बिन सईद (रज़ि०) आगे बढ़े और लड़ते-लड़ते शहीद हो गये ।

हज़रत उम्मे हकीम (रज़ि०) अपने पति को शहीद होते देख रही थीं, जोश से भर उठीं । अपने कपड़ों को बांधा और टेंट की बल्ली उखाड़ कर लड़ाई में शरीक हो गयीं ।

इस्लाम को समझें

■ मौलाना सैयद जलालुद्दीन उमरी

आज हमारा देश भारत व्यापक अस्थिरता, अशांति की चपेट में है । हर ओर नफ़रत, दुश्मनी, विध्वंस का माहौल है । यहां फूट डालने वाले और दुराव पैदा करने वाले तत्व तो अपना काम कम करते नज़र आते हैं लेकिन एकता एवं सद्भाव का वातावरण बनाने वाले कम ही दिखायी देते हैं । कोई सार्थक विचारधारा समस्या के समाधान के लिए नज़र नहीं आ रही है । ले-देकर एक राष्ट्रीयता की भावना है, लेकिन वह भी दिन-प्रतिदिन कमज़ोर होती जा रही है ।

जो लोग इस्लाम पर ईमान व विश्वास रखते हैं और उसे एक क्रांतिकारी विचारधारा की हैसियत से देखते हैं, उनके निकट इस्लाम इस देश की एकता-अखंडता एवं विकास के लिए सुदृढ़ आधार प्रदान कर सकता है । उसके भीतर विभिन्न वर्गों एवं समुदायों को एक 'वहदत' (एकत्व) बनाने की क्षमता है ।

मुसलमानों के वर्तमान मतभेद और उनकी वैचारिक असहमति इस बात की दलील नहीं है कि इस्लाम अपनी क्षमता खो चुका है । इसलिए कि इस असहमति का कारण इस्लाम नहीं है, बल्कि इसके कारण वाह्य हैं । इस्लाम से दूरी ने मुसलमानों को दिग्भ्रमित कर दिया है । अतीत में इस्लाम विभिन्न वर्गों, नस्लों, जातियों एवं संघर्षरत समुदायों को आपस में जोड़ने और उनमें एकता एवं संगठन पैदा करने का कारनामा अंजाम दे चुका है । इसलिए भविष्य में उससे इसकी अपेक्षा की जा सकती है ।

हमारा देश इस वक़्त बड़े पेचीदा हालत और कठिन परिस्थितियों से गुज़र रहा है । ये हालात व परिस्थितियां तात्कालिक नहीं है बल्कि इनके पीछे एक इतिहास है । वह इन हालात से निकलना चाहता है, लेकिन निकल नहीं पा रहा है । देश के कर्णधारों के ग़लत निदान की वजह से समस्याएं बढ़ती ही जा रही हैं । इन विषम हालात में विभिन्न पहलुओं से सतत संघर्ष करना होगा ।

हमारे देश को एक धार्मिक देश माना जाता है । यह बात

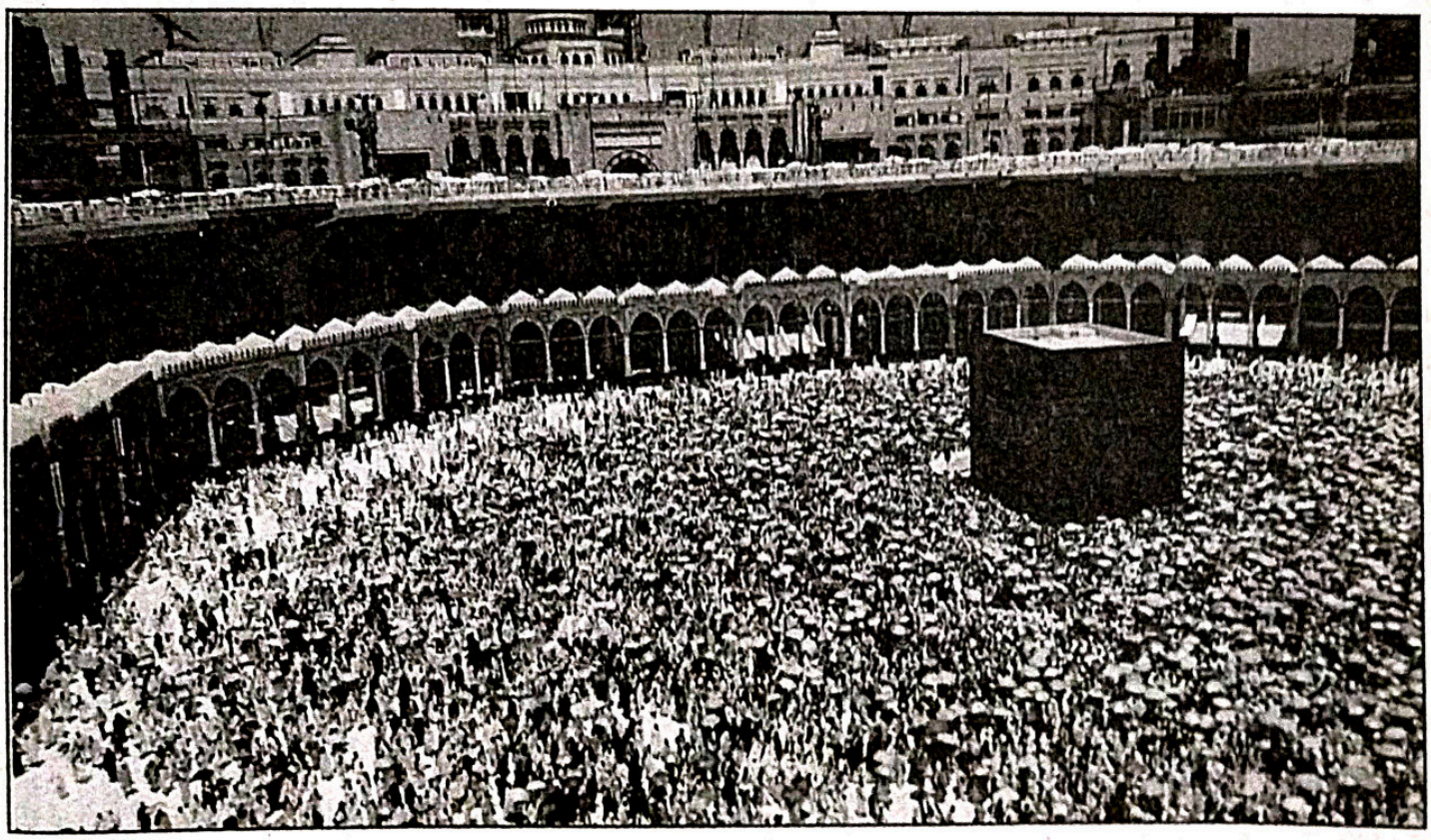

इस पहलू से सही है कि यहां सामान्य रूप से धर्म और आध्यात्मिकता का चलन है । यह एक स्वाभाविक भावना भी है । इसे दबाने की हज़ार कोशिश के बावजूद वह बार-बार उभरती है । लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न जिससे देश उलझा हुआ है यह है कि धर्म के मामलों का सांसारिक मामलों से क्या संबंध है? इससे पेचीदा दुनिया की समस्याएं कैसे हल होंगी? धर्म तो संसार-त्याग की शिक्षा देता है और इसी को धार्मिकता की पराकाष्ठा मानता है । इसीलिए धार्मिकता की भावना के बावजूद धर्म से दूरी बढ़ती जा रही है । इसकी ज़रूरत और उपादेयता को देश स्वीकारने को तैयार नहीं है ।



इसी तरह देश में नैतिकता की महत्ता का एहसास पाया जाता है, उसकी दीक्षा पर भी ज़ोर दिया जाता है । लेकिन इसी के साथ नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है । किसी ओर से इस समस्या का समाधान सामने नहीं आ रहा है कि नैतिक पतन को कैसे रोका जाए तथा पथभ्रष्टता कैसे रोकी जाए ।

लोकतंत्र की परिकल्पना यह है कि देश पर किसी व्यक्ति, परिवार वर्ग या समुदाय का शासन नहीं होगा बल्कि समस्त नागरिकों को आज़ादी और तरक़्क़ी के समान अवसर उपलब्ध होंगे । देश पर जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधियों का प्रशासन होगा और वे उसके हितार्थ कार्य करेंगे । इन बुनियादों पर जो संविधान तैयार किया गया उसके बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि वह हर तरह की त्रुटि से मुक्त है । मानवीय सोच के त्रुटियों का पाया जाना स्वाभाविक है ।

इसका एक स्पष्ट सबूत यह है कि संविधान में अब तक अस्सी से ज़्यादा संशोधन हो चुके हैं और आगे भी इसकी और संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता । इसमें शक नहीं कि देश के कुछ वर्गों को यह शिकायत रही है कि संविधान प्रदत्त कुछ अधिकार उन्हें प्राप्त नहीं हैं ।

इस्लाम भौतिकता एवं आध्यात्मिकता बेहतरीन सामंजस्य रखता है और न्याय की ठोस बुनियादें उपलब्ध कराता है । इससे देश की आशाएं फलीभूत हो सकती हैं तथा एकता एवं सद्भाव का माहौल बन सकता है । सही दिशा में इसका विकास हो सकता है और सही अर्थों में यह एक कल्याणकारी राज्य बन सकता है ।

देश के सभी वर्गों तक इस्लाम की आवाज़ नहीं पहुंची है और अगर पहुंची भी है, तो उसे सही परिप्रेक्ष्य में देखने की कोशिश नहीं की गयी है । इसके मार्ग में सदियों से भेदभाव, विद्वेष और नफ़रत की दीवारें बाधा नहीं हुई हैं । लोकतंत्र इस बात का अवसर प्रदान करता है कि इस्लाम को उसके सही रूप में देश के सामने पेश किया जाए । इसके बारे में जो ग़लतफ़हमियां और पूर्वाग्रह पाए जाते हैं उन्हें विवेकपूर्ण ढंग से दूर किया जाए । इसकी शिक्षाओं की तर्कपूर्ण एवं सहज व्याख्या की जाए । जीवन की अन्य व्यवस्थाओं के मुक़ाबले इस्लाम की जीवन-प्रणाली की श्रेष्ठता साबित की जाए ताकि देशवासी इस पर बुद्धिमत्तापूर्ण चिंतन कर सकें और अगर वे इसमें अपनी समस्याओं का समाधान और देश का कल्याण देखें, तो इसे अपनाने में कोई चीज़ बाधा न बने ।

इस्लाम में महिला-अधिकार

■ बुशरा सादिक़ा

इस्लाम ने समाज में महिला को मां, बहन, पत्नी और पुत्री की हैसियत से न सिर्फ़ बराबर, बल्कि श्रेष्ठता और दर्जे में पुरुष से बढ़कर अधिकार दिये हैं–

मां की हैसियत से : एक व्यक्ति ने अल्लांह के रसूलुल्लाह हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) से पूछा–मेरे सद्व्यवहार का सबसे अधिक पात्र कौन है ? आप (सल्ल॰) ने फ़रमाया : तेरी मां । (तीन बार उसने यही प्रश्न किया और तीनों बार नबी (सल्ल॰) ने यही जवाब दिया) उसने चौथी बार पूछा फिर कौन ? फ़रमाया तेरा पिता । ग़ौर कीजिए कि मां, अर्थात स्त्री का दर्जा पिता, अर्थात पुरुष से कितना अधिक बुलन्द है ।

बेटी की हैसियत से : अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) ने फ़रमाया–''जिसने दो लड़कियों का पालन-पोषण किया यहां तक कि वह बालिग़ हो गयीं तो प्रलय (क़ियामत) के दिन मैं और वह इस तरह आएंगे जैसे मेरे हाथ की उंगलियां साथ-साथ हैं (नबी सल्ल॰ ने अपने हाथ की दो उंगलियां मिलाकर दिखाईं)।''

(हदीस : मुस्लिम)

बहन की हैसियत से : इसी तरह सुरक्षा और पवित्रता की दृष्टि से बहन को भी बराबर से बढ़कर दर्जा दिया गया है ।

पत्नी की हैसियत से : पत्नी की हैसियत बहुत अधिक है । पत्नी के बारे में पति को यहां तक कह दिया गया । ''दुनिया की नेमतों में बेहतरीन नेमत नेक बीवी है ।''

ग़ौर कीजिए कि स्त्री को हर हैसियत से समाज में कितनी इज़्ज़त और सम्मान का पात्र ठहराया गया है ।

सभ्यता और संस्कृति की दृष्टि से इस्लाम ने स्त्री को पुरुष से बढ़कर अधिकार प्रदान किए हैं–

पति के चयन का अधिकार : अगर पुरुष को पत्नी के चयन का अधिकार है तो स्त्री को भी पति के चुनाव का पूरा अधिकार प्राप्त है । उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई व्यक्ति उसका विवाह नहीं कर सकता । अगर वह स्वयं अपनी इच्छा से किसी मुस्लिम के साथ विवाह कर ले तो उसे कोई रोक नहीं सकता, परन्तु अपने सम्मान की सुरक्षा के लिए यह तरीक़ा अपनाया गया कि लड़कियां अपना विवाह स्वयं न करती फिरें, क्योंकि उनके लिए यह संभव नहीं होता कि वे अच्छी तरह पुरुष और उसके संबंधियों को परख या देख सकें । इसमें पिता और परिवार के सामाजिक स्तर और संबंधों का ख़याल रखना बेहतर साबित होता है । इसलिए इस्लामी क़ानून में वली (संरक्षक) और लड़की दोनों की इच्छा ज़रूरी क़रार दी गयी है, मगर यदि उसकी शादी किसी ऐसे व्यक्ति से करनी पड़े जो उसके ख़ानदान और परिवार के स्तर से गिरा हुआ हो तो केवल इस स्थिति में उसके वली (संरक्षक) को आपत्ति का अधिकार प्राप्त है ।

अल्पावस्था के विवाह में अधिकार : अगर किसी लड़की का विवाह कम उम्री (अल्पावस्था) में कर दिया गया हो तो वह बालिग़ (वयस्क) होकर उसे बरक़रार रखने या निकाह तोड़ देने का अधिकार रखती है ।

ख़ुला का अधिकार : इस्लाम में तलाक़ देने का अधिकार पुरुष को प्राप्त है, तथापि इसके साथ-साथ अप्रिय, निष्क्रिय और अत्याचारी पति से छुटकारा पाने के लिए स्त्री को खुला (तलाक़ की मांग) और निकाह तोड़ देने या अलग हो जाने के अधिकार दिये गये हैं ।

पुनः विवाह का अधिकार : इस्लाम में पत्नी और विधवाओं और ऐसी सामान्य स्त्रियों को जिनके विवाह क़ानूनी तौर से ख़त्म हो चुके हों या जिनको न्यायालय द्वारा पति से अलग कर दिया गया हो, पुनः विवाह का अधिकार बिना किसी शर्त के दिया गया है । इस बात की व्याख्या भी कर दी गयी है कि उन पर पूर्व पति या उसके किसी संबंधित व्यक्ति का कोई अधिकार बाक़ी नहीं रहा । यह वह अधिकार है जो आज यूरोप व अमेरिका के अधिकांश देशों में भी स्त्री को नहीं दिया गया है ।

दीवानी और फ़ौजदारी के क़ानून में : दीवानी और फ़ौजदारी के क़ानून में स्त्री और पुरुष के बीच संपूर्ण समानता स्थापित की गयी है । जान व माल और सम्मान की

सुरक्षा में इस्लामी क़ानून स्त्री और पुरुष के बीच किसी प्रकार का अन्तर नहीं करता ।

सबसे मुख्य और आवश्यक चीज़ जिसके कारण समाज में इन्सान का सम्मान बढ़ता है और जो आज स्त्री और पुरुष की समानता और बराबरी के नारे का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण पहलू है, वह आर्थिक स्थिति की मज़बूती है । तनिक विचार करें कि इस्लाम ने स्त्री को जीविका की ज़िम्मेदारी से मुक्त रखते हुए भी आर्थिक दृष्टि से न केवल पुरुष के बराबर, बल्कि अधिक बेहतर स्थान प्रदान किया है।

स्वामित्व का अधिकार

इस्लाम में स्त्री के स्वामित्व का अधिकार स्वीकार किया गया है । स्त्री अपने माल की स्वयं मालिक और स्वामी है । उसके पिता, उसके पति और दूसरे सगे-संबंधियों को उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं । इस संबंध में उल्लेखनीय बात यह है कि उसे अपने पति के माल को इस्तेमाल करने का अधिकार तो दिया गया, लेकिन उसकी निजी सम्पत्ति को उसकी अनुमति और मर्ज़ी के बिना किसी को इस्तेमाल करने का अधिकर नहीं है । वह व्यापार कर सकती है या कोई और जायज़ कारोबार । उसके अपने अधिकार में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं कर सकता ।

भरण-पोषण की ज़िम्मेदारी : स्त्री पत्नी की हैसियत से चाहे कितनी ही धनी हो, उसका भरण-पोषण (नान-नफ़क़ा) बहरहाल उसके पति के ज़िम्मे है, जो उसके पति की आर्थिक हैसियत के अनुसार, अर्थात अपनी ताक़तभर निश्चित किया जाएगा । इस संबंध में पुरुष की लापरवाही और उदासीनता की स्थिति में शरई अदालत (इस्लामी न्यायालय) की ओर रुख़ किया जा सकता है । अगर उसका पति ग़रीब और निर्धन है और उसकी मदद के लिए पत्नी अपना माल उसको दे देती है तो यह बेहतरीन सदक़ा बन जाएगा । इस पर उसे अल्लाह के यहां सवाब और प्रतिफल मिलेगा । पति के न होने की स्थिति में भी सबसे क़रीबी रिश्तेदार, पिता, भाई आदि भरण-पोषण के ज़िम्मेदार बनाए गये हैं । उसको ख़ुद अपने लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं ।

महर का अधिकार : पत्नी वैवाहिक अधिकार के तौर पर महर की पात्र है और महर का अदा करना अनिवार्य है।

विरासत का अधिकार : पत्नी को अपने पिता, पति, औलाद और दूसरे सगे-संबंधियों से विरासत मिलती है । विरासत में स्त्री का हिस्सा पुरुष के मुक़ाबले में आधा रखा गया है । ऐसा इसलिए किया गया है कि स्त्री को भरण-पोषण और महर के अधिकार प्राप्त होते हैं । जिनसे पुरुष वंचित है और पुरुष पर हर स्थिति में उसकी किफ़ालत (संरक्षण) ज़रूरी है । जबकि स्त्री पर वे ज़िम्मेदारियां नहीं हैं जो पुरुष पर हैं तो विरासत में भी उसका वह हिस्सा नहीं होना चाहिए जो पुरुष का है ।

पत्नी चाहे कितनी ही मालदार हो, उसका पति न तो उसके माल पर किसी प्रकार का अधिकार रखता है, न उसके भरण-पोषण की ज़िम्मेदारी से मुक्त हो सकता है । इस तरह इस्लाम में स्त्री की आर्थिक हैसियत इतनी मज़बूत हो जाती है कि कभी-कभी वह पुरुष से ज़्यादा बेहतर स्थिति में होती है । मानो कि इस क्षेत्र में भी स्त्री पुरुष से अधिक बेहतर दर्जा रखती है ।

अब तनिक तुलना कीजिए कि यूरोप स्त्री को कमाने वाला सदस्य बनाकर भी उसको वह आर्थिक समानता और मज़बूती प्रदान न कर सका, जो इस्लाम ने स्त्री को घर की रानी बनाकर आर्थिक समस्याओं से चिंता मुक्त कर दिया है।

शिक्षा-दीक्षा का अधिकार : स्त्री को न केवल धार्मिक और सांसारिक ज्ञान अर्जित करने की अनुमति दी गयी, बल्कि उनकी शिक्षा-दीक्षा को उतना ही ज़रूरी क़रार दिया गया है जितना ज़रूरी पुरुष के लिए । नबी (सल्ल॰) ने फ़रमाया–

''ज्ञान प्राप्त करना हर मुसलमान पर अनिवार्य है ।''

नबी (सल्ल॰) से दीन और नैतिकता की शिक्षा जिस प्रकार पुरुष प्राप्त करते थे उसी तरह स्त्रियां भी प्राप्त करती थीं । श्रेष्ठ जनों को तो छोड़िए नबी (सल्ल॰) ने लौंडियों (दासियों) तक को शिक्षा प्राप्त करने का हुक्म दिया था । आप (सल्ल॰) की पत्नियों में विशेषकर हज़रत आइशा (रज़ि॰) न केवल स्त्रियों बल्कि मर्दों को भी शिक्षा देती थीं और बड़े-बड़े सहाबा व ताबईन उनसे हदीस व कुरआन की व्याख्या और धर्मशास्त्र का ज्ञान प्राप्त करते थे । इसलिए जहां तक शिक्षा-दीक्षा का संबंध है, इस्लाम ने स्त्री और पुरुष के बीच कोई अन्तर नहीं रखा है, परन्तु इस बात में

अन्तर अवश्य रखा गया है कि स्त्री को किस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए और पुरुष को किस प्रकार की । क्योंकि कार्य-क्षेत्र दोनों के अलग-अलग हैं ।

इस्लामी दृष्टिकोण से स्त्री के लिए सही शिक्षा-दीक्षा वह है जो उसको बेहतरीन पत्नी और बेहतरीन मां बनाए क्योंकि उसका कार्य-क्षेत्र घर है । इसलिए विशेष रूप से उसको उन विषयों की शिक्षा दी जानी चाहिए, जो उस क्षेत्र में उसके लिए अधिक लाभकारी सिद्ध हो सकते हों । इसके अतिरिक्त वह ज्ञान भी उसके लिए आवश्यक है जो इन्सान को इन्सान बनाने वाले और उसके आचरण को संवारने वाले और उसकी दृष्टि को व्यापकता प्रदान करने वाले हैं । ऐसी शिक्षा और दीक्षा से लैस होने का अधिकार इस्लाम ने हर स्त्री को दिया है ।

इसके बाद यदि कोई स्त्री असामान्य बुद्धि एवं विवेक रखती हो और इस प्रकार की शिक्षा के अतिरिक्त वह दूसरी शिक्षाओं और कलाओं की उच्च शिक्षा भी प्राप्त करना चाहे, तो इस्लाम उसकी राह में रुकावट नहीं है, बशर्ते कि वह उन सीमाओं का उल्लंघन न करे जो शरीअत ने स्त्रियों के लिए निर्धारित की हैं ।

धार्मिक सेवा एवं संगठित होकर काम करने का अधिकार : भलाई का आदेश देने और बुराई से रोकने की ज़िम्मेदारी जिस प्रकार पुरुषों पर डाली गयी है, उसी प्रकार इस्लाम ने स्त्रियों पर भी सत्य की गवाही देने की महान ज़िम्मेदारी डाली है । उनको इस ज़िम्मेदारी से मुक्त नहीं किया । मगर स्त्रियों के विशेष स्वभाव और कार्य-क्षेत्र का इस मैदान में भी ख़याल रखा है । उसके ऊपर भी पुरुष की तरह अपनों और घरवालों को हक़ पर जमे रहने के साथ समाज के दूसरे लोगों, विशेषकर स्त्रियों की भलाई और सुधार की ज़िम्मेदारी भी डाली गयी है । इस्लामी व्यवस्था को क़ायम करने की कोशिशों में वे अपने माता-पिता, भाई, पति व बेटों को इस ज़िम्मेदारी के लिए तैयार करें, और इसके बाद समाज में धर्म-स्थापना (इक़ामते दीन) का कर्तव्य निभाएं ।

समरा बिन्त नुहैक (रज़ि॰) के बारे में उल्लिखित है कि वे बाज़ारों में घूम-घूमकर भलाई का हुक्म देतीं और बुराई से रोकती थीं । उनके एक हाथ में कोड़ा रहता था जिससे वे लोगों को बुराई करने पर मारती थीं । इस मामले में उम्मत की स्त्रियों ने न तो प्रजा की परवाह की और न शासकों और अधिकारियों की । उनके ईमानी जोश ने जिस तरह धर्म के खुले दुश्मनों का सामना किया, उसी तरह धर्म का नाम लेने वालों के पाखंड और दिखावे को भी सहन करने से इन्कार कर दिया । सच्ची बात के इज़हार (व्यक्त करने) में न तो बातिल (असत्य) की बड़ी से बड़ी शक्ति उनके लिए रुकावट है और न दबंग और भ्रष्ट अधिकारियों की ज़्यादती और कठोरता ।

यह अधिकार स्त्री को इस्लाम ने ही दिया है । मानो कि शरीअत की बताई हुई नैतिक सीमाओं के अन्दर रहकर जिस प्रकार पुरुष संगठन बनाकर विरोध प्रकट करने का अधिकार रखता है उसी तरह स्त्री भी बराबर का अधिकार रखती है, बशर्ते कि संगठन बनाना और सम्मेलन करना अच्छाई और भलाई को फैलाने और बुराई को मिटाने के लिए हो ।

राजनीतिक संघर्ष में भागीदारी : इस्लाम ने स्त्री को घरेलू ज़िन्दगी से अवश्य जोड़ा है, मगर उसके विचार और कर्म की दुनिया को सीमित नहीं किया । कार्य-क्षेत्र के बंटवारे के लिहाज़ से राजनीति, शासन व्यवस्था, सैन्य सेवाएं और इसी प्रकार की दूसरी सुरक्षा-सेवाएं, सामाजिक, आर्थिक और कारोबारी मामले पुरुषों से संबंध रखते हैं और इस्लाम स्त्री को सामाजिक और सभ्यता की दूसरी महत्वपूर्ण एवं आवश्यक सेवाओं के लिए इन झमेलों से अलग रखना चाहता है, लेकिन इसके बावजूद स्त्री अगर घरेलू ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के बाद अपनी स्थिति, रुचि एवं रुझान के लिहाज़ से ज़िन्दगी के दूसरे क्षेत्रों में हिस्सा लेना चाहे तो इस्लाम उसे नहीं रोकता । तथापि उसके लिए कुछ नैतिक सीमाएं निर्धारित करता है जो मानव-प्रकृति के अनुसार और मानव-उद्देश्य तक पहुंचने के लिए परम आवश्यक हैं । एक यह कि स्त्री हर हाल में अपनी वास्तविक स्थिति पर नज़र रखे ।

बाहर की ज़िम्मेदारियां इतनी न बढ़ाए कि उसकी अस्ल घरेलू ज़िम्मेदारियां अधूरी रह जाएं । दूसरे यह कि वह अपने पति का आज्ञापालन करे । तीसरे यह कि अगर मुसलमान स्त्री अपने पति की अनुमति एवं आज्ञा के साथ घर से बाहर विभिन्न शैक्षिक एवं धार्मिक तथा सामाजिक सेवाएं पेश करे तो इस हक़ीक़त को नज़रअंदाज़ न करे कि शरीअत (धर्मशास्त्र) ने, उसके और अपरिचित पुरुषों के बीच

नैतिकता और क़ानून की दीवार खड़ी कर दी है । अतएव वह बाहर निकले तो संपूर्ण इस्लामी मान्यताओं और पाबन्दियों का लिहाज़ रखकर ।

इस प्रकार एक योग्य और गुणवान स्त्री एक ओर वे सारे काम कर सकती है जो विशेष रूप से स्त्रियों के करने के हैं और दूसरी ओर वह पर्दे में रहते हुए विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक कार्यों में हिस्सा ले सकती है । यह क्षेत्र चूंकि स्त्री के लिए पूर्ण रूप से मना नहीं है और ख़ुद इस्लामी राज्य को भी ज़रूरत होती है कि वह स्त्रियों की समस्याएं, आवश्यकताएं और शिक्षा तथा विकास के बारे में उचित प्रयास करे, इसलिए शरीअत की सीमाओं का सम्मान करते हुए अगर स्त्रियों की संस्थाएं प्रत्येक स्तर और प्रत्येक पहलू से भिन्न हों उदाहरण के तौर पर उनकी अपनी शिक्षा-संस्थान, अस्पताल, यूनीवर्सिटियां और कौंसिलें क़ायम हों तो वह वहां भी पुरुष के साथ-साथ देश की उन्नति व प्रगति में अपना हिस्सा प्रभावशाली ढंग से निभा सकती हैं ।

न्याय प्राप्ति में समानता

इस्लाम ने न केवल मौलिक अधिकारों में स्त्री को श्रेष्ठता प्रदान की है, बल्कि उन अधिकारों के हनन होने की स्थिति में उसे न्याय और इन्साफ़ प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार प्रदान किया । उन अधिकारों की सुरक्षा के अवसर प्रदान करते हुए उसे क़ानूनी सहारे का अधिकार पुरुषों के बराबर प्रदान किया, क्योंकि इस्लामी समाज स्त्री पर अन्याय और अत्याचार को सहन नहीं कर सकता, बल्कि वह उसके अधिकारों का संरक्षक और हिफ़ाज़त करने वाला होता है और न्याय और इन्साफ़ के लिए उसको हर गुहार का जवाब देना अपना धर्म समझता है ।

एक सहाबी (रज़ि॰) ने अपनी लड़की का निकाह एक धनी व्यक्ति से कर दिया, लेकिन लड़की उस व्यक्ति को पसन्द नहीं कर रही थी । उसने हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) से अर्ज़ किया कि मेरे पिता ने मेरा निकाह अपने एक मालदार भतीजे से कर दिया है, ताकि अपने जीवनयापन का सामान कर सकें । आप (सल्ल॰) ने फ़रमाया : "अगर तुझको यह विवाह पसन्द नहीं है, तो तू आज़ाद है ।" उसने कहा : "मेरे पिता ने जो क़दम उठाया है मैं उसको बहाल करती हूं, बल्कि मैं चाहती हूं कि स्त्रियों को यह मालूम हो जाए कि उनकी इच्छा के विरुद्ध पिता को उनके निकाह का अधिकार नहीं है ।"

समानता से बढ़कर सद्व्यवहार

इस्लाम ने पुरुषों को स्त्रियों के साथ सद्व्यवहार और दानशीलता का बर्ताव करने के विशेष निर्देश दिए हैं । कुरआन का इरशाद है–

"स्त्रियों के साथ भले ढंग से रहो-सहो ।"

(कुरआन, 4:19)

फिर कहा–

"आपस के संबंधों में दानशीलता को न भूलो ।"

(कुरआन, 2:237)

नबी (सल्ल॰) का कथन है–

"तुममें से अच्छे लोग वे हैं जो अपनी पत्नियों के साथ अच्छे हैं और परिवार के साथ मुहब्बत और मेहरबानी का व्यवहार करने वाले हैं ।"

मानो कि पुरुष के किरदार को जानने के लिए मापदंड भी स्त्री को बनाया है ।

उपरोक्त उदाहरण की रोशनी में हमने देखा कि जो मौलिक अधिकार हर इन्सान को प्राप्त हैं, उनमें इस्लाम स्त्री को न केवल पुरुष के बराबर क़रार देता है, बल्कि केवल इस बात पर कि वह मानवजाति की अमानतदार और पालक है, पुरुष से अधिक सम्माननीय, उससे तीन गुना अधिक सेवा की पात्र और पैर के नीचे जन्नत रखने वाली हस्ती बन जाती है ।

जैसा कि स्पष्ट हो चुका है कि इस्लाम एक ओर सामाजिक और सामूहिक परिधि के अन्दर स्त्री और पुरुष की संपूर्ण समानता का दावेदार है और किसी पहलू से भी पुरुष के लिए किसी प्रकार की प्राथमिकता स्वीकार करने के लिए उदार नहीं है, क्योंकि प्रकृति न तो किसी को अधिक चाहती है और न किसी से दुश्मनी रखती है । अतः उसने स्त्री को स्त्री की जगह रखकर और पुरुष को पुरुष के स्थान पर रखकर समान दर्जा दिया है, लेकिन दूसरी ओर सामाजिक व्यवस्था में वह पुरुष को स्त्री पर एक दर्जा प्राथमिकता देता है और इस प्राथमिकता को सामाजिक व्यवस्था में संतुलन बनाए रखने के लिए ज़रूरी क़रार देता है ।

"पुरुष स्त्रियों के संरक्षक एवं व्यवस्थापक हैं, इस आधार पर कि अल्लाह ने उनमें से एक को दूसरे पर श्रेष्ठता प्रदान की है और इस कारण कि पुरुष अपने माल ख़र्च करते हैं ।"

(कुरआन, 4:34)

कन्या भ्रूण-हत्या : समस्या और निवारण

■ डॉ॰ रज़ीउल इस्लाम नदवी

कन्या भ्रूण-हत्या वर्तमान समय की गंभीर सामाजिक समस्याओं में से एक है, इसी कारण लिंग संतुलन बिगड़ रहा है । लड़कों की संख्या अधिक और लड़कियों की कम होती जा रही है । इसके कारण समाज पर अत्यधिक बुरे और ख़तरनाक प्रभाव पड़ रहे हैं । बुद्धिजीवी वर्ग चिंतित है और इस बुराई से निबटने का उपाय सोच रहा है । सामाजिक संस्थाएं भी इसकी रोकथाम की कोशिश में हैं और जिसको जो समझ में आ रहा है, कर रहा है । सरकारी स्तर पर भी इसकी रोकथाम के लिए क़ानून बनाए गये हैं । इनमें कठोरतम सज़ाओं का प्रावधान है, लेकिन इस बुराई की समाप्ति के कोई संकेत नज़र नहीं आ रहे हैं । ईश्वर की बनायी हुई प्राकृतिक व्यवस्था में इन्सानी हस्तक्षेप से पैदा होने वाली गड़बड़ियों और असंतुलन के परिणाम को इन्सान झेलने के लिए विवश है ।

पहले जनसंख्या की समस्या को हव्वा बनाकर पेश किया गया । इससे निबटने के लिए 'परिवार नियोजन' की तरह-तरह की स्कीमें बनायी गयीं । बर्थ कंट्रोल के क़ानून बने । मामला आगे बढ़ा, तो अब लिंग निर्धारण की कोशिश की जाती है । विभिन्न उपकरणों की सहायता से यह पता लगाने की कोशिश की जाती है कि भ्रूण जो मां के पेट में पल रहा है, उसका लिंग क्या है ? यदि यह पता चल जाता है कि वह लड़की है, तो गर्भपात करा दिया जाता है ।

भारत में प्रति दस वर्ष पर जनगणना होती है । सन 2001 में देश की आबादी एक अरब दो करोड़ सत्तर लाख पन्द्रह हज़ार (1,02,70,15,000) को पार कर गयी है । इनमें पुरुषों की संख्या 53,12,77,000 और महिलाओं की संख्या 49,57,38,000 बतायी गयी है, अर्थात 100 पुरुषों की तुलना में 93 महिलाएं हैं । सन 1991 की जनगणना की तुलना में यह अंतर और भी अधिक था ।

(राष्ट्रीय सहारा, 7 सितम्बर 2006)

देश के कई राज्यों में लड़कों और लड़कियों के बीच अनुपात में बहुत अंतर है । इनमें विशेष रूप से गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश उल्लेखनीय हैं । इन राज्यों में 1000 लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या 800-900 के बीच है । सन 1991 की जनगणना में पंजाब में 1000 लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या 875 थी, जो सन 2001 में घटकर 793 हो गयी । इसी तरह महाराष्ट्र में सन 1991 की जनगणना में 1000 लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या 948 थी, जो सन 2001 में घटकर 917 हो गयी है ।

(राष्ट्रीय सहारा, 22 अगस्त, 2006)

राजस्थान के सरहदी इलाक़े जैसलमेर की आबादी में 1000 लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या केवल 785 है । (राष्ट्रीय सहारा, 9 सितम्बर, 2006)

आगरा डिवीज़न में 1000 लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या फ़िरोज़ाबाद में 887, एटा में 891, आगरा में 866, मथुरा में 872, हाथरस में 886 और अलीगढ़ में 885 है । (राष्ट्रीय सहारा, 29 मई, 2006)

लड़कियों से छुटकारा पाने का यह रुझान समाज में लड़कियों को कम हैसियत हासिल होने की वजह से है । उन्हें लड़कों की तुलना में कमतर समझा जाता है । उनके अस्तित्व को माता-पिता अपने ऊपर बोझ समझते हैं । उनका लालन-पालन, उनकी सुरक्षा, उनके विवाह में होने वाली परेशानियां आदि उनके लिए बोझ बन जाती हैं । इन सबके अतिरिक्त भी बच्चियों के मामले में ऐसी नाज़ुक और संगीन समस्याएं सामने आती रहती हैं कि मां-बाप इसी में भलाई समझता है कि जन्म से पहले ही उससे छुटकारा पा लिया जाए ।

जब अल्लाह के अन्तिम ईशदूत इस दुनिया में आये, उस समय भी लड़कियों को भारी बोझ समझा जाता था । उनके माता-पिता को इस बात की आशंका सदैव सताती रहती थी कि अच्छा रिश्ता न मिलने की स्थिति में उन्हें अपनी बेटी की शादी दूसरे क़बीलों में करनी होगी । यह भी ख़तरा रहता था कि लुटेरे जब आक्रमण करेंगे, तो वे उन्हें पकड़ ले जाएंगे और उन्हें दासियां बना लेंगे । यही कारण

था कि जब उनमें से किसी के यहां लड़की पैदा होती थी, तो उसका चेहरा उतर जाता था ।

"और जब उनमें से किसी को बेटी की शुभ सूचना मिलती है तो उसके चेहरे पर कलौंस छा जाती है और वह घुटा-घुटा रहता है । जो शुभ सूचना उसे दी गयी वह (उसकी दृष्टि में) ऐसी बुराई की बात हुई कि उसके कारण वह लोगों से छिपता-फिरता है कि अपमान सहन करके उसे रहने दे या उसे मिट्टी में दबा दे । देखो कितना बुरा फ़ैसला है जो वे करते हैं ।" (क़ुरआन, 16:58-59)

लड़कियों से छुटकारा पाने के लिए इस्लाम के आगमन से पहले अरब के कुछ क़बीलों (Tribes) में बड़ी घिनौनी-घिनौनी प्रथाएं थीं–

"जब जन्म का समय क़रीब आता, तो एक गढ़ा खोद दिया जाता था । फिर यदि लड़की पैदा होती, तो जन्म के तुरंत बाद उसे गढ़े में दफ़्न (गाड़) कर दिया जाता था ।"

(इब्ने-अब्बास)

"लड़की पैदा होते ही उसे मारकर कुत्ते के आगे डाल दिया जाता था ।" (क़तादा)

(क) "किसी पहाड़ की चोटी पर ले जाकर फेंक दिया जाता था ।

(ख) पानी में डुबा दिया जाता था ।

(ग) ज़िब्ह (वध) कर दिया जाता था ।

(घ) जब वह कुछ बड़ी हो जाती थी, तो एक दिन उसे ख़ूब सजा-संवार कर रेगिस्तान में ले जाया जाता था, जहां ख़ूब गहरा गढ़ा खोदकर उसमें धकेल दिया जाता था और ऊपर से मिट्टी बराबर कर दी जाती थी ।"

(तफ़सीर कबीर)

आज की परिस्थितियां भी कुछ अलग नहीं हैं । जैसलमेर (राजस्थान) के एक गांव 'देवड़ा' के बारे में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है कि वहां पिछले 100 वर्षों में किसी बच्ची की शादी नहीं हुई है । पैदा होते ही उन्हें मार दिया जाता है । कभी-कभी तो यह काम ख़ुद उनकी मां करती है । वह अपने दूध के साथ बच्ची को अफ़ीम खिला देती है । नाक पर रेत की पोटली रख देती है या मुंह और नाक में रेत भर देती है । मुंह पर रजाई या तकिया रख देती है, ताकि बच्ची का दम घुट जाए, या मुंह में नमक भर देती है ।

(राष्ट्रीय सहारा, 9 सितम्बर, 2006)

समाज का वह वर्ग जो अपने को एडवांस मानता है, वह तो इतना निर्दयी होता है कि शिशु के जन्म तक की भी प्रतीक्षा नहीं करता । गर्भ में ही स्केनिंग करके पता लगा लिया जाता है कि गर्भ में पलने वाली नन्हीं-सी जान लड़का है या लड़की । यदि लड़की हुई, तो गर्भपात करा दिया जाता है । इस तरह भ्रूण-हत्या रोकने के लिए सन 1994 में क़ानून बनाया गया । (Natal Diagnostic Technique Regulation and Prevention of MisuseAct) इस क़ानून के तहत बच्चे के लिंग का पता लगाना क़ानूनी अपराध समझा गया, लेकिन इसके बावजूद हर साल 5-7 लाख लड़कियों की मां के गर्भ में ही हत्या कर दी जाती है ।

(राष्ट्रीय सहारा, 6 जून, 2006)

इस तरह के Fertility Centre पर समय-समय पर छापा भी मारा जाता है । इस काम में लिप्त डॉक्टरों को गिरफ़्तार भी किया जाता है, उनके विरुद्ध मुक़दमे भी चलते हैं और उन्हें सज़ा भी दी जाती है, मगर इन तमाम कोशिशों के बावजूद इस सामाजिक बुराई का ख़ात्मा तो क्या, इसके फैलाव को रोकना भी संभव नहीं हो सका है ।

इस्लामी उपाय

इस्लाम भ्रूण-हत्या को गंभीर अपराध मानता है । उसको रोकने के लिए विभिन्न प्रकार की युक्तियां अपनाता है । जिन आशंकाओं और संभावित ख़तरों के कारण लोग भ्रूण-हत्या कर रहे हैं उन्हें दूर करता है । इस्लाम लड़कियों को सौभाग्यशालिनी व कल्याणकारिणी समझता है । उनके लालन-पालन और अच्छे प्रशिक्षण की भी शिक्षा देता है । सामाजिक स्तर पर यह बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुआ है ।

इस्लाम ने सबसे पहला काम यह किया कि लोगों को मानसिक रूप से इसके लिए तैयार किया । कोई भी क़ानून उस समय तक प्रभावशाली नहीं हो सकता, जब तक लोग उसे मानने के लिए तैयार न हों । लोग उसकी ख़ूबियों से अवगत न हों और उसके न मानने की हानियों को न जान जाएं । इस्लाम ने बताया कि यह एक शैतानी कार्य है–

"इसी प्रकार बहुत से बहुदेववादियों के लिए उनके साझीदारों ने उनकी अपनी संतान की हत्या को सुहाना बना दिया है, ताकि उन्हें विनष्ट कर दें और उनके लिए धर्म को संदिग्ध बना दें ।" (क़ुरआन, 6:137)

"वे लोग कुछ जाने-बूझे बिना घाटे में रहे, जिन्होंने मूर्खता के कारण अपनी संतान की हत्या की ।"

(क़ुरआन, 6:140)

अरब के कुछ क़बीले (Tribes) अपनी लड़कियों की हत्या केवल इसलिए कर देते थे, कि वे उन्हें आर्थिक बोझ समझते थे । लड़के तो बड़े होकर उनका हाथ बटाते थे, लेकिन लड़कियां बड़ी होकर कुछ नहीं करती थीं ।

क़ुरआन ने यह स्पष्ट किया कि आजीविका की चाबियां तो अल्लाह के हाथ में हैं । इस धरती पर जितने भी प्राणी हैं, उनकी रोज़ी का ज़िम्मा ईश्वर ने अपने ऊपर ले रखा है । कोई शक्तिशाली हो या कमज़ोर, हट्टा-कट्टा हो या अपंग, स्वयं रोज़ी-रोटी के लिए दौड़-धूप करता हो या वह किसी दूसरे पर निर्भर हो, उसे रोज़ी मिलती है, तो अल्लाह (ईश्वर) की आज्ञा और उसकी मर्ज़ी से ही–

"और निर्धनता के कारण अपनी संतान की हत्या न करो, हम तुम्हें भी रोज़ी देते हैं और उन्हें भी ।"

(क़ुरआन, 6:151)

"और निर्धनता के भय से अपनी संतान की हत्या न करो, हम उन्हें भी रोज़ी देंगे और तुम्हें भी । वास्तव में उनकी हत्या बहुत ही बड़ा अपराध है ।"

(क़ुरआन, 17:31)

लड़कियों की हत्या को उन घृणित कृत्यों में शामिल किया गया है, जिसके बारे में आख़िरत (परलोक) के दिन पूछताछ होगी–

"और जब जीवित गाड़ी गयी लड़की से पूछा जाएगा कि उसकी हत्या किस गुनाह के कारण की गयी ।"

(क़ुरआन, 81:8-9)

इस्लाम में लड़कियों की हत्या की गिनती उन कामों में सम्मिलित की गयी है, जिन्हें ईश्वर ने अवैध (हराम) क़रार दिया है–

"अल्लाह ने तुम पर हराम क़रार दिया है मां-बाप, की अवज्ञा, लड़कियों को ज़िन्दा दफ़्न करना और फ़िज़ूलख़र्ची ।"

(मुस्लिम)

सन्तान की हत्या न करने की प्रतिज्ञा

ईशदूत हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) अपने अनुयायियों से बैअत (प्रतिज्ञा) लेते समय जिन बातों का इक़रार (वादा) करवाते थे, उनमें एक बात यह भी होती थी कि अपनी संतान की हत्या नहीं करेंगे । 'हुदैबिया की संधि' के बाद और मक्का-विजय से पहले बहुत-सी महिलाएं मक्का से हिजरत (प्रवास) करके मदीना पहुंचीं । ईश्वर ने अपने ईशदूत हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) को उनसे बैअत लेने का आदेश दिया–

"ऐ नबी ! जब तुम्हारे पास ईमानवाली स्त्रियां आकर तुमसे इस पर 'बैअत' (प्रतिज्ञा) करें कि वे अल्लाह (ईश्वर) के साथ किसी चीज़ को साझी नहीं ठहराएंगी और न चोरी करेंगी और न व्यभिचार करेंगी, और न अपनी औलाद (संतान) की हत्या करेंगी और न अपने हाथों और पैरों के बीच कोई आरोप घड़कर लाएंगी, और न किसी भले काम में तुम्हारी अवज्ञा क़रेंगी, तो उनसे 'बैअत' ले लो और उनके लिए अल्लाह से क्षमा की प्रार्थना करो । निश्चय ही अल्लाह बहुत क्षमाशील, अत्यंत दयावान है ।"

(क़ुरआन, 60:12)

इसी तरह की अहद (प्रतिज्ञा) ईशदूत ने मर्दों से भी लिया । मदीना हिजरत करने से पहले यसरिब के जिन ख़ुशनसीब लोगों ने ईशदूत के हाथ पर 'बैअत' (प्रतिज्ञा) की थी उनमें हज़रत उबादा बिन सामित (रज़ि०) भी थे । वे बयान करते हैं कि ईशदूत हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने फ़रमाया–"मुझसे बैअत (प्रतिज्ञा) करो उस चीज़ पर कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराओगे, चोरी नहीं करोगे, व्यभिचार नहीं करोगे और अपनी संतान की हत्या नहीं करोगे ।" (बुख़ारी)

इस्लाम इस बात को नहीं मानता कि लड़की का अस्तित्व आदमी के लिए मुसीबत या परेशानी का कारण है, बल्कि उसने लड़की को जन्नत (स्वर्ग) में प्रवेश करने का एक साधन बताया है ।

हज़रत इब्ने-अब्बास (रज़ि०) कहते हैं कि ईश्वर के दूत हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने फ़रमाया–

"जिस व्यक्ति को दो लड़कियां हों, वह जब तक उनके पास रहें, वह उनके साथ अच्छा व्यवहार करता रहे, तो वह उसके स्वर्ग में प्रवेश का साधन बनेंगी ।"

(सुनन इब्ने-माजा)

पाठकों और विज्ञापनदाताओं से निवेदन

चेक और ड्राफ्ट केवल
'कान्ति' के नाम से बनवाएं,
'मासिक कान्ति' के नाम से नहीं ।

–मैनेजर

ڈائریاں اور کیلنڈر 2019

شب وروز (ڈائری) عام اور ڈیلکس ایڈیشن

• ہر صفحے پر قرآنی آیات واحادیث رسولؐ، انبیاء کرام، صحابۂ عظام اور بزرگان سلف کے سبق آموز اقوال، معتبر شعرا کے تعمیری اور فکر انگیز اشعار • شروع وآخر کے ۳۵ صفحات پر اہم ودل چسپ معلومات • مسنون دعائیں • خطبات جمعہ ونکاح، قربانی، عقیقے، نماز جنازہ اور استخارے کی ماثورات • نقشہ اوقات نماز • اہم سفارت خانے • جماعت اسلامی ہند کے مرکزی وصوبائی دفاتر • ہر ماہ کا Index اور Planner • راجیہ سبھا کے مسلم ممبران کے پتے کے علاوہ بہت ساری دوسری معلومات سے مزین ایک دل چسپ و مفید ڈائری۔
صفحات ۴۱۶: نفیس کاغذ، مضبوط ریکسین کور، کور پر ربن لگا ہوا ڈیلکس بائنڈنگ۔

نوٹ: شب وروز ڈائری پہلی بار انگریزی میں بھی شائع ہو رہی ہے۔

اسلامی ڈائری (پاکٹ سائز)

• ہر صفحہ قرآنی آیات، احادیث رسولؐ، بزرگوں کے اقوال اور بزرگ وتعمیر پسند شعرا کے تعمیری وفکر انگیز اشعار سے مزین
• ۲۵ صفحات پر مشتمل اہم اور ضروری معلومات • کل صفحات: ۲۰۸ نفیس اور عمدہ کاغذ۔

کیلنڈر

• چار رنگوں پر مشتمل سفید آرٹ پیپر پر نفیس طباعت
• اردو، ہندی اور انگریزی تراجم کے ساتھ ایک دیدہ زیب کیلنڈر
• 15X20 سائز میں ۳ ورقی دوطرفہ طباعت، خوب صورت قدرتی مناظر اور ہر مہینے کی تاریخیں نمایاں حروف میں۔

نوٹ

• اسلامی کیلنڈر اور شب وروز ڈائری پر اپنے ادارے کا نام چھپوانے کے لیے ۱۵/ اکتوبر ۲۰۱۸ء تک تفصیلات لازماً ارسال فرمادیں۔
شب وروز اور کیلنڈر کے لیے کم از کم مطلوبہ تعداد بالترتیب 100 اور 1000 ہے۔

سب ڈپو سے رابطہ کے لیے

بنگلور : 080-26701306
حیدرآباد: 040-66710339
ممبئی : 09699352114
گوا : 09822163132

مرکزی مکتبہ اسلامی پبلشرز، نئی دہلی ۲۵ | MMI PUBLISHERS
D-307,Dawat Nagar,Abul Fazl Enclave,Jamia Nagar,New Delhi-110025
Phone: 26981652,26984347 Mob: 7290092401
E-mail: info@mmipublishers.net,mmipublishers@gmail.com Website: www.mmipublishers.net

अपाहिज

■ सैयद नफ़ीस अहमद संभली

गंगा नदी की तलहटी में बाज़ीपुर गांव था । जिसमें पंडित, ठाकुर, नाई, धोबी, जाटव, पठान और प्रजापति लोग रहते । गांव वालों की आर्थिक स्थिति अच्छी न थी । कुछ लोग खेती करते तो कुछ मज़दूरी । अधिकांशत: लोग अपने पैतृक कार्य में संलग्न थे । संपूर्ण गांव अशिक्षित था । उनके टूटे हुए कच्चे मकान थे । गली-कुचे धूल से भरे थे । हर समय मेहनत और कठोर परिश्रम की चक्की में पीसते रहने के कारण भी इस गांव के लोग देश भक्ति में सबसे आगे थे । स्वतंत्रता की भयानक आंधियों ने इस गांव के कई परिवारों के दीपक सदा के लिए बुझा दिये थे ।

सन 1947 ई॰ में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो बाज़ीपुर गांव की जितनी तीव्र गति से उन्नति हुई, संभवत: किसी अन्य गांव की हुई होगी, क्योंकि इस गांव में उन शहीदों की संतानें बसी थी । जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए हंसते-हंसते मौत को अपने गले लगाया था । अंग्रेज़ी साम्राज्य के अत्याचारों का वीरता से सामना किया था । इसी गांव में ठाकुर राठे सिंह को स्वतंत्रता का नारा लगाने पर अंग्रेज़ी सरकार ने घोड़ों की टापों से कुचल कर मार डाला था । उसके मकान को आग लगा दी थी । उसकी पत्नी प्रेमा देवी को गांव की सड़कों पर घुमाया था । उसके नौ वर्ष के निर्दोष पुत्र जानकी सिंह के मुंह पर एक अंग्रेज़ अधिकारी ने चाटे मारे थे । प्रेमा अपने पुत्र को लेकर अपने पीहर चली गयी और वहीं रहने लगी थी ।

समय कभी किसी का एक-सा नहीं रहता, न कभी किसी की प्रतिक्षा करता है, सदैव अपने उतार-चढ़ाव दिखाता आगे ही बढ़ता रहता है । धीरे-धीरे प्रेमा को भूतकाल में मिले सारे दुख धूमिल हो गये । जानकी ने ननिहाल में रहकर कक्षा आठ तक की शिक्षा प्राप्त कर ली । वह जवान हो गया तो प्रेमा फिर बाज़ीपुर में आ गयी । उसने अपने टूटे मकान को ठीक करा लिया और छप्पर डालकर रहने लगी । जानकी अपने पिता जैसा था । उसका साफ़ रंग, लम्बा क़द, चौड़ी छाती, ऊंचा माथा, खड़ी नाक, बड़ी-बड़ी आंखें और अच्छा स्वास्थ्य था । वह अपने पिता की आठ बीघे ज़मीन में खेती करता, परन्तु खेती-बाड़ी में उसका मन न लगता । वह अपनी मां से सेना में भर्ती होने की इच्छा व्यक्त करता तो प्रेमा उससे भयभीत होकर कहती–

"न बेटा न ! फ़ौज वाले बरे ज़ालिम हो, तेरे पिता को मार दओ ।"

"हां मैंने देखा ।"

"का तो को याद है !?"

"हां मेरे सामने मारा ।"

"कैसे !?"

जानकी ने कोई उत्तर न दिया । उसके सामने उसका भूतकाल आ खड़ा हुआ । क्रोध से चेहरा तमतमाने लगा । जबड़े अकड़ने लगे, नाक के नथने फूल गये, जैसे सारे शरीर का रक्त मुख पर आ गया हो । प्रेमा ने उसकी ओर देखा तो शीघ्र अपनी बात से पलटते हुए बोली–

"अरे बेटा ! उन्होंने तो न जाने कितने मार दये ।"

"मां ! मैं उन दुष्टों से बदला लूंगा ।"

"अरे बेटा ! अब का बदला लेगा ? वह तो या से गये ।" वह खुरी खाट पर बैठ गया जैसे प्रेम ने उसके मन में जलती आग पर पानी डाल दिया हो । उसी समय द्वार पर मंगा ने उसे आवाज़ लगायी ।

"जानकी रे ! चल ज़मीन का पलेवा करेंगे अब तो पूरवा है, पच्छवा चलेगी तो ज़मीन और सूख जाएगी ।" वह बाहर आया तो देख द्वार पर मंगा और भैरव सिंह दोनों हैं । वह उनके संग जंगल की ओर चला गया । जानकी, मंगा और भैरव सिंह आपस में घनिष्ठ मित्र और एक ही आयु के थे ।

थोड़ी दूर जाने पर ब्रज मोहन का खेत था । उसमें गांव के ही अमजद ख़ां और अज़ीज़ ख़ां मज़दूरी करते दिखायी दिये तो मंगा ने विनम्र स्वर में उनसे कहा ।

''ख़ान भय्या ! दो दिना हमारी ईख छिलवा दो, मज़ोरी दूंवा ।'' अमजद ख़ां जानता था । मंगा कन्जूस, दुर्व्यवहारी और सिर पर सवार होकर मज़दूरों से काम कराता है । कभी-कभी तो यह मज़दूरी तक नहीं देता, यही सोचकर उसने टालते हुए कहा–

''समय मिलेगा तो करा देंगे ।''

''न, भय्या ! तू मेरा काम तो ज़रूर करा दे ।''

उसके आग्रह पर ख़ान ने दो दिन उसके खेत में काम करना स्वीकार कर लिया । वह दूसरे दिन से मंगा के खेत में काम करने लगा । जानकी उसी दिन मेरठ जाकर फ़ौज में भर्ती हो गया । अपनी सारी खेती-बाड़ी मंगा को सौंप गया । जिसको वह पूरी ज़िम्मेदारी से पूरा करता ।

अमजद ख़ां पेशावर का रहने वाला था । देश के विभाजन ने उसे बरबाद कर दिया तो वह बाज़ीपुर गांव में आकर रहने लगा । दोनों भाई मेहनत-मज़दूरी करके अपना पेट भरते ।

सरकार ने बाज़ीपुर में चिकित्सालय खुलवाया, बैंक, डाकघर, पशुओं का चिकित्सालय खुल जाने से लोगों को बहुत लाभ हुआ, गली-कुचे पक्के हो गये । घर-घर बिजली आ गयी, तीन सरकारी ट्यूबवेल बने, जिससे किसानों को बहुत लाभ हुआ । किसानों को ऋण से मुक्त कर दिया गया । एक प्रा०पा० का भी निर्माण हुआ । इस प्रकार विकास कार्य होते देख लोग प्रसन्न थे । इस प्रकार लोगों की आर्थिक स्थिति भी सुधरी ।

मंगा गांव के विकास कार्यों की सूचना अपने पत्रों के माध्यम से जानकी को देता तो वह उन्हें पढ़कर बहुत प्रसन्न होता । वह उत्तर में मंगा को लिखता ।

''सरकारी योजनाओं का ख़ूब लाभ उठाना और सरकार की हर आज्ञा का पालन करना ।''

पूस का महीना था । कोहरे की अधिकता ने दिन के प्रकाश को अपनी मैली-सी चादर में लपेट लिया था । ठिठूरन भयानक रूप धारण किये हुए थी । परन्तु कोहरा हो या पाला, ग़रीबी कभी किसी को चैन से नहीं बैठने देती । अमजद ख़ां अगले दिन अपने भाई के संग मंगा के खेत में मज़दूरी करने पहुंच गया । दोनों ईख छीलकर गन्नों का ढेर लगाते रहे और मंगा उनके गट्ठर बांध-बांधकर गाड़ी में लादता और मील तक पहुंचाता ।

संध्या के चार बजे तक मंगा ने दोनों को एक क्षण के लिए भी विश्रय न करने दिया । सर पर सवार रहा और काम तीव्र गति से करने का तक़ाज़ा करता रहा । उसने उन्हें भोजन तक न करने दिया, जबकि भोजन उनके पास था । उसी समय गांव में से एक धोबी दौड़ा हुआ आया और मंगा से कहने लगा–

''मंगा तेरी महतारी को तकलीफ़ है, उसे डॉक्टर को दिखा ला ।''

''अरे, मोको काम है, मैं न जा रओ ।'' उसने क्रोध में कहा । वह अपनी ईख ढोता रहा । मज़दूर काम करते-करते थक चुके थे । बेजान फीकी-सी धूप निकल रही थी । मज़दूर तीव्र गति से काम करने में लगे थे । मंगा उनसे फिर भी तेज़ काम करने का तक़ाज़ा कर रहा था । न जाने क्या सोचकर अमजद ख़ां ने मंगा से कहा–

''अय ईख छील रयें, तुम अपनी मां को देख आओ ।''

''तुम काम करो जी, मैं न जा रओ ।'' उसने झल्ला कर कहा ।

''तू न जागा, तो अम यह गड़ासा तेरी गर्दन पे मार देगा ।'' मंगा चकित और भयभीत होकर ख़ान का मुंह देखने लगा । वह सोचने लगा–

''यह कमबख़्त उजड़ लोग होते हैं, अपने आगे किसी की नहीं सुनते, यदि मैं न गया, तो यह मार भी सकता है, मैं मर जाऊंगा, शारदा विधवा हो जाएगी, यह जेल चला जाएगा, परन्तु कुछ दिन बाद यह दुष्ट फिर आ जाएगा, मैं तो वापस नहीं आ सकता, इस समय यहां से मेरा जाना ही अच्छा है ।''

मंगा वहां से तुरंत चल दिया । खेत और गांव के बीच शीशम का एक वृक्ष था । वह उस पर चढ़कर अपने खेत की ओर देखने लगा । उसने देखा दोनों मज़दूर बैठे खाना खा रहे हैं । गड़ासे उनके पास रखे हैं । वह कुछ देर तक इधर-उधर घूमता रहा । फिर भयभीत स्थिति में ही खेत पर आया तो दोनों को काम करते पाया । संध्या समय कार्य पूरा हो गया तो मंगा ने उनकी मज़दूरी देने में तनक भी देर न की ।

जानकी एक वर्ष बाद गांव वापस आया तो गांव की उन्नति को देखकर खुशी से फूला न समाया । गली-कुचे पक्के, गन्दगी का नाम न था । हर घर में बिजली,

जगह-जगह सरकारी नल, गांव से नगर तक पक्की सड़क, सरकार की ओर से सभी सुविधाएं उपलब्ध थी । बाज़ीपुर गांव अब किसी के लिए अपरिचित न था । पड़ोसी गांव उसकी उन्नति पर गर्व करते । परन्तु दुख यह था, गांव वाले सारी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते, परन्तु कोई सहयोग न करते, जबकि उन्हें सभी सरकारी कर्मचारी समझाते, फिर भी उन पर कोई प्रभाव न होता । वह अपनी शराब और जुआ की लत में मस्त रहते । कोई अधिक कहता तो लड़ने-झगड़ने को तैयार हो जाते, जानकी भी उन्हें समझाते-समझाते अपनी नौकरी पर चला गया ।

एक बार गांव में चेचक का रोग फैल गया । कई बच्चों के प्राण तक चले गये । लोग पंडितों और मौलवियों में दौड़ने लगे । परन्तु जो लोग अपने बच्चों को चिकित्सालय ले गये और टिके लगवाए वह सब ठीक हो गये । डॉक्टरों की टीमें घर-घर घूमीं दवाएं दीं, टीके लगाए तो इस भयानक रोग से गांव वालों को छुटकारा मिला । परन्तु गांव वाले फिर भी पंडितों और अपने मुल्लाओं के ही गीत गाते ।

एक दिन जानकी को प्रेमा की बीमारी की सूचना मिली तो वह बाज़ीपुर आया । जब उसने गांव में प्रवेश किया तो उसे तालाब के पास पाठशाला में गाय, बैल, भैंसों के गोबर के ढेर दिखायी दिये और जब वह भूस के बाग़ों के पास आया तो मनोज धोबी अपने पुत्र को कंधे से लगाए गांव में से आता दिखायी दिया । जानकी ने उसे राम-राम की, फिर उससे पूछा–

"चाचा ! भय्या को क्या हो गया !?"

"अरे लल्ला को हवा छू गओ, टागें सुख गओ, पंडित जी के धोरे जा रिया हूं ।"

जानकी ने गांव की सड़क पर बच्चों को खेलते देखा, उनमें कोई लंगड़ा, कोई बहरा, कोई काना, कोई गूंगा, कोई हाथों से अपाहिज था । उसे ऐसा आभास हुआ जैसे देश के होने वाले भावी पीढ़ी सभी अपंग हों । वह नयी पीढ़ी जिस पर देश का भविष्य निर्भर करता है, मृत हो गये हों, वह गांव की इस दुर्गति पर आंसू बहाते हुए अपने घर में आया और प्रेमा की सेवा में लग गया । उसने मंगा से पूछा–

"गांव के बालक कैसे अपाहिज हो गये !?"

"अरे भय्या ! पोलियो दवाई न पिलाई, तो सीगरे गांव के बालक अपाहिज हो गओ ।"

धमाल

दीवानी है नयी पीढ़ी
ब्रैंडिड वस्तुओं की ।
ब्रैंड वही जो चर्चा में हो
फ़िक्र किसे भला क़ीमत की !
जितना कठिन हो पुकारना
ब्रैंड का नाम
उतना ही ऊंचा लगता है
उस वस्तु का दाम ।

सब कुछ बिकता है
ब्रैंड के नाम पर
ब्रैंड हावी है
क्वालिटी और दाम पर ।

खुलते जा रहे हैं नये-नये मॉल
एक से एक विशाल
अधिकाधिक माडर्न
खिंचे जाते हैं नये के आकर्षण में
युवा ही नहीं
हर आयु के हर वर्ग के
महिला पुरुष ।

ख़रीदने ही नहीं
घूमने-फिरने भी खाने-पीने भी
मिलने-मिलाने भी समय बिताने भी
वहां उपलब्ध
नये सामानों का परिचय पाने भी ।

फ़ैशन की बलिहारी
देखा-देखी भेड़चाल
चमक-दमक टीमटाम
दिखावा ही दिखावा
बनावट ही बनावट
फिर भी बावले हो रहे हैं लोग
मचा हुआ है धमाल !

ओमप्रकाश बजाज
जबलपुर, म०प्र०

इस्लामी कल्याणकारी व्यवस्थाएं

■ मौलाना सैयद जलालुद्दीन उमरी

एक व्यक्ति अपनी जिन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों का मुहताज होता है, उसी प्रकार की आवश्यकताएं समाज के अन्य बहुत-से व्यक्तियों की भी हो सकती हैं । जनकल्याण के काम इन सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही किये जाते हैं । ये दो प्रकार के होते हैं । कुछ सेवाएं तो वे हैं जिनसे समाज की सामान्य आवश्यकताएं पूरी होती हैं, उनका लाभ पूरी आबादी या उसके बड़े भाग को प्रत्यक्ष रूप से पहुंचता है । कुछ सेवाएं वे हैं जो समाज की विशिष्ट आवश्यकताएं पूरी करती हैं, परन्तु कुल मिलाकर इनसे भी पूरे समाज को लाभ होता है । इस्लाम ने दोनों प्रकार की सेवाओं की ओर ध्यान आकृष्ट कराया है ।



जनकल्याण के काम व्यक्ति भी करते हैं और संस्थाएं भी । बहुत-सी सेवाएं कल्याणकारी राज्य के दायित्वों में सम्मिलित हैं । वह अपने साधनों का अधिकांश भाग उन पर ख़र्च करता है । यहां यह बताना ज़रूरी नहीं है कि उनकी सीमाएं क्या हैं, एक का कार्यक्षेत्र कहां समाप्त होता है और कहां से दूसरे का शुरू होता है ? स्पष्ट है कि साधनों के अनुपात में उनका क्षेत्र घटता और बढ़ता चला जाएगा । इन सबके बीच सहयोग एवं योगदान भी हो सकता है और होना ही चाहिए । इससे उत्तम और हितकारी परिणामों की आशा की जा सकती है ।

इस्लाम अपने समस्त आदेशों में मूलत: व्यक्ति ही को संबोधित करता है । इसका कारण यह है कि संस्थाएं हों अथवा राज्य, सबकी बुनियाद व्यक्ति ही है । वही उनके ढांचे की रचना करता और उनके स्वभाव को बनाता है । इस विषय में भी उसने सर्वप्रथम व्यक्ति को संबोधित किया है ।

पवित्रता एवं स्वच्छता की शिक्षा एवं व्यवस्था

हितकारी सेवाओं में से एक सेवा यह भी है कि लोगों में पाकी-सफ़ाई (पवित्रता एवं स्वच्छता) की चेतना जागृत की जाए, उसकी आवश्यकता तथा महत्व ज़ेहन में बिठाया जाए, गन्दगी और मलिनता की हानि स्पष्ट की जाए और उससे घृणा उत्पन्न कराई जाए । छोटी या बड़ी आबादियों में सफ़ाई की निगरानी की जाए, इस मामले से संबंधित समस्याओं का समाधान किया जाए और इस बात का प्रयास किया जाए कि लोग गन्दगी में रहने को बाध्य न हों । इन सब बातों को पश्चिम की देन समझा जाता है । हालांकि इस सिलसिले में इस्लाम ने आदर्श भूमिका निभाई है । वह गन्दगी से घृणा और स्वच्छता से लगाव की भावना को उभारता है । इसके लिए शिक्षण-प्रशिक्षण, प्रेरणा तथा उत्साहवर्धन से काम लेता है । वह पवित्रता एवं स्वच्छता का उत्कृष्ट विचार देता है और उसके अनुसार समूचे समाज को तैयार करता है ।

मार्ग से कष्ट दूर करना

किसी देश की आर्थिक एवं भौतिक उन्नति में यातायात के साधनों की बड़ी भूमिका होती है । जहां मार्ग साफ़-सुथरे

जनहित के कामों का महत्व

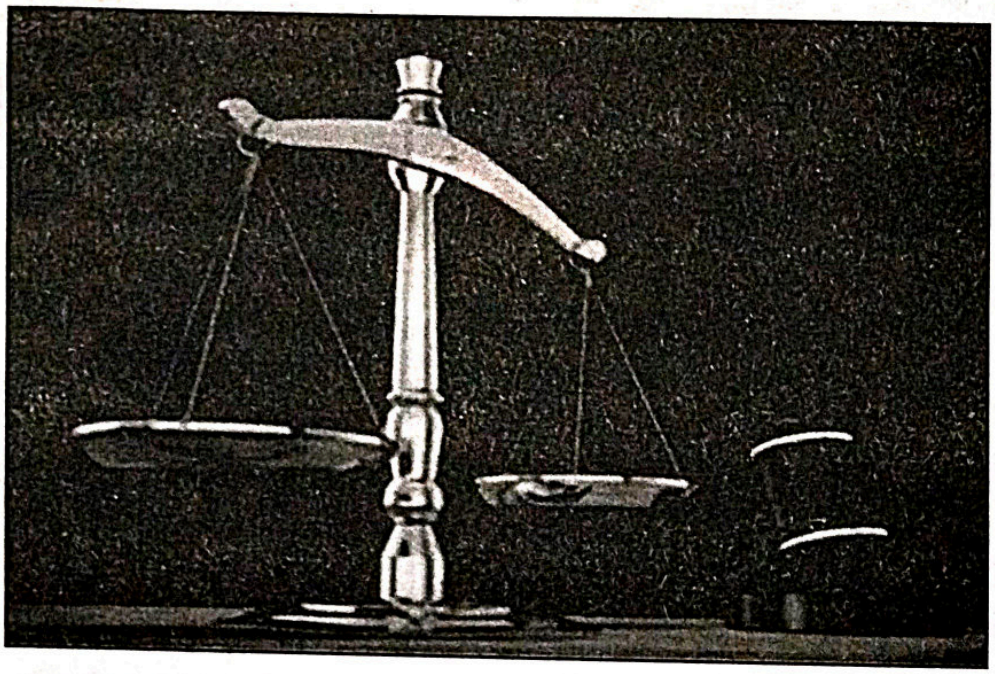

और सुरक्षित हों, यात्रा की कठिनाइयां कम से कम हों और सहूलतें व सुगमता अधिक से अधिक पाई जाएं, वहां उन्नति एवं प्रगति के अवसर भी उसी अनुपात में बढ़ते चले जाते हैं । इसी उद्देश्य से सड़कों और पुलों का निर्माण होता है, ख़तरनाक मार्गों को यात्रा के योग्य बनाया जाता है, मार्ग-चिन्ह लगाए जाते हैं, ट्रैफ़िक (यातायात) के नियम बनाए जाते हैं, यात्रा को दुर्घटनाओं से सुरक्षित रखने का प्रयत्न किया जाता है और यात्रियों को सुविधा एवं आराम पहुंचाया जाता है । आधुनिक युग ने अंतरिक्ष यात्रा के मार्ग खोल दिए हैं । इसकी अपनी ख़ास समस्याएं हैं जिनके समाधान के प्रयत्न भी निरंतर हो रहे हैं ।

मार्ग की बड़ी-बड़ी कठिनाइयों और रुकावटों को दूर करना और यात्रा को सरल व सुगम बनाना, वास्तव में राज्य का एक बुनियादी दायित्व है । संसार का प्रत्येक कल्याणकारी राज्य इस दायित्व को स्वीकार करता है, परन्तु इसमें व्यक्तियों का सहयोग अत्यावश्यक है । जहां व्यक्ति जागरूक और प्रशिक्षित हों, उनके मन में अल्लाह का डर तथा इन्सानों की भलाई और सहानुभूति की भावना हो, वहां यह काम सरल होता है । अन्यथा अनेक उपायों के बावजूद यात्रा कठिनाइयों से सुरक्षित नहीं हो सकती । क़दम-क़दम पर कष्ट तथा रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है । कभी यात्री भयंकर दुर्घटना का शिकार भी हो सकता है । इन सब बातों के अनुभव रात-दिन होते रहते हैं ।

इस प्रकार की हितकारी सेवाओं के दायित्व का भार इस्लाम के निकट भी राज्य पर ही होता है, परन्तु उसने इस मामले में व्यक्ति को भी सम्मिलित किया है और उसकी भूमिका के महत्व को भी स्पष्ट किया है । उसने व्यक्ति को जिन जनहित संबंधी सेवाओं की स्पष्ट शब्दों में शिक्षा दी है उनमें से एक यह है कि वह मार्ग को साफ़ और सुगम रखे और उन पर जो रुकावटें एवं बाधाएं हों उन्हें दूर करे । इस विषय की कुछ रिवायतें यहां प्रस्तुत की जा रही हैं । हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि॰) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने फ़रमाया–

● "ईमान की सत्तर से अधिक या साठ से अधिक शाखाएं हैं । उनमें सबसे श्रेष्ठ और ऊंची शाखा 'ला इला-ह इल्लल्लाह' (अल्लाह के अलावा कोई पूज्य नहीं) का कथन है और सबसे छोटी शाखा रास्ते से कष्ट को दूर करना है । लज्जा भी ईमान ही की एक शाखा है । (मुस्लिम)

अल्लाह पर ईमान से व्यक्ति के अन्दर उसके बन्दों को राहत पहुंचाने की भावना जागृत और विकसित होती है । यदि ईमान सही तौर पर दिल में मौजूद हो तो व्यक्ति का प्रयत्न होगा कि उसके द्वारा दूसरों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचे । इसी का एक छोटा-सा पहलू हदीस में बयान हुआ है । कोई भी ईमान वाला व्यक्ति रास्ते में पत्थर, कांटें, कूड़ा-करकट और गन्दगी जैसी चीज़ें जिनसे जनता को कष्ट पहुंचता है, सहन नहीं करेगा बल्कि वह उन्हें हटा देगा ।

हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि॰) से उल्लिखित है कि अल्लाह

के रसूल (सल्ल॰) ने फ़रमाया–

● "मैंने जन्नत में एक व्यक्ति को चलते-फिरते देखा (जिसका प्रमुख अमल यह था कि) उसने रास्ते में मौजूद एक ऐसा पेड़ काट दिया था जो लोगों को कष्ट दे रहा था।" (मुस्लिम)

अभिप्राय यह कि उसने लोगों के रास्ते से एक कष्ट (देने वाली वस्तु) को दूर किया तो उसके लिए जन्नत (स्वर्ग) की राह सरल हो गयी और उसके लिए किसी बाधा के बिना जन्नत के बाग़ों में घूमना संभव हो गया।

हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि॰) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने फ़रमाया–

● "एक व्यक्ति ने राह चलते हुए (रास्ते में आयी) एक कांटेदार झाड़ी देखी। उसने उसे वहां से हटा दिया। अल्लाह ने उसके इस कर्म को पसन्द किया और उसको बख़्श दिया।" (मुस्लिम, बुख़ारी)

एक अन्य हदीस में इस प्रकार है–

● "एक व्यक्ति एक रास्ते से जा रहा था कि उसने रास्ते के बीच में वृक्ष की एक बड़ी शाखा देखी। उसने मन में सोचा कि ख़ुदा की क़सम! मैं इसे मुसलमानों के रास्ते से हटा दूंगा ताकि यह उन्हें कष्ट न दे। अत: अल्लाह ने उसे जन्नत में पहुंचा दिया।" (मुस्लिम)

ऊपर की हदीस में उस व्यक्ति को जन्नत का हक़दार ठहराया था जिसने एक कांटेदार झाड़ी को काट दिया था जिससे रास्ते में लोगों को कष्ट हो रहा था। परन्तु इस हदीस में रास्ते से केवल एक शाखा के हटाने पर उसकी शुभसूचना दी गयी है। इसका अर्थ यह है कि लोगों के रास्ते से छोटे-से-छोटा कष्ट दूर करना और उनको साधारण से साधारण लाभ पहुंचाना भी इन्सान को जन्नत जैसी शाश्वत नेमत का हक़दार बना देता है।

हज़रत अबू बरज़ा असलमी (रज़ि॰) ने अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) से निवेदन किया–

● "आप मुझे कोई ऐसी बात बता दीजिए जिससे फ़ायदा उठा सकूं। आपने फ़रमाया–मुसलमानों के रास्ते से कष्ट दूर कर दो।" (मुस्लिम, इब्ने माजा)

यद्यपि इन हदीसों में केवल रास्ते का कष्ट दूर करने का उल्लेख है, परन्तु जैसा कि इमाम नववी ने लिखा है, "इनमें मुसलमानों को लाभ पहुंचाने और उनकी हानि को दूर करने वाले प्रत्येक कर्म की श्रेष्ठता को चिन्हित किया गया है।" (शरह मुस्लिम : 2/328 भारत में प्रकाशित)

यहां यह बात भी सामने रहनी चाहिए कि ये हिदायतें मुस्लिम समाज को सामने रखकर दी गयी हैं, अत: इनमें मुसलमानों के रास्ते से कष्ट (या कष्टदायक चीज़) दूर करने का उल्लेख है। अन्यथा यह एक आम आदेश है। किसी भी इन्सान के रास्ते से कष्ट का दूर करना नेकी और सवाब का काम है। अत: इन्हीं रिवायतों में से कुछ में 'अन्नास' (यानी आम लोग) का शब्द प्रयुक्त हुआ है जो जनसाधारण के लिए है।

"हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि॰) अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) से उद्धृत करते हैं–कोई व्यक्ति मार्ग से कष्ट दूर करता है, तो यह भी एक सदक़ा है।" (बुख़ारी)

रास्ते से कष्ट दूर करने का जो प्रतिदान (सवाब) बयान हुआ है, इस हदीस से इसका स्पष्टीकरण होता है। सदक़े या दान का उद्देश्य विपत्ति में किसी की सहायता करना और उसे राहत व आराम पहुंचाना है। रास्ते से कष्ट दूर करने का उद्देश्य भी यही है कि राही को कष्ट न पहुंचे और वह सकुशल एवं सरलतापूर्वक रास्ते तय कर इस विचार से यह एक सदक़ा या दान है। (फ़तहुल बारी : 5/70)

रास्ते की कष्ट और बाधाएं हर प्रकार की होती हैं। उनको दूर करना और राह चलना आसान बनाना एक दीनी और धार्मिक काम है और मुसलमान इस पर उत्कृष्ट अज्र व प्रतिदान की आशा कर सकता है।

सराय एवं होटल का निर्माण करना

इसी से मिलती-जुलती सेवा होटलों और सरायों (मुसाफ़िरख़ानों) का निर्माण है, जहां यात्रियों को उचित सहूलतें प्राप्त हों और वतन से दूर होने के कारण उन्हें कष्टों का सामना न करना पड़े। हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि॰) की एक रिवायत से इसका अज्र और सवाब तथा श्रेष्ठता स्पष्ट होती है। अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने फ़रमाया–

"मोमिन की मृत्यु के बाद भी जिन कर्मों और नेकियों का सवाब उसे पहुंचता रहता है उनमें ये चीज़ें भी सम्मिलित हैं, वह ज्ञान जो उसने सिखाया और फैलाया, नेक सन्तान जो उसने छोड़ी (क्योंकि उनको नेकी के मार्ग पर डालने में

उसकी कोशिशों का दख़ल था), क़ुरआन शरीफ़ जिसका उसने अपने बाद किसी को वारिस बनाया या जो मस्जिद उसने बनवाई या मुसाफ़िरों के लिए कोई मकान जिसका उसने निर्माण कराय या नहर जो उसने खुदवाई या वह सदक़ा जो उसने अपने माल से स्वस्थ दशा में अपने जीवनकाल में निकाला । इसका प्रतिदान उसे मरने के बाद भी मिलेगा ।'' (इब्ने माजा, बैहक़ी)

इस हदीस में जनहित के कुछ विशेष कर्मों का उल्लेख है और उन्हें सदक़ा-ए-जारिया (अनवरत दान) कहा गया है । इनमें यात्रियों के लिए मकान और सराय का निर्माण भी है । एक हदीस से मालूम होता है कि इस प्रकार के कामों में धन ख़र्च करना उत्तम सदक़ा है । हज़रत अबू उमामा (रज़ि॰) रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने फ़रमाया–

● ''सदक़ों में उत्तम सदक़ा (दान) यह है कि अल्लाह की राह में शिविर (ख़ेमे) की छाया उपलब्ध कराई जाए ।'' (तिरमिज़ी मुसनद अहमद : 5/270)

इस हदीस में मुजाहिदों के लिए तंबुओं और छोलदारियों की व्यवस्था करने का सवाब बयान हुआ है, परन्तु इसके तहत शिक्षण-प्रशिक्षण, धर्म के प्रचार-प्रसार तथा हज व उमरा जैसे धार्मिक उद्देश्यों के लिए केन्द्र स्थापित करना और भवन निर्माण कराना भी आ सकता है ।

पानी की व्यवस्था

पानी जीवन की मूल आवश्यकता है । आधुनिक प्रगतिशील युग में भी साफ़ और स्वच्छ पानी की उपलब्धि एक बड़ी समस्या है । इस्लाम ने इसकी ओर जिस प्रकार ध्यान आकर्षित कराया है उसका अनुमान ऊपर की इस रिवायत से लगाया जा सकता है, जिसमें अल्लाह के बन्दों के लिए नहर के निर्माण को 'सदक़ा-ए-जारिया' (अनवरत दान) कहा गया है ।

हज़रत साद बिन उबादा (रज़ि॰) की मां का देहांत हुआ तो उन्होंने चाहा कि उनकी ओर से दान-पुण्य करें । अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) से पूछा कि कौन-सा सदक़ा सबसे अच्छा है ? आपने फ़रमाया–कुआं खुदवा दो । तो उन्होंने अपनी मां के नाम से कुआं खुदवा दिया । (अबू दाऊद)

नहर और कुआं खुदवाना पानी उपलब्ध कराने का एक तरीक़ा है जो प्राचीनकाल से प्रचलित है । वर्तमान युग में ट्यूबवेल तथा नल लगाए जाते हैं । हौज़ और टैंक में पानी भरकर वितरित करना भी इसका एक तरीक़ा है । इस प्रकार इसमें पानी उपलब्ध कराने की समस्त योजनाएं आ सकती हैं और वे सब प्रतिदान की हक़दार हैं ।

ज़मीन को आबाद करना

बंजर भूमि को जोतना, बोना तथा कृषि योग्य बनाना और इसमें सहायता देना भी कल्याणकारी और हितकारी सेवा है । इससे सामूहिक रूप से समस्त क़ौम और पूरे देश को लाभ होता है । सरकार स्वयं भी बंजर भूमि को उपजाऊ बनाकर उसकी आय कल्याण-कार्यों में लगा सकती है । ऐसा भी हो सकता है कि जो लोग उन ज़मीनों को आबाद करना चाहें उन्हें अनुमति दी जाए और उन्हें सहूलतें उपलब्ध कराई जाएं । इस्लाम ने इस बात की प्रेरणा दी है और इसे नेकी का काम बताया है कि बंजर और बेकार पड़ी हुई ज़मीनों को कृषि योग्य बनाया जाए । हज़रत जाबिर (रज़ि॰) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने फ़रमाया–

● ''जिसने किसी निर्जीव भूमि को जीवन प्रदान किया उसे इसका अज्र (प्रतिदान) मिलेगा, उससे ज़रूरतमंद (इन्सान, पशु, पक्षी आदि) जो कुछ खाएंगे वह सब उसकी ओर से सदक़ा है ।'' (मुसनद अहमद : 3/327)

किसी बेकार पड़ी हुई ज़मीन को जो व्यक्ति अपने परिश्रम से उपजाऊ बनाए तो उसका लाभ मूलत: उसे और उसके परिवार को पहुंचता है, क्योंकि यह परिश्रम एक जाइज़ उद्देश्य के लिए किया जाता है । अत: वह अज्र और सवाबका अधिकारी है । इसी के साथ यह भी बता दिया कि इससे कोई जीवधारी जो भी फ़ायदा उठाता है वह उसकी ओर से सदक़ा है । इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि इस परिश्रम से इन्सानों और पूरे समाज को जो लाभ पहुंचेगा उसका कितना बड़ा अज्र होगा !

वर्तमान कल्याणकारी राज्य बेकार पड़ी हुई ज़मीनों को खेती के योग्य बनाने में सहूलतें देते हैं । इस्लाम ने इससे आगे बढ़कर और डेढ़ हज़ार वर्ष पूर्व ही यह प्रयास किया कि जो व्यक्ति इस प्रकार की ज़मीन को कृषि योग्य बनाए उसे उस भूमि पर स्वामित्व के अधिकार दे दिये जाएं । हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि॰) रिवायत करते हैं कि

अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने फ़रमाया–

"जिसने किसी निर्जीव ज़मीन को जीवन प्रदान किया वह उसी की है ।" (तिरमिज़ी)

यही बात हज़रत उमर ने भी फ़रमाई है ।

(मुवत्ता, बुख़ारी)

इस विषय में निम्नलिखित निर्देश दिये गये हैं ताकि व्यक्ति के अधिकारों और समाज के हितों को क्षति न पहुंचे–

(1) किसी अन्य व्यक्ति की ज़मीन को बेकार पड़ी हुई ठहराकर उस पर अधिकार नहीं जमाया जाएगा । हज़रत आइशा (रज़ि॰) ने रिवायत की है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने फ़रमाया–

● "जिसने किसी ऐसी ज़मीन को कृषि योग्य बनाया या आबाद किया, जिसका कोई मालिक नहीं है तो वही उसका ज़्यादा अधिकारी है ।" (बुख़ारी)

इससे ज्ञात हुआ कि किसी ज़मीन को आबाद करने से उस पर व्यक्ति का अधिकार उसी समय माना जाएगा जबकि वह किसी अन्य के स्वामित्व में न हो । हज़रत सईद बिन ज़ैद (रज़ि॰) की रिवायत अधिक स्पष्ट है । वह अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) का यह कथन उद्धृत करते हैं–

"जिसने किसी निर्जीव भूमि को जीवन प्रदान किया वह उसी की है, परन्तु निष्ठुर प्रयास (अत्याचार से की हुई खेती) का कोई अधिकार नहीं है ।"

(अबू दाऊद, तिरमिज़ी)

अर्थात बंजर भूमि और ग़ैरआबाद ज़मीन को उपजाऊ बनाने वाला और आबाद करने वाला ही उसका स्वामी होगा, परन्तु किसी बहाने से दूसरे की भूमि पर क़ब्ज़ा करना और उसमें खेती शुरू कर देना नाजाइज़ व अवैध है । यह खुला हुआ अन्याय है और अन्याय की किसी भी दशा में अनुमति नहीं है । उपरोक्त हदीस के तहत बताया गया है कि एक व्यक्ति ने दूसरे की ज़मीन में खजूर के पेड़ लगवा लिए थे । अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) के सामने मुक़दमा पेश हुआ तो आपने फ़ैसल दिया कि भूमि उसके स्वामी की है और जिसके वृक्ष थे उसे आदेश दिया कि वह उन पेड़ों को कटवाकर ले जाए । अत: पेड़ कटवा दिये गये ।

(अबू दाऊद)

इससे फ़िक़्ह की इस बात की पुष्टि होता है कि किसी बेकार पड़ी ज़मीन के स्वामी का पता न चले और उसे आबाद कर लिया जाए तो स्वामी का पता चलने पर ज़मीन उसे लौटा दी जाएगी और ज़मीन के मालिक की जो हानि हुई है ज़मीन को आबाद करने वाला उसकी क्षतिपूर्ति करेगा । (हिदाया : 4/478)

(2) फ़िक़्ह हनफ़ी के विचार से बेकार पड़ी (उफ़तादा) भूमि वह है जो आबादी से दूर हो । जो ज़मीन आबादी के निकट हो, उससे आबादी के अनेक हित जुड़े रहते हैं । अत: आबादकारी के आदेश इससे संबद्ध न होंगे ।

इमाम शाफ़ई (रह॰) और इमाम अहमद (रह॰) आदि कहते हैं कि बेकार पड़ी ज़मीन को आबाद करने के लिए इस्लामी राज्य के शासक व इमाम की अनुमति की आवश्यकता नहीं है । जो व्यक्ति उसे आबाद करे उसी का अधिकार स्वीकार किया जाएगा परन्तु इमाम अबू हनीफ़ा (रह॰) ने शासक की राय को अनिवार्य ठहराया है । इमाम मालिक कहते हैं कि जो भूमि आबादी के निकट हो उसके लिए तो शासक व इमाम की अनुमति आवश्यक है, परन्तु जो भूमि दूर हो उसके लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है । (हिदाया : 4/478, फ़तहुल बारी : 5/12)

(3) किसी ने ज़मीन की हदबन्दी कर ली और तीन वर्ष तक उसे आबाद न किया तो इस्लामी राज्य उससे भूमि लौटा लेगा तथा अन्य व्यक्ति को दे देगा । क्योंकि प्रथम व्यक्ति को ज़मीन इसलिए दी गयी थी ताकि वह उसे आबाद करे और 'उश्र' तथा 'ख़िराज' के द्वारा लोगों को लाभ पहुंचे । केवल हदबन्दी को 'ज़मीन की आबादकारी' नहीं कहा जा सकता । (हिदाया : 4/478)

इसका समर्थन हज़रत उमर (रज़ि॰) के इस कथन से भी होता है–

"जिसने तीन वर्ष तक ज़मीन को बिना आबाद किये छोड़ दिया और किसी अन्य व्यक्ति ने आकर उसे आबाद कर लिया तो वह उसी की होगी ।" (फ़तहुल बारी : 5/4)

(4) आबादकारी के अर्थ में कृषि एवं खेती भी है और मकान का निर्माण भी । 'हनफ़ी फ़िक़्ह' के अनुसार इसके प्रारंभिक प्रयास भी इसमें सम्मिलित हैं ।

(हिदाया : 4/477)

(5) बेकार पड़ी ज़मीन को आबाद करने का अधिकार मुसलमानों की भांति ज़िम्मियों (ग़ैर-मुस्लिमों) को भी प्राप्त होगा । (हिदाया : 4/477)

ग़ैर-आबाद या बंजर भूमि को आबाद करने के विषय में इस्लामी क़ानून बहुत विस्तृत है । यहां उसके केवल कुछ पहलुओं की ओर संकेत किया गया है ।

वृक्षारोपण

आहार, स्वास्थ्य और पर्यावरण के दृष्टिकोण से वृक्षों का महत्व बिल्कुल स्पष्ट है । इनसे साफ़-सुथरी और स्वच्छ हवा मिलती है । वे ठंडी और आनन्ददायक छाया देते हैं । अनेक वृक्षों के फूलों और पत्तों में इन्सानों और पशुओं का आहार और उपचार है । उनमें वे वृक्ष भी हैं जो उत्तम, रुचिकर और उत्कृष्ट फल पैदा करते हैं, जो उत्तम पोषक तत्ववाले हैं और जिनका विकल्प इन्सान के पास नहीं है । इनकी सूखी लकड़ी निर्माण के काम आती है, ईंधन में प्रयोग होती है तथा इनसे अन्य बहुत से लाभ उठाए जाते हैं ।

जंगलों से लाभ तथा उनके प्रभावों से हम सब परिचित हैं । इनके द्वारा ठीक समय पर वर्षा होती है, मौसम में उचित और रुचिपूर्ण परिवर्तन आता है, प्रदूषण तथा अशुद्धता दूर होती है । वे भूमि-कटाव और बाढ़ की रोकथाम का भी साधन हैं । केवल यही नहीं बल्कि जंगलों के और भी बहुत-से लाभ हैं ।

ज़मीन की आबादकारी में वृक्षारोपण तथा बाग़ों का लगाना भी शामिल है । हदीसों में अलग से इसकी ओर विशेष ध्यान दिलाया गया है । हज़रत अनस (रज़ि॰) रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने फ़रमाया–

● "मुसलमान जो पौधा लगाता या कृषि करता है उससे पक्षी, इन्सान या पशु कुछ खाते हैं तो वह उसकी ओर से सदक़ा है ।" (बुख़ारी)

इसी अर्थ की एक रिवायत में हज़रत जाबिर (रज़ि॰) से उद्धृत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने फ़रमाया–

● "मुसलमान कोई वृक्ष लगाता है तो उससे जो कुछ खाया जाता है वह उसकी ओर से सदक़ा है । (यहां तक कि) जो उससे चोरी हो जाए वह (भी) सदक़ा है, जो जंगली पशु खा जाएं वह (भी) सदक़ा है, पक्षी जो खाएं वह भी सदक़ा है । कोई व्यक्ति उसमें से कुछ ले ले तो वह भी सदक़ा है ।" (मुस्लिम)

हज़रत अनस (रज़ि॰) की हदीस के तहत हाफ़िज़ इब्ने हजर कहते हैं कि इस हदीस में वृक्ष लगाने और खेती करने की श्रेष्ठता बताई गयी है और भूमि को आबाद करने की प्रेरणा भी दी गयी है ।

● इसके बाद कहते हैं कि इससे उपजाऊ ज़मीन रखने और उसमें निवास करने का भी प्रमाण मिलता है । इससे उन संन्यासियों के विचार का खंडन होता है जो इन कामों को बुरा समते हैं । कुछ रिवायतों से ऐसा लगता है जैसे इन कामों को घृणा से देख गया है, परन्तु यह उस दशा में है जब व्यक्ति इनमें व्यस्त होकर दीनी कामों से ग़ाफ़िल हो जाए । (फ़तहुल बारी : 5/3)

हज़रत मुआज़ (रज़ि॰) की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने फ़रमाया–

● "जिस व्यक्ति ने किसी पर अत्याचार एवं ज़्यादती किये बिना किसी भवन का निर्माण किया अथवा अत्याचार एवं ज़्यादती किये बिना कोई वृक्ष लगाया तो उसके लिए जारी रहने वाला अज्र है जब तक कि अल्लाह तआला की मख़लूक़ उससे फ़ायदा उठाए ।"

(मुसनद अहमद : 3/338)

वृक्षारोपण अथवा बाग़ लगाने का काम इन्सान अपने निजी लाभ के लिए भी कर सकता है । इसका भी सवाब है । परन्तु यदि यही काम जनसाधारण के लाभ के लिए हो तो उसका अज्र और प्रतिदान पहले से अधिक है । यह 'अनवरत दान' का एक रूप है । अर्थात आदमी की मृत्यु के बाद उसके लगाए हुए वृक्ष से जब तक लोग फ़ायदा उठाएंगे उसे प्रतिदान (सवाब) मिलता रहेगा । मुस्लिम की जो रिवायत अभी ऊपर गुज़री है, उसमें 'क़ियामत तक' के शब्द भी आये हैं, अर्थात उसे क़ियामत तक अज्र व सवाब पहुंचता रहेगा । एक वृक्ष लगाया जाए तो उससे अनेक वृक्ष पैदा हो सकते हैं । इसी प्रकार किसी चीज़ की थोड़ी-सी खेती अधिक खेती का कारण बन सकती है । जब तक यह बाक़ी है सवाब जारी रहेगा क्योंकि अल्लाह की मख़लूक़ उससे फ़ायदा उठाती रहेगी । यह क्रम क़ियामत तक लंबा हो सकता है । (नववी : शरह मुस्लिम : 2/15)

एक व्यक्ति ने दमिश्क़ में हज़रत अबू दरदा (रज़ि॰) को वृक्ष लगाते देखा तो कहा कि आप अल्लाह के रसूल के सहाबी हैं, इस (सांसारिक मोह) में लगे हुए हैं। हज़रत अबू दरदा (रज़ि॰) ने फ़रमाया–आपत्ति करने में जल्दी न करो, (यह तो एक सवाब का काम है जिसमें मैं व्यस्त हूं) मैंने अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) से सुना है–

● "यदि कोई व्यक्ति सृक्ष लगाए और उसके फल से आदमी या अल्लाह की कोई मख़लूक़ लाभ उठाए तो यह उसके लिए एक सदक़ा है।" (मुसनद अहमद : 6/444)

इन हदीसों में जो श्रेष्ठता बयान हुई है उसमें मार्ग के किनारे छायादार वृक्ष लगाना, जनहित के लिए बाग़ लगाना, पार्क बनवाना और जंगलों की सुरक्षा एवं उनकी देखभाल भी आ सकती है।

मस्जिदों का निर्माण

मस्जिद का निर्माण बुनियादी तौर पर अल्लाह की इबादत के लिए होता है। इसका निर्माण प्रत्यक्ष रूप से इबादत में सहयोग है। परन्तु प्रारंभिक काल में मस्जिदें इबादत के अतिरिक्त मुसलमानों के शैक्षिक एवं राजनैतिक केन्द्रों की भी हैसियत रखती थीं। इनकी यह हैसियत अब बहुत परिवर्तित हो चुकी है। अत: जनहित संबंधी सेवाओं के तहत इनका उल्लेख अवश्य किया जा सकता है। मस्जिद के निर्माण का सवाब हज़रत उस्मान (रज़ि॰) से उल्लिखित हदीस में इस प्रकार बयान हुआ है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने फ़रमाया–

● "जिसने अल्लाह की प्रसन्नता हेतु मस्जिद बनाई तो अल्लाह तआला उसके लिए इसी प्रकार का (घर) जन्नत में बनाएगा।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

पाठशालाओं की स्थापना

क़ौमों के मानसिक और वैचारिक गठन में शिक्षा बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अत: किसी क़ौम में जनहित के जो काम किये जाते हैं उनमें शिक्षा को आधारभूत महत्व प्राप्त है। इस्लाम ने इस महत्व को स्वीकारा है और इसके विकास का भरपूर प्रयत्न किया। अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने ज्ञान के प्रचार-प्रसार को धार्मिक कर्तव्य ठहराया है और निर्देश दिया है कि जो व्यक्ति दीन (धर्म) का जितना भी ज्ञान प्राप्त करे, उसे दूसरों तक पहुंचाए। वर्तमान युग में शिक्षा की उन्नति के बड़े साधन शैक्षणिक संस्थाएं और पाठशालाएं हैं। यहीं से वे व्यक्ति बनते हैं जो ज्ञान व शिल्प, संस्कृति व सभ्यता, अर्थव्यवस्था तथा राजनीति के विभिन्न विभागों को चलाते हैं। अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) के ज़माने में इस प्रकार की संस्थाएं तो नहीं थीं परन्तु मस्जिदों से ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैलता था। वहां शैक्षणिक गोष्ठियां होती थीं, ज्ञान संबंधी मंडल (हल्क़े) स्थापित थे और पढ़ने-पढ़ाने का फ़र्ज़ पूरा किया जाता था। आप (सल्ल॰) के बाद मुसलमानों ने शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित कीं, जहां विशुद्ध धार्मिक शिक्षाओं के साथ उनके प्रकाश में समकालीन विचारधाराओं को भी पढ़ाया जाता था। इन संस्थाओं ने उम्मत के अनेक चिंतक एवं 'मुज्तहिद' (शास्त्रवेत्ता) पैदा किये।

चिकित्सालयों की स्थापना

इस्लाम से पूर्व अरब में लोग अपना उपचार स्वयं ही करते कराते थे। एक विचार से यह हर व्यक्ति की निजी अथवा अधिक से अधिक उसकी पारिवारिक समस्या थी, जिसका समाधान वह अपनी शक्ति एवं साधनों के आधार पर करने का प्रयत्न करता था। सार्वजनिक चिकित्सालयों अथवा अस्पतालों का वजूद नहीं था। इस्लाम के आने के बाद भी काफ़ी समय तक यही स्थिति रही, परन्तु उसने सेवा की जो भावना पैदा की थी, उसके परिणामस्वरूप इस प्रकार के चिकित्सालयों की बुनियाद पड़ गयी। 'रफ़ीदा' नामक एक महिला सहाबी के बारे में आता है कि उन्होंने 'मस्जिद नबवी' के समीप एक ख़ेमा लगा रखा था, जिसमें वह केवल सवाब के लिए युद्ध में ज़ख़्मी होने वाले उन लोगों की मरहम-पट्टी और उपंचार करती थीं जिनकी देखभाल करने वाला कोई और न होता था।

हज़रत साद बिन मुआज़ (रज़ि॰) ख़ंदक़ (खाई) के युद्ध में ज़ख़्मी हुए तो अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने उनकी क़ौम से कहा कि वह उन्हें इसी शिविर में रखें ताकि वे निकट रहें और आप (सल्ल॰) को हालचाल पूछने के लिए आने में आसानी हो।

इससे आवश्यकता पड़ने पर दवा-इलाज के लिए शिविर लगाने का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। चूंकि चिकित्सालय इसी आवश्यकता को स्थायी रूप से पूरी करते हैं, अत:

इस्लामी इतिहास साक्षी है कि मुसलमानों का इनके निर्माण एवं उन्नति में बड़ा योगदान रहा है ।

जनहित के कामों के लिए धर्मार्थदान (वक़्फ़) की श्रेष्ठता

जनहित के लिए ज़मीन, जायदाद तथा अपनी मूल्यवान वस्तुओं को 'वक़्फ़' करने की प्रेरणा दी गयी है । यह इन कामों को जारी रखने का एक बड़ा साधन भी है और वक़्फ़कर्ता के लिए 'अनवरत दान' (सदक़ा-ए-जारिया) भी । अनवरत दान से संबंधित कुछ हदीसें पिछले पृष्ठों में गुज़र चुकी हैं । यहां एक और हदीस पेश की जा रही है । यह हदीस हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि॰) से रिवायत की गयी है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने फ़रमाया–

● "जब इन्सान मर जाता है तो उसके कर्म का सिलसिला समाप्त हो जाता है, परन्तु तीन स्थितियां ऐसी हैं कि उसके कर्म बाक़ी रहते हैं और उसे सवाब मिलता रहता है । वे ये हैं–'सदक़ा-ए-जारिया' या अनवरत दान उसका वह ज्ञान जिससे लोग फ़ायदा उठाएं और नेक संतान जो उसके लिए दुआ करती रहे ।" (मुस्लिम)

इमाम नववी इसकी व्याख्या इस प्रकार करते हैं–"अनवरत दान से अभिप्राय वक़्फ़ है ।"

(शरह मुस्लिम : 2/41)

आगे कहते हैं–"इसमें वक़्फ़ के उचित होने और उसके भारी सवाब का तर्क मौजूद है ।"

(शरह मुस्लिम : 2/41)

वक़्फ़ के विभिन्न रूपों का अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) के समय में प्रमाण मिलता है, उनमें से कुछ का यहां उल्लेख किया जा रहा है–

(1) इस्लाम ने कल्याणकारी कार्यों का जो प्रतिदान (सवाब) बताया है उसकी चाह में सहाबा (रज़ि॰) ने अपनी उत्कृष्ट तथा प्रिय वस्तुओं को वक़्फ़ कर दिया ।

हज़रत उमर (रज़ि॰) को ख़ैबर में ग़नीमत के रूप में एक ज़मीन मिली (कुछ रिवायतों में इसका नाम 'समग़' बताया गया है)। वे अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) की सेवा में उपस्थित हुए और अर्ज़ किया कि जो ज़मीन ख़ैबर में मुझे मिली है उससे मूल्यवान और उत्कृष्ट चीज़ मुझे कभी नहीं मिली । मैं उसे अल्लाह की राह में देना चाहता हूं । आप बताएं कि इसका उत्तम तरीक़ा क्या होगा ? आप (सल्ल॰) ने फ़रमाया–

● "यदि तुम पसन्द करो तो इसका मूल वक़्फ़ कर दो और उसकी आय को सदक़ा कर दो ।"

हज़रत उमर (रज़ि॰) ने आपके मशविरे पर अमल करते हुए उसे इस प्रकार वक़्फ़ किया–

"इसका मूल न तो बेचा जाएगा और न हिबा किया जाएगा और न कोई इसका उत्तराधिकारी ही होगा । इसकी आय सदक़ा होगी–मुहताजों और नातेदारों पर (जो इसके अधिकारी होंगे) ग़ुलामों के आज़ाद करने और अल्लाह के रास्ते (जिहाद) में । यह मेहमानों और यात्रियों पर भी ख़र्च होगी । जो व्यक्ति इसकी देखभाल करे वह भले और सामान्य रीति के अनुसार इसकी आय से स्वयं भी खा सकता है और मित्रों को भी खिला सकता है, परन्तु इससे धन संचित नहीं करेगा ।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

इस हदीस से वक़्फ़ के जो आदेश मालूम होते हैं यहां उनका वर्णन नहीं करना है । यहां तो केवल यह बताना अभिप्राय है कि सार्वजनिक हित एवं भलाई के कामों के लिए भी वक़्फ़ होता था और यह वक़्फ़ इसी प्रकार का था ।

(2) मुसलमानों की धार्मिक और सामूहिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ सहाबियों ने अपनी सामूहिक जायदाद वक़्फ़ कर दी ।

अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने मदीना पहुंचने के बाद जब मस्जिद नबवी के निर्माण का इरादा किया तो उसके लिएउ एक ज़मीन का चयन किया जो 'बनू नज्जार' की थी । आपने उनके ज़िम्मेदारों को बुलाया और उसका मूल्य मालूम किया । उन लोगों ने कहा–

"हमें इसका मूल्य नहीं चाहिए, ख़ुदा की क़सम ! हम तो इसका मूल्य केवल अल्लाह तआला से चाहते हैं ।"

(बुख़ारी, मुस्लिम)

इस प्रकार मस्जिद नबवी का निर्माण वक़्फ़ की ज़मीन पर हुआ । अतः यह इस बात की दलील है कि जो चीज़ एक से अधिक लोगों के स्वामित्व में हो उन सबकी मर्ज़ी से वह वक़्फ़ की जा सकती है ।

(3) अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने जब भी किसी

सामूहिक आवश्यकता या जनहित की ओर ध्यान आकृष्ट कराया तो वह वक़्फ़ के द्वारा कर दी गयी । एक बार आप (सल्ल०) ने फ़रमाया कि जो व्यक्ति मस्जिद (मस्जिद नबवी) के विस्तार के लिए फ़लां ज़मीन ख़रीदकर वक़्फ़ कर दे तो उसे जन्नत में उससे अच्छी ज़मीन मिलेगी । हज़रत उस्मान (रज़ि०) ने वह ज़मीन अपने पैसे से ख़रीदकर वक़्फ़ कर दी । (तिरमिज़ी, नसई)

अल्लाह के रसूल (सल्ल०) जब हिजरत करके मदीना आए तो वहां देखा कि मीठे पानी का एक ही कुआं था जिसे 'बिअ्रे-रूमा' कहा जाता था । आपने फ़रमाया कि जो व्यक्ति इसे ख़रीदकर मुसलमानों के लिए वक़्फ़ कर दे और उसमें उसका भी उतना ही भाग हो जितना एक साधारण मुसलमान का होता है, तो उसे जन्नत में इससे उत्तम चीज़ मिलेगी । हज़रत उस्मान (रज़ि०) ने उसे ख़रीदकर वक़्फ़ कर दिया । (तिरमिज़ी, नसई, बुख़ारी)

(4) मृतक की ओर से वक़्फ़ को अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने पसन्द किया ताकि उसका सवाब उसे निरंतर पहुंचता रहे । आपके समय में इस पर अमल भी हुआ । अत: हज़रत साद बिन उबादा (रज़ि०) ने अल्लाह के रसूल (सल्ल०) से अर्ज़ किया कि मेरी मां (उमरा बिन्त मसऊद रज़ि०) की सहसा मृत्यु हो गयी । उस समय मैं उपस्थित नहीं था । यदि मैं उनकी ओर से सदक़ा करूं तो क्या उन्हें उसका सवाब पहुंचेगा । आपने फ़रमाया : हां ! अवश्य । उन्होंने कहा–मैं आपको साक्षी बनाकर कहता हूं कि मेरा अमुक फलदार बाग़ मेरी मां की ओर से सदक़ा है । (बुख़ारी)

जनहित के कामों के लिए मुसलमानों में वक़्फ़ का प्रचलन हर ज़माने में रहा है । इससे इन कामों को जारी रखने में बड़ी सहायता मिलती रही है ।

जनहित से संबंधित इस्लाम की जो शिक्षाएं उपरोक्त पृष्ठों में प्रस्तुत की गयी हैं उनकी पूर्णता कुछ अन्य निर्देशों से होती है ।

सार्वजनिक संपत्ति को हानि न पहुंचाई जाए

इस्लाम ने एक ओर तो वृक्षारोपण की प्रेरणा दी है, दूसरी ओर इस बात से भी रोका है कि किसी छायादार अथवा फलदार पेड़ को काट दिया जाए । हज़रत अब्दुल्लाह बिन हबशी (रज़ि०) रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने फ़रमाया–

● "जिसने बेरी का कोई पेड़ काटा, अल्लाह तआला उसे सिर के बल जहन्नम में डालेगा ।" (अबू दाऊद)

बेरी का पेड़ यदि किसी के स्वामित्व में हो तो वह उसे काट सकता है और उससे लाभ भी उठा सकता है । यह गुनाह नहीं है । यहां उस पेड़ के काटने पर यातना की सूचना दी गयी है जो किसी की निजी मिल्कियत न हो और जिससे जनसाधारण का हित जुड़ा हुआ हो ।

इमाम अबू दाऊद इस हदीस की व्याख्या इस प्रकार करते हैं–

"जो व्यक्ति बेरी का वह पेड़ काटे जो मैदान में हो, जिससे यात्री और पशु छाया प्राप्त करते हों, यह काटना अकारण और अन्यायपूर्ण हो और उस पेड़ पर उसका कोई अधिकार न हो तो अल्लाह तआला उसे सिर के बल जहन्नम में डाल देगा ।" (अबू दाऊद)

इससे यह तर्क करना ग़लत न होगा कि सार्वजनिक संपत्ति से संबंधित किसी भी चीज़ को नुक़्सान पहुंचाना गुनाह का कारण है, क्योंकि यह ख़ुदा की मख़लूक़ को कष्ट पहुंचाने और उसे जो राहत और आराम पहुंच सकता है उसे समाप्त कर देने के समान है । अल्लाह के निकट यह हरकत बहुत नापसन्द और अशुभ है ।

वे जीवन-साधन जो सार्वजनिक संपत्ति हैं

इस्लाम की विचारधारा यह है कि अल्लाह की इस धरती पर इन्सान की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो भंडार मौजूद हैं और जिनके पैदा करने में किसी व्यक्ति के परिश्रम का कोई योगदान नहीं है, वे सबके लिए हैं और सभी उनसे फ़ायदा उठाने का अधिकार रखते हैं । अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने फ़रमाया है–

● "तीन चीज़ों में समस्त मुसलमान भागीदार हैं–पानी, चारा और अग ।" (अबू दाऊद)

इस हदीस में पानी से अभिप्राय प्राकृतिक जल स्रोतों, नदियों, दरियाओं और तालाबों आदि के पानी से है । इसी प्रकार पशुओं का वह चारा जो जंगलों और मैदानों में पाया

जाता है उससे फ़ायदा उठाने का अधिकार सबको प्राप्त है । आग से आशय ईंधन में काम आने वाली लकड़ी और आग जलाने का सामान आदि से हो सकता है, जो किसी की निजी मिल्कियत में न हो ।

क़ौमी महत्व के साधन सबके लिए हैं

क़ौमी और राष्ट्रीय महत्व के जीवन-साधन किसी व्यक्ति के स्वामित्व में नहीं होंगे, बल्कि उनसे सभी को फ़ायदा उठाने के समान अवसर प्राप्त होंगे । उबैज़ बिन हम्माल (रज़ि॰) बयान करते हैं कि वे अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) की सेवा में उपस्थित हुए और निवेदन किया कि 'मआरिब' (यमन का एक क्षेत्र) में नमक की जो खान है वह उन्हें प्रदान कर दी जाए । आप (सल्ल॰) ने वह खान उन्हें दे दी । जब वह वापस हुए तो एक व्यक्ति अक़रा बिन हाबिस ने कहा–आपने उन्हें एक ऐसी खान प्रदान कर दी जो पानी के भंडार के समान है, वहां का प्रत्येक व्यक्ति उससे लाभ उठाता है । अतः आप (सल्ल॰) ने उनसे वह खान वापस ले ली और सार्वजनिक हित के लिए वक़्फ़ कर दी । (एक रिवायत में है कि आपने उन्हें इसके बदले में एक ज़मीन और बाग़ प्रदान कर दिया ।)

उबैज़ बिन हम्माल (रज़ि॰) ने यह भी पूछा कि अराक (एक पेड़ या झाड़ी जिसके पत्ते ऊंटों के चारे के लिए प्रयोग होते हैं) के किस क्षेत्र को हदबन्दी के द्वारा अपने स्वामित्व में लिया जा सकता है ? आपने फ़रमाया–जहां ऊंटों के पैर न पहुंचे (अर्थात जो आबादी से दूर हो या पहाड़ी क्षेत्र हो)। (तिरमिज़ी, इब्ने माजा)

इससे ज्ञात होता है कि राज्य भी इस प्रकार का कोई प्रयास नहीं करेगा कि जिन जीवन-साधनों से जनसाधारण का हित जुड़ा हुआ है उन पर किसी एक अथवा कुछ व्यक्तियों का अधिकार हो जाए और अन्य लोग उनसे वंचित रह जाएं ।

धर्मवेत्ताओं (फ़क़ीहों) ने लिखा है कि हाकिम ऐसी कोई चीज़ किसी एक व्यक्ति को नहीं देगा जिससे आम मुसलमानों की आवश्यकताएं पूरी होती हों । जैसे नमक की खानें या ऐसे कुएं जिनसे आसपास के लोग लाभ उठा रहे हों । (हिदाया : 4/478)

यहां नमक और पानी का उल्लेख हुआ है । इसमें आवश्यकता की अन्य वस्तुएं भी आ सकती हैं । अल्लामा इब्ने हुबैरा ने लिखा है कि चारों इमामों की इस पर सहमति है कि नमक वाली ज़मीन या जिस चीज़ से भी आम मुसलमानों का लाभ जुड़ा हुआ हो, उस पर किसी एक मुसलमान का अकेले अधिकार जमा लेना जाइज़ नहीं है ।

(अल-अफ़साहु अन-मानियुस-सिहाह : 2/51)

निजी जीवन-साधनों में भी अन्य लोगों का हक़ है

व्यक्ति कभी-कभी प्रकृति के भंडारों को अपने निजी प्रयासों एवं परिश्रम से प्राप्त करता है । वह उसका स्वामी हो सकता है । मिसाल के तौर पर, उसने अपनी आवश्यकता के लिए कुआं खुदवाया, नहर निकाली या हौज़, जलकुंड या टैंक में जल का भंडार इकट्ठा किया । इस विषय में यह निर्देश है कि उससे अन्य ज़रूरतमन्दों को वंचित न रखा जाए । एक हदीस में इस बात पर बड़े ज़ोरदार अंदाज़ में यातना की धमकी दी गयी है कि व्यक्ति के पास अतिरिक्त मात्रा में पानी हो और वह ज़रूरतमन्दों को उसके उपयोग की अनुमति न दे ।

हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि॰) की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने तीन प्रकार के लोगों के विषय में फ़रमाया है कि अल्लाह क़ियामत के दिन न तो उन्हें देखेगा, न उनसे बात करेगा और उन पर उसकी कठोर यातना होगी । उनमें से एक का वर्णन इन शब्दों में किया–

- "एक वह व्यक्ति जिसके पास रास्ते के किनारे (कुआं आदि के रूप में) अतिरिक्त पानी था और उसने यात्री को उससे (लाभांवित होने से) रोक दिया ।"

(बुख़ारी, मुस्लिम)

- "अल्लाह तआला क़ियामत के दिन फ़रमाएगा कि आज मैं तुम्हें अपने पुरस्कार से उसी प्रकार वंचित रखूंगा जिस प्रकार तुमने उस अतिरिक्त चीज़ के देने से इन्कार कर दिया था, जिसकी उत्पत्ति में तुम्हारा कोई हाथ न था ।"

(बुख़ारी)

इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि इस्लाम इस बात की कितनी ताकीद करता है कि जिस व्यक्ति के पास जीवन-साधन हैं उनसे अपनी आवश्यकता पूर्ति के बाद दूसरे लोगों की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखे ।

Since 1980

action

Campus
Jiyo Zindagi Yaaron

RED CHIEF

मारूफ़ शू पैलेस

G.E. Road, Charoda, Distt.-Durg (C.G.), Ph. : 9906033786, 08959791786

आपके शहर में अतुल का भव्य शो-रूम

ज़्यादा स्पेस, ज़्यादा माईलेज, ज़्यादा ताक़त, ज़्यादा मुनाफ़ा

मारूफ़ मोटर्स के अधिकृत विक्रेता

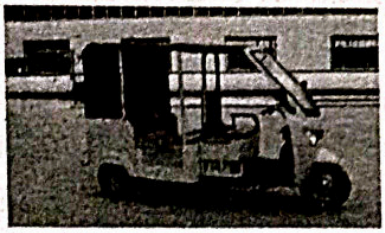

ATUL

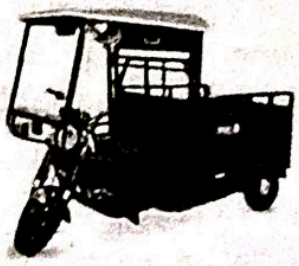

मेन ब्रांच : पंचशील नगर (पश्चिम), रेल नगर के सामने जी॰ई॰ रोड, चरोदा-भिलाई, मोवा॰ : 0788-6544786

ईंधन
जो बनाए ज़िन्दगी

go gas™

अधिकृत विक्रेता

मारूफ़ गैस

तत्काल गैस कनेक्शन उपलब्ध



वाजिव दरों तत्काल गैस कनेक्शन उपलब्ध घरेलू-व्यावसायिक एवं औद्योगिक

मेन ब्रांच : पंचशील नगर (पश्चिम),
रेल नगर के सामने जी॰ई॰ रोड, चरोदा-भिलाई,
मोबाइल : 0788-6998786, 9406092786, 9691492786

चाहिए एंटी वायरस सॉफ्टवेयर तो...

■ भारत मल्होत्रा

वायरस किसी भी कंप्यूटर के लिए सबसे बड़ा ख़तरा होते हैं । कंप्यूटर को इन्हीं ख़तरों से बचाने के लिए ही एंटी वायरस सॉफ्टवेयर की मदद ली जाती है । लेकिन आमतौर पर ऐसे मिलने वाले एंटी वायरस सॉफ्टवेयर की क़ीमत क़रीब 7000 रुपये के आसपास होती है । सस्ता लेने के चक्कर में नक़ली एंटी वायरस सॉफ्टवेयर मिलने का ख़तरा भी बना रहता है । ऐसे में फ्री एंटी वायरस सॉफ्टवेयर एक हल के तौर पर देखे जा सकते हैं । इन्हें इस्तेमाल करने के लिए किसी तरह का ख़र्चा भी नहीं करना पड़ता । हालांकि इनमें पे-वर्जन के मुक़ाबले सुविधाएं कुछ कम होती हैं, लेकिन समझदारी और सावधानी से इस्तेमाल करने पर ये काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं ।

ए॰वी॰जी॰ फ्री एडीशन

ए॰वी॰जी॰ काफ़ी लंबे समय से फ्री एंटी वायरस इस्तेमाल करने वालों की पसन्द रहा है । हालांकि अपने पे-वर्जन के मुक़ाबले इसके फ्री-वर्जन में काफ़ी कम सुविधाएं हैं, फिर भी इसके साथ कुछ ऐसी ख़ूबियां हैं, जो इसे लोगों का पसन्दीदा बनाती हैं । सबसे पहले इसकी स्कैनिंग स्पीड काफ़ी तेज़ है, यानी कंप्यूटर पर काम करते-करते ही उसे स्कैन भी किया जा सकता है । ए॰वी॰जी॰ के साथ जो एक और बात है, वह है इसके लिए ज़रूरी सिस्टम रिक्वायरमेंट । ए॰वी॰जी॰ को डाउनलोड करने में काफ़ी कम जगह की ज़रूरत होती है । ए॰वी॰जी॰ में वायरस से प्रभावित फाइलों के लिए एक अलग से वायरस वॉल्ट भी है, ताकि उन फाइलों को सही तरीक़े से रखा जा सके । इसे http://free.avg.com/www.download-avg-anti-virus-free-edition से डाउनलोड किया जा सकता है । यह सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है । दुनिया भर में क़रीब 7 करोड़ लोग ए॰वी॰जी॰ इस्तेमाल करते हैं ।

एवास्ट होम एडीशन

एवास्ट होम तमाम ख़ूबियों से लैस एक एंटी वायरस है,

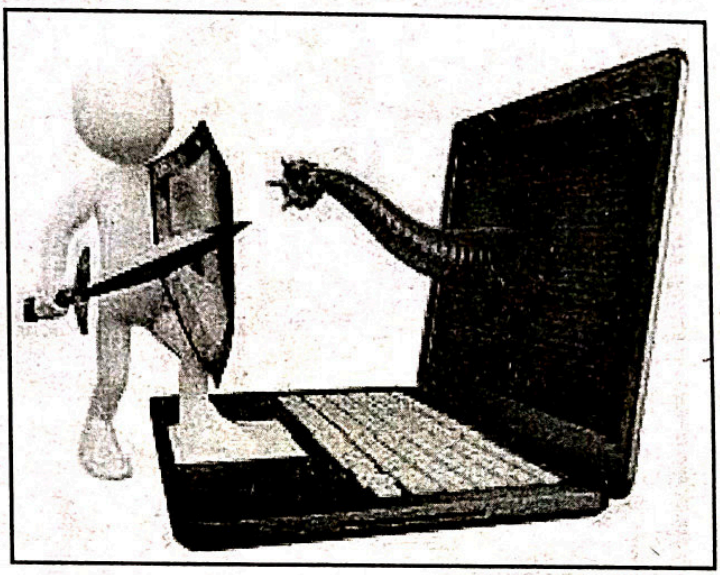

जो घर और ग़ैर-व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए बिल्कुल मुफ़्त में मुहैया करवाया जाता है । एवास्ट अपने आप में एक सादा और सिंपल यूजरफेस के साथ आता है । इसमें वर्म और वायरस से लड़ने के तमाम नये फ़ीचर्स मौजूद हैं । इसके बावजूद एवास्ट होम सभी विंडो सिस्टम को सपोर्ट करता है, जिसमें विस्टा भी शामिल है, इसे डाउनलोड करने में किसी और एंटी वायरस के मुक़ाबले कम कंप्यूटर स्पेस की ज़रूरत होती है । http://www.avast.com/eng/avast_4_home.html पर जाकर इसे डाउनलोड किया जा सकता है ।

एवीरा एंटी वी॰आई॰आर॰

विंडो को वायरस के हमले से बचाने के लिए एवीरा एक और फ्री एंटी वायरस साफ्टवेयर है । इसका फ्री-वर्जन वायरस टार्जन और वर्म सबसे बचाने में मददगार साबित हो सकता है । साथ ही नेट पर होने वाली फिशिंग से भी बचाने में यह मदद करता है । एवीरा यूजर द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाले सभी प्रोग्राम पर नज़र रखता है और किसी ख़तरे का अंदेशा होते ही वह आगाह कर देता है । यह फाइलों को ब्लॉक, डिलीट रिपेयर और रिनेम जैसे कई सपोर्ट बिना किसी क़ीमत के मुहैया कराता है । http://www.free-av.com पर जाकर एवीरा को डाउनलोड किया जा सकता है ।

(शेष पृष्ठ 44 पर)

قادری دواخانہ کی کامیاب ترین یونانی دوائیں

LARGEST UNANI
G.M.P.
CERTIFIED COMPANY



گیسٹک کے درد میں

قادری قبض ٹروجن

دلم

بدہضمی، بھوک کی کمی، درد جگر، قبض، سینے کی جلن
اور پیٹ کے امراض میں بہت ہی مفید ہے



گھٹیا کے درد میں

زعفرانی تیل

کسی بھی قسم کے درد چوٹ موچ۔
گھٹیا۔ جلنے کٹنے اور بچوں کی
مالش میں بہت ہی مفید ہے۔

پشٹک چورن



جریان، کثرت احتلام،
سرعت انزال، ضعف باہ
اور جملہ امراض مردانہ
میں بہت مفید ہے

شوگر کی کامیاب دوا

ذیابطیش سی



مثانہ کو قوت پہنچاتی ہے۔
پیشاب کی زیادتی اور
ذیابطیش سے ہونے والی
کمزوری میں بے حد مفید ہے

Qadri Dawakhana™

An ISO 9001:2008 Certified Company
B-18, Nawab Wajid Ali Shah Road, Kol-24
(O) S-152, S. A. Farooquie Road. (Akra Road) Kolkata- 700 018
Ph. No. 2469-3173-2489-3539
www.qadridawakhana.com • E-mail : qadridawakhana80@yahoo.co.in

अबुल मुजाहिद 'ज़ाहिद' की दो ग़ज़लें

(1)

चमक-दमक सब शबाब[1] तक है
यह धूप बस आफ़ताब[2] तक है

मेरे सवालात का तसल्सुल[3]
तेरे अधूरे जवाब तक है

चमन में फूल और भी हैं लेकिन
मेरी नज़र इक गुलाब तक है

किताब ही ख़ुशनुमा नहीं है
हसीन जिल्दे-किताब तक है

मैं बहर[4] की तह में देखता हूं
तेरी नज़र सतहे-आब[5] तक है

यह सब हिसाबो-किताबे-हस्ती[6]
हिसाबे-यौमुल-हिसाब[7] तक है

मेरी नज़र की उड़ान 'ज़ाहिद'
हक़ीक़तों[8] से सराब[9] तक है ।

1. यौवन, 2. सूरज, 3. निरंतरता, 4. समुद्र, 5. पानी की सतह, 6. जीवन का हिसाब-किताब, 7. क़ियामत के दिन का हिसाब, 8. वास्तविकताओं, 9. मृगमरीचिका



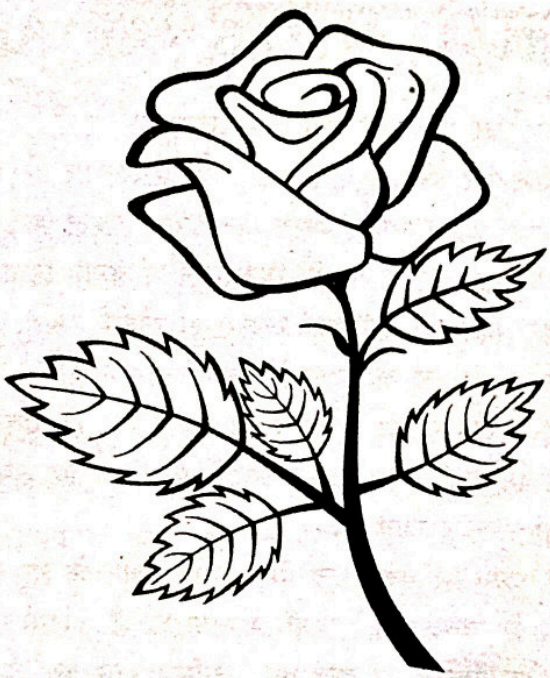

(2)

मैं कि इक सच हूं और मीठा हूं
फिर भी लोगों को तल्ख़[1] लगता हूं

मैं बुरा हूं, भला हूं, जैसा हूं
अपनी सूरत हूं, अपना चेहरा हूं

मेरे बस में क़ियाम[2] है न ख़िराम[3]
सतह-दरिया[4] पे इक तिनका हूं

जाने कब टूट जाऊं टहनी से
ज़र्द[5] पत्ता हूं, थरथराता हूं

जी नहीं चाहता उभरने को
ये किन आंखों में आज डूबा हूं

साथ थी नुसरते-ख़ुदा[6] 'ज़ाहिद'
वो समझते थे, मैं अकेला हूं ।

लिप्यंतरण : **मुहम्मद इलियास हुसैन**

1. कड़ुवा, 2. ठहराव, 3. गति, 4. नदी के ऊपर, 5. पीला, 6. ख़ुदा की मदद ।

नये मानदण्ड

■ डॉ॰ अन्नपूर्णा श्रीवास्तव

घर सोच कर यह आया था कि, बाबूजी रिटायर हो गये हैं, उनके साथ थोड़ा अच्छा समय बिताऊंगा । पहले बाबूजी का ऑफ़िस फिर मेरे पढ़ाई के सिलसिले में बाहर रहना..। इस बार दस दिन की छुट्टियां नौकरी से लेकर आया कि भावी योजनाएं बाबूजी के साथ मिलकर प्लान करूंगा । पर देखता क्या हूं जब से घर आया हूं आज तीन दिन से बाबूजी रोज़ पहले की तरह तैयार होकर अपनी साइकिल पर सवार होकर कहीं निकल जाते हैं ।

मां से पूछने पर पता चला कि अपने पेंशन के चक्कर में ऑफ़िस के चक्कर कई दिनों से लगा रहे हैं । शाम को बाबूजी से इस विषय पर बात की 'आख़िर बात क्या है ? काम होने में क्यों इतना समय लग रहा है ? इतना सुनना था कि बाबूजी बिखर पड़े–

'अरे सालों की ऐसी-तैसी, मैं एक पैसा खिलाने वाला नहीं । सारी काग़ज़ी कार्यवाही पूरी है, फिर भी पैसा खाने को चाहिए । मैं भी देखता हूं–कितना टालते हैं ? मैंने कहा 'ठीक है–दौड़ते रहिए, बने रहिए सत्यवादी ! आपके पास वक़्त है, आपका वाहन साइकिल है, और फिर आपका टाइम भी पास हो जाता है ।' मां बोली–'भला यह क्या तरीक़ा हुआ पिता से बात करने का ?'

मैंने कहा–'तो क्या करूं मां ? बाबूजी को कौन समझाए–इन्होंने रिश्वत नहीं ली ! तो क्या दुनिया के और लोग भी न लेंगे । अरे जो डिमांड है उसे पूरी करो, फिर देखो काम फटाफट होगा । बाबूजी तिलमिला उठे–'ये देखो साहबज़ादे मुझे काम कराने के तरीक़े बता रहे हैं । जिनके काम मैंने तुरंत किये, अब उन्हीं से अपना काम कराने के लिए मुझे पैसे खिलाने पड़ेंगे । 'बाबूजी क्या करेंगे आप–ऊपर से नीचे तक सब मिल-बांटकर खाते हैं ।' मां बोली–ठीक कह रहा है बेटा, काम कराने के यही नए मानदण्ड हैं, तो इनको मानना पड़ेगा ।

बाबूजी जो अब तक शायद टूट चुके थे, नये ज़माने के नये मानदण्डों पर चलने का मानस बना रहे थे...।

दयालु शीला

दिसम्बर का महीना था । आसमान में घने बादल छाये थे । जाड़े की तेज़ हवा चल रही थी । बहुत ज़ोरो का ठण्ड पड़ रही थी ।

मां ने खाना बनाकर शीला को खिलाया । अब शीला को पढ़ने जाना था । मां ने शीला को स्कूल ड्रेस के ऊपर एक स्वेटर पहनाया । साथ ही उसे एक ऊनी चादर ओढ़ने को दी ।

शीला ने अपना स्कूल-बैग उठाया और स्कूल चल पड़ी । उसे राह में एक बुढ़िया मिली । बुढ़िया जाड़े से थर-थर कांप रही थी । उसके कपड़े कई जगह से फट चुके थे ।

शीला को उस बुढ़िया पर दया आ गयी । बुढ़िया को जाड़े से कांपते देखकर शीला से नहीं रहा गया । उसने अपनी चादर उतारी और बुढ़िया को ओढ़ा दी ।

बुढ़िया ने कहा, ''बेटी, तुम अपनी चादर लो । तुम्हारे मां-पिताजी तुम पर बिगड़ेंगे ।

लेकिन शीला ने एक न सुनी । वह स्कूल की ओर चलता बनी ।

शाम होने पर शीला कांपती हुई घर पहुंची । उसकी मां ने पूछा, ''बेटी, तुम्हारी चादर कहां है ?'' शीला बोली–''मैंने बुढ़िया को दे दी ।''

मां ''कौन बुढ़िया ? उसे चादर क्यों दे दी ? शीला बोली–

''मां, एक बुढ़िया रास्ते में जाड़े से थर-थर कांप रही थी । मेरे पास तो स्वेटर भी था । मैंने उसे चादर दे दी, वह तो ले नहीं रही थी ।''

इतने में शीला के पिता जी श्री कालिक सिंह आ गये । मां और पिता जी शीला का कार्य-स्वभाव देख काफ़ी ख़ुश हुए ।

मां ने शीला को छाती से लगा लिया । शीला की आंखें ख़ुशी से चमक उठीं ।

डॉ॰ विनय कुमार 'विष्णुपुरी'
बाज़ार समिति, पटना (बिहार)

जातिमुक्त भारत बनाना चाहते थे डॉ॰ अंबेडकर

■ रमेश सर्राफ धमोरा

बाबा साहेब के नाम से दुनिया भर में लोकप्रिय डॉ॰ भीमराव अंबेडकर एक समाज सुधारक, एक दलित राजनेता होने के साथ ही वे विश्व स्तर के विधिवेत्ता व भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार थे । भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के मऊ में एक ग़रीब अस्पृश्य परिवार में हुआ था । भीमराव अंबेडकर रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई की 14वीं संतान थे । उनका परिवार मराठी था जो महाराष्ट्र के रत्नागिरी ज़िले में स्थित अंबावडे नगर से संबंधित था । उनके बचपन का नाम रामजी सकपाल था । वे हिन्दू महार जाति के थे जो अछूत कहे जाते थे । उनकी जाति के साथ सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव किया जाता था । एक अस्पृश्य परिवार में जन्म लेने के कारण उनको बचपन कष्टों में बिताना पड़ा ।

अंबेडकर के पिता भारतीय सेना की मऊ छावनी में सूबेदार के पद पर रहे थे । उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने और कड़ी मेहनत करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित किया । अपने भाइयों और बहनों में केवल अंबेडकर ही स्कूल की परीक्षा में सफल हुए और इसके बाद बड़े स्कूल में जाने में सफल हुए । अपने एक ब्राह्मण शिक्षक महादेव अंबेडकर जो उनसे विशेष स्नेह रखते थे के कहने पर अंबेडकर ने अपने नाम से सकपाल हटाकर अंबेडकर जोड़ लिया जो उनके गांव के नाम अंबावडे पर आधारित था ।

अंबेडकर 1926 में बंबई विधान परिषद के मनोनीत सदस्य बन गये । सन 1927 में डॉ॰ अंबेडकर ने छुआछूत के ख़िलाफ़ एक व्यापक आंदोलन शुरू करने का फ़ैसला किया । उन्होंने सार्वजनिक आंदोलनों और जुलूसों के द्वारा पेयजल के सार्वजनिक संसाधन समाज के सभी लोगों के लिए खुलवाने के साथ ही उन्होंने अछूतों को भी हिन्दू मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार दिलाने के लिए भी संघर्ष किया ।

डॉ॰ अंबेडकर की बढ़ती लोकप्रियता और जनसमर्थन के चलते उनको 1931 में लंदन में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया । 1936 में उन्होंने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की जो 1937 में केंद्रीय विधानसभा चुनावों में 15 सीटें जीती । उन्होंने अपनी पुस्तक जाति के विनाश भी 1937 में प्रकाशित की जो उनके न्यूयॉर्क में लिखे एक शोधपत्र पर आधारित थी । इस लोकप्रिय पुस्तक में अंबेडकर ने हिन्दू धार्मिक नेताओं और जाति व्यवस्था की ज़ोरदार आलोचना की थी । उन्होंने अस्पृश्य समुदाय के लोगों को गांधीजी द्वारा रचित शब्द हरिजन पुकारने के कांग्रेस के फ़ैसले की भी कड़ी निंदा की थी । जब 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाली नयी सरकार बनी तो उसमें अंबेडकर को देश का पहला क़ानून मंत्री नियुक्त किया गया ।

29 अगस्त 1947 को डॉ॰ अंबेडकर को स्वतंत्र भारत के नये संविधान की रचना के लिए बनी संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया । डॉ॰ अंबेडकर ने मसौदा तैयार करने के काम में सभी की प्रशंसा अर्जित की । 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अपना लिया । अपने काम को पूरा करने के बाद बोलते हुए डॉ॰ अंबेडकर ने कहा मैं महसूस करता हूं कि संविधान साध्य है, लचीला है पर साथ ही यह इतना मज़बूत भी है कि देश को शांति और युद्ध दोनों समय जोड़कर रख सके । वास्तव में मैं कह सकता हूं कि अगर कभी कुछ ग़लत हुआ तो इसका कारण यह नहीं होगा कि हमारा संविधान ख़राब था बल्कि इसका उपयोग करने वाला मनुष्य ही ग़लत था ।

1951 में संसद में अपने हिन्दू कोड बिल के मसौदे को रोके जाने के बाद अंबेडकर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफ़ा दे दिया था । इस मसौदे में उत्तराधिकार, विवाह और अर्थव्यवस्था के क़ानूनों में लैंगिक समानता की मांग की गयी थी । अंबेडकर ने 1952 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लोकसभा का चुनाव लड़ा पर हार गये । मार्च 1952 में उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनित किया गया । अपनी मृत्यु तक वो उच्च सदन के सदस्य रहे ।

सन 1950 के दशक में अंबेडकर बौद्ध धर्म के प्रति

आकर्षित हुए । 1955 में उन्होंने भारतीय बुद्ध महासभा की स्थापना की । 14 अक्तूबर 1956 को नागपुर में अंबेडकर ने अपने लाखों समर्थकों के साथ सार्वजनिक समारोह में एक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया । राजनीतिक मुद्दों से परेशान अंबेडकर का स्वास्थ्य बिगड़ता चला गया । 6 दिसंबर 1956 को अंबेडकर की नींद में ही दिल्ली स्थित उनके घर में मृत्यु हो गयी । 7 दिसंबर को बंबई में चौपाटी समुद्र तट पर बौद्ध शैली में उनका अंतिम संस्कार किया गया जिसमें उनके हज़ारों समर्थकों, कार्यकर्ताओं और प्रशंसकों ने भाग लिया ।

अंबेडकर के दिल्ली स्थित 26 अलीपुर रोड के उस घर में एक स्मारक स्थापित किया गया है जहां वो सांसद के रूप में रहते थे । देश भर में अंबेडकर जयंती पर सार्वजनिक अवकाश रखा जाता है । अनेकों सार्वजनिक संस्थानों का नाम उनके सम्मान में उनके नाम पर रखा गया है । अंबेडकर का एक बड़ा चित्र भारतीय संसद भवन में लगाया गया है । हर वर्ष 14 अप्रैल व 6 दिसंबर को मुंबई स्थित उनके स्मारक पर हर साल काफ़ी लोग उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आते हैं ।

बाबा साहेब डॉ॰ अंबेडकर को 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया । सरकार ने बाबा साहेब को बहुत देर से भारत रत्न सम्मान प्रदान किया जिसके वे पहले हक़दार थे । डॉ॰ अंबेडकर की सामाजिक और राजनैतिक सुधारक की विरासत का आधुनिक भारत पर गहरा प्रभाव पड़ा है । स्वतंत्रता के बाद के भारत में उनकी सामाजिक और राजनीतिक सोच को सम्मान हासिल हुआ । उनकी यह सोच आज की सामाजिक, आर्थिक नीतियों, शिक्षा, क़ानून और सकारात्मक कार्रवाई के माध्यम से प्रदर्शित होती है ।

भारतीय संविधान के रचयिता डॉ॰ भीमराव अंबेडकर के कई सपने थे । भारत जाति-मुक्त हो, औद्योगिक राष्ट्र बने, सदैव लोकतांत्रिक बना रहे । अंबेडकर विपुल प्रतिभाशाली छात्र थे । उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ़ इकोनॉमिक्स दोनों ही विश्वविद्यालयों से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की । उन्होंने विधि, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान के शोध कार्य में ख्याति प्राप्त की थी । जीवन के प्रारंभिक कैरियर में वह अर्थशास्त्र के प्रोफ़ेसर रहे एवं वकालत की । वो देश के एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे । मगर देश उनके अर्थशास्त्री होने का उतना लाभ नहीं उठा पाया जितना उठाना चाहिए था । लोग अंबेडकर को एक दलित नेता के रूप में जानते है, जबकि उन्होंने बचपन से ही जाति प्रथा का खुलकर विरोध किया था । उन्होंने जातिवाद से मुक्त आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ भारत का सपना देखा था, मगर देश की गंदी राजनीति ने उन्हें सर्वसमाज के नेता के बजाय दलित समाज का नेता के रूप में स्थापित कर दिया ।

डॉ॰ अंबेडकर का एक और सपना भी था कि दलित धनवान बनें । वे हमेशा नौकरी मांगने वाले ही न बने रहें अपितु नौकरी देने वाले भी बनें । अंबेडकर के दलित धनवान बनने के सपने को साकार कर रही है डिक्की । पुणे के दलित उद्यमियों ने दलित इंडियन चैंबर्स ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (डी॰आई॰सी॰सी॰आई॰) नामक एक ट्रेड बॉडी बना ली है । जो दलित उद्यमियों को आगे बढ़ाने में सहयोग करती है ।

भारत सरकार ने डॉ॰ भीमराव अंबेडकर का लंदन स्थित वह तीन मंज़िला बंगला भी ख़रीद लिया है, जिसमें वह 1920 के दशक में एक छात्र के तौर पर रहे थे । अब इस भवन को एक अंतर्राष्ट्रीय स्मारक में तब्दील किया जाएगा जहां दुनिया भर के लोग डॉ॰ अंबेडकर के विचारों को जान व समझ सकेंगें । (विविधा फ़ीचर्स)



समान सिविल कोड का परिदृश्य

■ गुलाम रसूल देशमुख

संघ परिवार की ओर से समान सिविल कोड के मसले को पेश करके माहौल को ख़राब करने की लगातार कोशिश की जाती रही है और इस तरह वातावरण को बिगाड़ कर रख दिया जाता है ।

जब देश में इस पर तीखी बहस चल रही थी और माहौल पूरी तरह गर्म था, उन्हीं दिनों जमाअत इस्लामी के शम्स पीरज़ादा नागपुर (महाराष्ट्र) के दौरे पर थे । परिस्थितियों को देखते हुए शम्स पीरज़ादा साहब ने आर॰एस॰एस॰ के मुख्यालय में जाकर गोलवलकर गुरु जी, जो उस समय राष्ट्रीय संचालक थे और संघ परिवार में बहुत ऊंचा मक़ाम रखते थे, से मुलाक़ात की ।

बातचीत के दौरान शम्स पीरज़ादा साहब ने गोलवलकर गुरु जी से पूछा कि देश में कुछ लोग समान सिविल कोड चाहते हैं । आपकी इस सिलसिले में क्या राय है ?

गुरु जी ने तुरंत पलट कर जवाब दिया : ''जो लोग समान सिविल कोड की बात करते हैं वे मुर्ख हैं । इस देश को एकता की आवश्यकता है समानता की नहीं ।

यही बातें गुरुजी ने विभिन्न अवसरों पर अलग-अलग अंदाज़ और शब्दों में कही हैं । विशेष रूप से उस समय के एक लोकप्रिय साप्ताहिक ''मदर लैंड'' के संपादक के॰आर॰ मलकानी को इंटरव्यू देते हुए भी उन्होंने यही बात कही थी । समान सिविल कोड के सिलसिले की ये तमाम बातें विस्तार से ''श्री गुरुजी समग्र दर्शन'' के छठे अध्याय में मौजूद है । उन्हीं में से कुछ बातें यहां पाठकों की जानकारी के लिए पेश कर रहा हूं ।

''प्रकृति भी समानता नहीं बल्कि हर प्रकार के अमल में नयापन चाहती है । देश में विभिन्न आस्थाओं, धर्मों, रस्मो-रिवाजों और जीवनशैली में मानवजीवन की आत्मा पायी जाती है । उसका समानता में बदल देना देश और क़ौम के लिए तबाही व बर्बादी की ओर धकेलने के समान है । यह बात इतिहास से साबित है कि विभिन्न प्रकार की



जीवनशैली अपनाने के बावजूद यह देश एकजुट और शक्तिशाली रहा है । इस देश में एक ज़माने से विभिन्न समाज के लोग मिल-जुलकर ख़ुशी-ख़ुशी रहते आये हैं इसलिए समान सिविल कोड को राष्ट्रीय एकता से जोड़ना सही नहीं है ।''

यहां स्वाभाविक तौर पर एक प्रश्न उठता है कि संघ परिवार के एक महत्वपूर्ण नेता गोलवलकर गुरुजी समान सिविल कोड का इतना सख़्त विरोध क्यों कर रहे हैं ?

वास्तव में भारतीय संविधान को संकलित करने वाले नेताओं और अछूत समाज से ताल्लुक़ रखने वाले बुद्धिजीवियों के मन में समान सिविल कोड का मतलब था कि उसके माध्यम से वर्ण आश्रम की व्यवस्था को समाप्त किया जाए ताकि समाज का एक बड़ा हिस्सा जो अछूत क़रार दिया गया है और उससे जानवरों से भी बदतर और अमानवीय सलूक किया जाता है, उसको समाप्त किया जा सके ।

अछूत समाज में 'मराठा' भी शामिल हैं अतएव जब राजा शिवाजी की ताजपोशी होनी थी तो कोई ब्रह्मण इस रस्म को पूरा करने के लिए तैयार नहीं हुआ । शिवाजी अछूत थे इसी लिए शिवाजी को काशी से गागा भट्ट नाम के एक ब्राह्मण को घूस में एक बड़ी राशि अशरफ़ियां और अनेक गायों की भेंट देकर लाया गया । गागा भट्ट ने शिवाजी को मुकट पहनाते समय पैर के अंगूठे से टीका लगाया था । यह पूछे जाने पर कि ऐसा क्यों किया गया, तो गागा भट्ट ने जवाब में कहा : शिवाजी अछूत है और मैं ब्राह्मण हूं इसलिए ऐसा किया गया है ।

अस्ल में ऊंची जाति के लोग समान सिविल कोड की शीर्षक को बड़ी चतुराई से मुस्लिम मिल्लत की ओर मोड़ देते हैं और यह बात मन में बिठा लेना चाहते हैं कि मुसलमानों के यहां चार शादियां अनिवार्य हैं । इस तरह ये नारा देते हैं कि ''हम पांच और हमारे पचीस''। इस तरह देश में मुसलमानों की जनसंख्या बड़ी तेज़ी से बढ़ेगी और हमारी संख्या कम हो जाएगी ।

संघ परिवार यह झूठ भी बड़ी बेबाकी से बोलता है कि प्रत्येक मुसलमान चार शादियों के लिए पाबन्द है ।

वास्तविकता यह है कि यदि देश से छूतछात ख़त्म हो जाए तो ऊंची जाति वाले ब्राह्मणों का महत्व समाप्त हो जाएगा । उसी को बनाए रखने के लिए ये हथकंडे इस्तेमाल किये जाते हैं । यदि छूतछात वाली व्यवस्था शेष न रहे तो आर॰एस॰एस॰ का अस्तित्व भी निरर्थक होकर रह जाएगा ।

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के 1987 के अधिवेशन में मैंने (गुलाम रसूल देशमुख ने) मुहतरम मौलाना अबुल हसन अली नदवी, मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी, मौलाना सिराजुल हसन साहब और मौलाना मुजाहिदुल क़ासिमी आदि रहनुमाओं की मौजूदगी में जो प्रस्ताव पेश किये थे उसमें एक प्रस्ताव यह था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देश के सभी धर्मों एवं समुदायों के प्रतिनिधियों का एक कन्वेंशन बुलाए जिसमें सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, आदिवासी बनवासी आदि के प्रतिनिधि मौजूद हों । इसलिए कि यह सबकी ज़रूरत है और इन सभी लोगों के इकट्ठे हो जाने से फिर कोई इस विषय को उठाने का साहस नहीं कर सकेगा ।

(पृष्ठ 37 का शेष)

कामविन

कामविन विंडो उपभोक्ताओं के लिए एक और एंटी वायरस साफ्टवेयर है, जिसका इस्तेमाल करने के लिए किसी तरह की क़ीमत का भुगतान नहीं करना पड़ता । इसका भी फ्री-वर्जन मौजूद है । वायरस और स्पाइवेर को ढूंढ़कर निकालने में कामविन का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा है । यह ज़रूरत के हिसाब से अपने आप एंटी वायरस डाटाबेस को डाउनलोड करता रहता है । इसमें माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के साथ एक ऐसी सुविधा है, जिसमें वायरस ग्रस्त फाइल को अपने आप ही डिलीट कर दिया जाता है । इसके लिए http://www.clamwin.com पर जाकर इसे डाउनलोड किया जा सकता है ।

पी॰सी॰ टूल्स एंटी वायरस फ्री एडीशन

कंप्यूटर की अपनी जानकारी बढ़ाने के चक्कर में कई बार जाने-अनजाने ख़तरनाक वायरस और अन्य साइबर ख़तरे हमारे कंप्यूटर में घुस जाते हैं । पी॰सी॰ टूल्स एंटी वायरस फ्री एडीशन इस मामले में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होता है ।

यह लगातार तेज़ी से अपडेट होता रहता है । साथ ही इसके द्वारा कंप्यूटर की पूरी और सही तरीक़े से स्कैनिंग भी की जाती है, ताकि कंप्यूटर रहे पूरी तरह से सुरक्षित । एक बार ख़तरा मिलने पर उसे निष्क्रिय या नष्ट कर देता है । http://www.pctools.com/free-antivirus पर जाकर इसे डाउनलोड किया जा सकता है ।

'नौशेरा का शेर' शहीद ब्रिगेडियर मुहम्मद उस्मान

''ब्रिगेडियर मुहम्मद उस्मान (जन्म-15 जुलाई, 1912 ईसवी, आज़मगढ़, उत्तर प्रदेश, शहादत- 3 जुलाई, 1948 ईसवी) भारतीय सेना के एक उच्च अधिकारी थे, जो भारत और पाकिस्तान के प्रथम युद्ध (1947-48) में शहीद हुए। मुहम्मद उस्मान 'नौशेरा के शेर के' रूप में ज़्यादा जाने जाते हैं। वे भारतीय सेना के सर्वाधिक प्रतिष्ठित और साहसी सैनिकों में से एक थे, जिन्होंने जम्मू में नौशेरा के समीप झांगर में मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी।''

ब्रिगेडियर मुहम्मद उस्मान का जन्म 15 जुलाई, 1912 को आज़मगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ था। वे भारतीय सैन्य अधिकारियों के उस शुरुआती बैच में शामिल थे, जिनका प्रशिक्षण ब्रिटेन में हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध में अपने नेतृत्व के लिए प्रशंसा पाने वाले ब्रिगेडियर मुहम्मद उस्मान उस 50 पैरा ब्रिगेड के कमांडर थे, जिसने नौशेरा में जीत प्राप्त की। मुहम्मद उस्मान भारत की आज़ादी के महज़ 11 महीने बाद पाकिस्तानी घुसपैठियों से जंग करते हुए शहीद हो गये। यह उल्लेखनीय है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उनकी कैबिनेट के सहयोगी जुलाई, 1948 ईसवी में उनकी राजकीय अंत्येष्टि में शामिल हुए। यह वह सम्मान है, जो इसके बाद किसी भारतीय फ़ौजी को नहीं मिला।

उत्तर प्रदेश के आज़मगढ़ ज़िले में एक गांव है 'बीबीपुर'। यहीं के थे ख़ान बहादुर मुहम्मद फ़ारूक़, जो पुलिस अधिकारी थे और बनारस के कोतवाल भी रहे। यह उन्हीं के घर की कहानी है। तीन बेटियों के बाद बेटे का जन्म हुआ, नाम रखा गया मुहम्मद उस्मान। आपकी प्रारंभिक शिक्षा बनारस के हरिश्चंद्र भाई स्कूल में हुई। आप बचपन में इतने साहसी थे कि 12 साल की आयु में अपने एक मित्र को बचाने के लिए आप कुएं में कूद पड़े और उसे बचा भी लिया। आपने सेना में जाने का मन बनाया और ब्रिटेन की रायल मिलिट्री एकेडमी, सैंडहस्ट में आपको चुन लिया गया। भारत से चुने गये 10 कैडेटों में आप एक थे। ब्रिटेन से शिक्षा प्राप्त करने के बाद आपको बलूच रेजीमेंट में नौकरी मिली, उस समय आपकी आयु 23 साल थी। इधर भारत-पाक का बंटवारा हो रहा था। पाकिस्तानी नेताओं मुहम्मद अली जिन्ना और लियाक़त अली ख़ान ने आपको इस्लाम और मुसलमान होने की दुहाई दी। पाकिस्तानी सेना में शामिल हो जाने का लालच दिया। नियम तोड़कर (आउट ऑफ़ टर्न) आपको पाकिस्तानी सेना का चीफ़ बना दिया जाएगा, परन्तु देश प्रेमी मुहम्मद उस्मान ने उनके इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। बलूच रेजीमेंट, बंटवारे में पाकिस्तानी सेना के हिस्से में चली गयी और मुहम्मद उस्मान डोगरा रेजीमेंट में आ गये।

दोनों देशों में अघोषित लड़ाई चल रही थी। पाकिस्तान भारत में घुसपैठ करा रहा था। कश्मीर घाटी और जम्मू तक अशांत था। मुहम्मद उस्मान पैराशूट ब्रिगेड की कमान

25 yrs. Service (Regd.)

AL KAUSAR HOLY HERBAL

HOSPITAL & RESERCH CENTRE

(A minority Unit of Islamic Medicine Under Art.30 (1) Const. of India)

Founder: **Al-Hajj Dr. ABDUR RASHEED**

Ph.D. (HOLISTIC HERBAL)

Medicine of Hazrat Mohammad (S.A.W)
By faith of ALLAH
Shyamganj Road, B.Deoghar - 814112
(Jharkhand) India

Kidney, Heart, Liver, Pancreas, Uterus, disorders, Pain Control, Asthama, Child Birth (Cardio, Uro, Nephro, Neuro, Gastroe, Gynae, Hemato, Diabeto Intercentral cardio, Bronco etc.)

Recharge your body, mind, psyco, soul, desire heart way of "Islamic medicine". Further treatment require or not feels within 7 to 19 days

(Rooms available)

Enquiry: 9955725769, E-mail: alkausarreached@gmail.com
Bank of India, Deoghar Branch A/c-446110100000871
IFS Code No. BKID 0004461

संभाल रहे थे, उनकी झनगड़ में तैनाती थी । झनगड़ का पाक के लिए सामरिक महत्व था । मीरपुर और कोटली से सड़कें आकर यहीं मिलती थीं । 25 दिसम्बर, 1947 ईसवी को पाकिस्तानी सेना ने झनगड़ को अपने क़ब्ज़े में ले लिया । लेफ़्टिनेंट जनरल के॰एम॰ करिअप्पा तब वेस्टर्न आर्मी कमांडर थे । उन्होंने जम्मू को अपनी कमान का हेडक्वार्टर बनाया । लक्ष्य था–झनगड़ और पुंछ पर क़ब्ज़ा करना और मार्च, 1948 ईसवी में ब्रिगेडियर मुहम्मद उस्मान की वीरता, नेतृत्व व पराक्रम से झनगड़ भारत के क़ब्ज़े में आ गया, उन्हें नौशेरा का शेर भी कहा जाता है । तब इस जंग में पाकिस्तानी सेना के हज़ार जवान मरे थे और इतने ही घायल हुए थे, जबकि भारत के 102 घायल हुए थे और 36 जवान शहीद हुए थे ।

पाकिस्तानी सेना झनगड़ के छिन जाने और अपने सैनिकों के मारे जाने से परेशान थी । उसने घोषणा कर दी कि जो भी मुहम्मद उस्मान का सिर क़लम कर लाएगा, उसे 50 हज़ार रुपये इनाम के रूप में दिये जाएंगे । इधर, पाक लगातार झनगड़ पर हमले करता रहा । अपनी बहादुरी के कारण पाकिस्तानी सेना की आंखों की किरकिरी बन चुके थे ब्रिगेडियर मुहम्मद उस्मान । पाक सेना घात में बैठी थी । 3 जुलाई, 1948 ईसवी की शाम, पौने छह बजे होंगे, मुहम्मद उस्मान जैसे ही अपने टेंट से बाहर निकले थे कि उन पर 25 पाउंड का गोला पाक सेना ने दाग़ दिया । उनके अंतिम शब्द थे–हम तो जा रहे हैं, पर ज़मीन के एक भी टुकड़े पर दुश्मन का क़ब्ज़ा न होने पाए ।

पहले अघोषित भारत-पाक युद्ध (1947-1948) में शहीद होने वाले वे पहले उच्च सैन्य अधिकारी थे । राजकीय सम्मान के साथ उन्हें जामिया मिल्लिया इस्लामिया क़ब्रिस्तान, ओखला, नयी दिल्ली में दफ़नाया गया । ब्रिगेडियर मुहम्मद उस्मान के अंतिम यात्रा में गवर्नर ज़नरल लार्ड माउंटबेटन, तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू, तत्कालीन केंद्रीय मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और शेख़ अब्दुल्लाह भी थे । मरणोपरांत उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया । शहीद मुहम्मद उस्मान अलग ही मिट्टी के बने थे, वे 12 दिन और जिये होते, तो अपना 36वां जन्मदिन मनाते । उन्होंने शादी नहीं की थी । अपने वेतन का अधिकतर हिस्सा ग़रीब व निर्धन बच्चों की पढ़ाई और ज़रूरतमंदों पर ख़र्च करते थे । नौशेरा में 158 अनाथ बच्चे पाये गये थे, वे उनकी देखभाल करते, उनको पढ़ाते-लिखाते थे ।

दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अफ़ग़ानिस्तान और बर्मा तक वे गये थे । इसी कारण उन्हें कम उम्र में ही पदोन्नति मिलती गयी और वे ब्रिगेडियर तक बने । झनगड़ को पाक से छीनने के लिए मुहम्मद उस्मान ने अपने सैनिकों के नाम जिस फ़रमान पर हस्ताक्षर किया था, उसकी अंतिम पंक्ति आज भी देशवासियों के लिए प्रेरणास्रोत है । भारतीय सेना ने 15 जुलाई 2017 को ब्रिगेडियर मुहम्मद उस्मान की जन्म शताब्दी का समारोह आयोजित किया था, जिसमें पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने नौशेरा के शेर को श्रद्धांजलि दी । (सा॰ : bharatdiscovery.org)

नग़मा-ए अम्नो मुहब्बत

आओ सब मिलकर फैलाएं, अम्नो मुहब्बत का पैग़ाम
अम्नो मुहब्बत ही से होगी, सुब्ह मुनव्वर रंगीं शाम

मशरिक़ मग़रिब मुश्किल में हैं, बुग़्ज़ो अदावत नफ़रत से
सौ तूफ़ां हर साहिल में हैं, बुग़्ज़ो अदावत नफ़रत से
कैसा किया अपने ही हाथों इन्सां ने अपना अन्जाम

शहरों शहरों उठते शोले, बस्ती बस्ती चीख़ पुकार
माएं बहनें, बच्चे बूढ़े, झेल रहे हैं दर्द की मार
जहां भी ढूंढ़ें कहीं नहीं है, राहत का तस्कीन का नाम

आओ सोचें आख़िर क्यों है अम्नो मुहब्बत का फ़ुक़्दान
आओ सोचें क्यों हर दिल की दुनिया लगती है वीरान
आओ सोचें क्यों हर रूह में बरपा है जैसे कुहराम

आओ सोचें छूट गयी क्यों हम से रिवायत सदियों की
आओ सोचें ख़त्म हुई क्यों रस्मे मुहब्बत सदियों की
आओ सोचें क्यों भूले हम काबा काशी का पैग़ाम

एक ख़ुदा के हम बन्दे हैं, सब हैं आदम की औलाद
सबकी रगों में एक लहू है, कोई कहीं भी हो आबाद
उतनी रहमत होगी जितनी होगी यह सच्चाई आम

आओ अब यह अह्द करें हम अम्न का मौसम लाएंगे
प्यार के नग़मे, गीत मुहब्बत के लिक्खेंगे गाएंगे
सारे जहां में करते रहेंगे रौशन हिन्दुस्तान का नाम ।

■ इन्तिज़ार नईम

वेरिकोज़ अल्सर

■ डॉ॰ विमला रानी गर्ग

कई क्षेत्रों में आधुनिक लाइफ़ स्टाइल के बढ़ते दख़ल ने कई ऐसे रोगों में इज़ाफ़ा किया है, जिनका पहले कभी हमने नाम तक नहीं सुना था। ऐसी ही एक बीमारी का नाम है वेरिकोज़ वेन। इस बीमारी में पैरों की नसें मोटी हो जाती है। यदि वेरिकोज़ वेन का समय पर इलाज नहीं कराया जाए तो वह वेरिकोज़ अल्सर में बदल जाता है जो सीधे तौर पर निष्क्रिय लाइफ़ स्टाइल का दुष्परिणाम है। एक अनुमान के अनुसार, भारत की लगभग 7 से 9 प्रतिशत आबादी वेरिकोज़ वेन से पीड़ित है।

इस रोग से पीड़ित महिलाओं की तादाद पुरुषों के मुक़ाबले चार गुना ज़्यादा है। कम उम्र की ऐसी युवतियों में भी वेरिकोज़ वेन पनपने का ख़तरा बढ़ने लगा है जो तंग जींस और ऊंची ऐड़ियों वाली जूतियां पहनती हैं।

वेरिकोज़ वेन दोनों टांगों में हो सकती है, जहां कई सारे वॉल्व होते हैं और जिनसे हृदय तक रक्त प्रवाह में मदद मिलती है। जब ये वॉल्व क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो टांगों में रक्त जमा होने लगता है जिस वजह से सूजन, दर्द थकान, बदरंग त्वचा, खुजलाहट और वेरिकोसिटी (नसों में सूजन) जैसी समस्या होती है। यदि समय पर इलाज नहीं कराया जाए तो टांग में असाध्य अल्सर भी विकसित हो सकता है जो सिर्फ़ एड़ी के पास ही होता है। वेरिकोज़ अल्सर के कारकों में मोटापा, व्यायाम का अभाव, गर्भधारण के दौरान नसों पर असामान्य दबाव, बेतरतीब लाइफ़ स्टाइल, लंबे समय तक खड़े रहना तथा अधिक देर तक टांग लटकाकर बैठना शामिल है। आजकल कंप्यूटर प्रोफ़ेशनल, रिसेप्शनिस्ट, सिक्योरिटी गार्ड, ट्रैफ़िक पुलिस, दुकानों तथा डिपार्टमेंटल स्टोर्स में काउंटर पर कार्यरत सेल्समैन, लगातार डेस्क जॉब करने वाले लोगों में वेरिकोज़ अल्सर के मामले सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं।

महिलाओं के कुछ ख़ास हार्मोन के कारण पैरों की नसों की दीवारें फूल जाती हैं। इसके अलावा गर्भधारण के दौरान टांगों की नसों पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ने के कारण ये नसें



कमज़ोर और सूज जाती है। डॉप्लर परीक्षण द्वारा सामान्य जांच और अल्ट्रासाउंड कराने से क्षतिग्रस्त वॉल्व और सूजी हुई नसों के रूप में इस रोग का सटीक स्थान देखा जा

Niyaz Ahmed
STAR
Hosiery Centre
Wholesaler
Raydemade & Handloom
B/43 Uttar Gangotri, Bhilai,
Phone : 9826129877

सकता है । अभी तक वेरिकोज़ अल्सर के इलाज के लिए उपलब्ध उपचार विकल्पों में लेटने या बैठने के दौरान टांग ऊपर उठाकर रखना, कभी-कभी टांगों को मोड़कर रखना और मामूली रोग के लिए स्क्लेरोथैरेपी शामिल है । रोग बहुत ज़्यादा बढ़ जाने पर वेन स्ट्रिपिंग जैसी बड़ी सर्जरी करानी पड़ती है जिस वजह से टांगों में भद्दा निशान पड़ जाता है और रिकवरी में भी ज़्यादा वक़्त लगता है ।

आजकल मल्टी-पोलर आर॰एफ॰ए॰ मशीन का इस्तेमाल करते हुए इस रोग के इलाज में रेडियों फ्रिक्वेंसी एब्लेशनइ (आर॰एफ॰ए॰) सबसे आधुनिक और प्रभावी पद्धति है । कलर-डोप्लर अल्ट्रासाउंड विज़न के ज़रिए असामान्य नसों में एक रेडियोफ्रिक्वेंसी कैथेटर पिरोया जाता है और रक्त नलिका का इलाज रेडियो-एनर्जी से किया जाता है जिस कारण इसके साथ जुड़ी नसों पर प्रभाव पड़ता है । इंटरनेशनल रेडियोलॉजिस्ट असामान्य नस में एक छोटा कैन्युला प्रवेश कराते हुए एड़ी के ठीक ऊपर या घुटने के नीचे असामान्य सैफेनस नस तक पहुंच बनाते हैं । एब्लेशन के लिए एक पतले और लचीले ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है जिसे कैथेटर कहा जाता है । कैथेटर की नोक पर छोटा-सा इलेक्ट्रोड लगा होता है जो मोटी नसों को क्षतिग्रस्त कर देता है ।

परंपरागत सर्जिकल उपचार के उलट इस पद्धति में न तो जनरल एनेस्थेसिया, न त्वचा पर सर्जिकल कट के निशान और न ही रक्तस्राव या रक्त चढ़ाने की ज़रूरत रहती है और इसमें बहुत तेज़ रिकवरी होती है । आमतौर पर इस रोग के अल्सर बनने में कई वर्ष लग जाते हैं इसलिए अल्सर को भरने में बहुत ज़्यादा समय लगने पर भी कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए । हालांकि ज़्यादातर अल्सर 3-4 महीने में भर जाते हैं लेकिन कुछेक अल्सर को ठीक होने में पर्याप्त समय लग सकता है । लेकिन अल्सर ठीक हो जाने का मतलब यह नहीं है कि यह समस्या ख़त्म हो गयी है, भले ही ऊपरी त्वचा दूरुस्त हो ज़ाए, लेकिन नसों के अन्दर की समस्या बनी रहती है और आपको अल्सर की पुनरावृत्ति से बचने के लिए सावधानियां बरतनी होंगी । कुछ गंभीर मामलों में आपको दिन भर हमेशा कंप्रेशन स्टॉकिंग या पट्टी लगाकर रहना पड़ सकता है, जहां तक संभव हो पैरों को ऊपर रखना होगा और त्वचा की शुष्कता दूर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मॉचुराइजिंग क्रीम का इस्तेमाल करते हुए त्वचा को अच्छी स्थिति में रखना होगा । वज़न में कमी, ताज़ा फल का सेवन, व्यायाम करना और धूम्रपान से दूर रहना भी अल्सर को भरने में कारगर होता है । आज यूटेरिन फाइब्रोइड्स, यूटेरिन एडेनोमायोसिस, अन-ऑपरेबल लीवर ट्यूमर, लीवर एब्सेसस, अवरुद्ध फेलोपियन ट्यूब खुलने, ब्रेन एन्यूरिज़्म और फेफड़ों तथा पेट से रक्त की उल्टी जैसी कई बीमारियों का इलाज इंटरवेशनल रेडियोलोजिस्ट के द्वारा किया जा सकता है ।

ख़ुशी

ख़ुशी तब मिली
जब पहचान भूल गया
दुखों की आदत
ऐसी पड़ी
हमेशा लगी रही दर्दों की झड़ी
मैं दर्द को ही समझता
रहा जीवन
ख़ुशी का तो मुझे
कुछ पता ही नहीं था ।
वो हंसी
मुस्काई
मुझे लगा
दर्द का कोई नया
अंदाज़ है
बरबस ही टपकने
लगे आंसू
निकलने लगी कराह
और चीख़ पड़ा
दुख ही होगे
दुख के सिवा
कुछ और भी होता है
मुझे पता नहीं
ख़ुशी मिली
तो ख़ुश न हो सका मैं ।

देवेन्द्र कुमार मिश्रा
चन्दनगांव, छिन्दवाड़ा (म॰प्र॰)

आशूरा बनी पाल और उसका पुस्तकालय

■ अख़्लाक़ अहमद क़ादिरी

संसार की प्राचीन क़ौमों में आशूरियों Assyrians को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है । यह क़ौम प्राचीन युग में सैकड़ों वर्ष तक मध्य-पूर्व के इतिहास में छायी रही है । इस क़ौम का इतिहास युद्ध, उन्माद, घेराबन्दी, तबाही व बर्बादी तथा आतंक पर आधारित है । बाइबल के पन्ने इस क़ौम की निष्ठुरता, रक्तपात, जुल्म व अत्याचार की गवाही देते हैं, लेकिन इसके बावजूद इस क़ौम ने ऐसे शासक पैदा किये, जो उच्च चरित्र के मालिक थे और अच्छे शासक और महान सेनानायक होने के साथ-साथ शान्तिप्रिय और शासकीय कर्तव्यों को पूरा करने में दक्ष थे । उन्हीं शासकों में आशूरियों के अंतिम व महान शासक आशूर बनी पाल का नाम भी सम्मिलित है । आशूर बनी पाल ने 668 ईसा पूर्व से 627 ईसा पूर्व तक शासन किया और उसकी राजधानी नैनवा थी ।

आशूरी प्राचीन काल से दजला नदी के ऊपरी भूभाग में आबाद थे । प्रारंभिक काल में भी कभी-कभी इनका टकराव बाबिल के बादशाहों से हो जाता था । इसके बाद जब बाबिल की शक्ति कमज़ोर पड़ने लगी, तो इन्हें अपनी शक्ति को सुसंगठित करने का अवसर मिल गया और इन्होंने अपनी सैनिक शक्ति बढ़ा ली । आशूरी बड़े निर्दयी शासक व अत्याचारी विजेता थे ।

इन्होंने जिन-जिन देशों पर विजय प्राप्त की, वहां के निवासियों को तरह-तरह की तकलीफ़ें देकर उन पर अपनी धौंस जमा ली। जो लोग दैवी कोप का पात्र बनते, उनको अंग-भंग कर देते या उन्हें पिंजरों में बन्द करके लटका देते और तरह-तरह का दुख और कष्ट देकर मारा करते थे । इतिहासकारों के अनुसार दुनिया में संगठित सैनिक शक्ति और आतंकवाद के बलबूते पर हुकूमत क़ायम करने और अपने राज्य को बढ़ाने की राजनीति के अग्रिम ध्वजारोहक आशूरी ही थे । आशूरियों ने सातवीं सदी ईसा पूर्व में इस्रहदून (Esarhaddon) के शासन काल में मिस्र के पूर्वी भाग को भी तबाह व बर्बाद किया और शाहे मिस्र से लगान वसूल किया ।

इसी इस्रहदून ने 672 ईसा पूर्व में अपने एक बेटे ''आशूर बनी पाल'' (Ashur Bani Pal) को आशूरी साम्राज्य का उत्तराधिकारी नियुक्त किया, जबकि भविष्य में बाहरी ख़तरों से बचाने के लिए अपने दूसरे बेटे ''शम्स शेमऊकीन'' को बाबिल राज्य का उत्तराधिकारी नियुक्त किया दिसम्बर 669 ईसा पूर्व में इस्रहदून की मृत्यु के बाद आशूर बनी पाल आशूरिया के सिंहासन पर बड़े शानो-शौकत के साथ विराजमान हुआ । आशूर बनी पाल के हाथों में सत्ता आते ही मिस्र में बग़ावत का सामना करना पड़ा ।

मिस्री बादशाह ''तारकू'' (Tarku) या नेकूह प्रथम (बाइबल ने उस मिस्री बादशाह को ''तरहाका'' कहा है ।) आशूरियों के आगमन के बारे में सुनकर देश से भाग गया । आशूर बनी पाल ने वहां के मंत्रियों को अपने साथ मिला लिया और कई मिस्री शहज़ादों को अपना वायसराय नियुक्त करके वहां की शासन व्यवस्था उनके सुपुर्द कर दी । जल्दी ही उन शहज़ादों ने तारकू से साज़बाज़ शुरू कर दी, जिसका पर्दाफ़ाश हो गया । उनको गिरफ़्तार करके आशूरिया भेज दिया गया और 663 ईसा पूर्व में तारकू के एक उत्तराधिकारी ने आशूरियों के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसके परिणामस्वरूप आशूरियों ने मिस्र की राजधानी

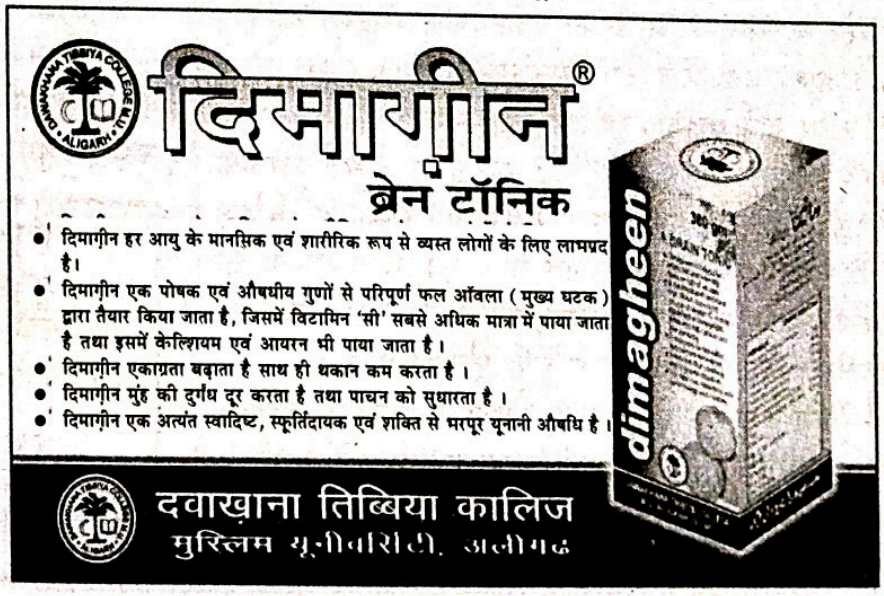

धेतिस को तबाह कर दिया ।

बाबिल में आशूर बनी पाल का दूसरा भाई शम्स शमऊकीन 15 वर्ष तक आशूरिया का वफ़ादार रहा, लेकिन 652 ईसा पूर्व में उसने भी विद्रोह कर दिया । उसकी सहायता 'सलतनत एलाम' कर रही थी, लेकिन वह खुद गृह युद्ध का शिकार थी । इसलिए आशूर बनी पाल ने 648 ईसा पूर्व में बाबिल पर अधिकार कर लिया । शम्स शमऊकीन ने आत्महत्या कर ली और बाबिल पर एक कठपुतली शासक को बैठा दिया गया ।

बाबिल से निबटकर आशूर बनी पाल ने 'सलतनत एलाम' को शम्स शमऊकीन (Shamash Shamukin) का साथ देने का मज़ा चखाया । कई आक्रमणों में उसने एलाम राज्य के कई शहरों को तबाह व बर्बाद कर डाला । आशूर बनी पाल के शासनकाल के अंतिम वर्षों में खुद आशूरी राज्य भी पतन के रास्ते पर चल पड़ा । उसका मुख्य कारण आर्थिक स्थिति की ख़राबी थी ।

पश्चिम में सिकाइथिया वालों ने और पूर्व में आर्य लोगों ने उसके मुख्य व्यापारिक रास्तों को बन्द कर दिया था, जिसके कारण आशूरिया की आर्थिक अर्थव्यवस्था तबाह व बर्बाद होती गयी । आशूर बनी पाल की मृत्यु के केवल 15 वर्ष बाद 612 ईसा पूर्व में नैनवा तबाह हो गया । आशूर बनी पाल एक धार्मिक प्रवृत्ति का शासक था । उसने बाबिल और नैनवा में बहुत-से उपासना गृहों का दोबारा निर्माण करवाया । उसके द्वारा चित्रित कराये गये चित्रों से पता चलता है कि वह एक धार्मिक इन्सान था । एक चित्र में उत्सव मनाते हुए अपनी रानी के साथ खाना खा रहा है । उसके कई छोटे भाई आशूर और अन्य शहरों में पुरोहित थे । इसलिए धर्म पर भी शासन के साथ-साथ उनका एकाधिकार स्थापित था ।

आशूर बनी पाल का शासनकाल रक्तपात, लड़ाई-झगड़े से भरपूर होने के बावजूद यह बात आश्चर्यचकित कर देने वाली है कि आशूर बनी पाल का सबसे अहम कारनामा लड़ाई-झगड़े और रक्तपात से संबंध नहीं रखता था, बल्कि साहित्य से उसका गहरा लगाव था । उस महान शासक का सबसे महान कारनामा विश्व की प्रथम सुसंगठित और सूचीबद्ध किताब रखने वाले एक पुस्तकालय की स्थापना थी । उस ज़माने में पुस्तकालय, आधुनिक काल की पुस्तकों पर आधारित नहीं होते थे, बल्कि उन पुस्तकालयों से मौजूदा किताबें मिट्टी के मज़बूत लिपि पट्टिकाओं पर अंकित करके सुरक्षित कर ली जाती थीं ।

आशूर बनी पाल के पुस्तकालय की क़रीब 720 लिपिपट्टिकाएं व लौह पट्टिकाएं आजकल ब्रिटिश अजायबघर में मौजूद हैं । आशूर बनी पाल ने बहुत-से लेखक केवल किताबों की प्रतिलिपियां तैयार करने में लगा रखे थे, जो मंदिरों और अन्य पुस्तकालयों से मिलने वाली किताबों की प्रतिलिपियां तैयार करते थे ।

उस ज़माने की किताबें कई विषयों को कवर करती थीं । उनमें साहित्यिक फ़ारमूले, मंत्र, दुआएं और युद्ध संबंधी कहानियां लिखी हुई थीं । बाबिल और नैनवा की महान साहित्यिक कृतियां भी मौजूद हैं, जिनमें ''गागामश की कहानी'' एक मादा अजगर ''टियामाट की कहानी'' और मर्दूक देवता की दास्तान भी शामिल है । शहर सियार के मेयर के नाम आशूर बनी पाल का पत्र भी सुरक्षित है, जिसमें उसे आदेश दिया है कि वह अन्य अफ़सरों के साथ मिलकर लोगों के घरों में या क़िलों में किब्ती लिपि पट्टियां तलाश करें । बहुत-सी लिपिपट्टियों पर ज्योतिष के नक़्शे भी बने हुए हैं ।''

612 ईसा पूर्व में जब नैनवा पर ''नेबोप्लासर'' ने आक्रमण किया, तो यह पुस्तकालय मलबे के ढेर के नीचे दब गया और क़रीब दो हज़ार वर्ष तक गुमनामी की हालत में पड़ा रहा । फिर बीसवीं सदी के आरंभ में एक अंग्रेज़ भू-गर्भशास्त्री ''आस्टिन लायार्ड'' (Austen Layard) ने इराक़ में मूसल के क़रीब एक पहाड़ी स्थान को यूनिजिक (Kunyunjik) पर खुदाई के दौरान उसे प्राप्त कर लिया । प्राप्त करने के कुछ वर्षों बाद पुस्तकालय से मिलने वाली बहुत-सी लिपिपट्टिकाओं का अनुवाद हो गया है । उस पुस्तकालय से मिलने वाली अक्सर तख़्तियों पर यह तहरीर मिली है कि ''यह आशूर बनी पाल की सम्पत्ति है, जो शाहों का शाह मेज़बानों का बादशाह और आशूरिया का शासक है ।'' बहरहाल आशूरियात में जो चीज़ खोज का आधार बनी वह यह पुस्तकालय है ।

मुद्रक एवं प्रकाशक मुहम्मद अहमद द्वारा दावत ट्रस्ट (रजि०), D-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नयी दिल्ली-110025 से प्रकाशित एवं भारत ऑफ़सेट प्रेस, 2035, क़ासिम जान स्ट्रीट, बल्लीमारान, दिल्ली-110006 से मुद्रित । फ़ोन : 011-26949430, 09818799223

संपादक : डॉ० मुहम्मद अहमद

संस्था की लिखित अनुमति के बिना सम्पूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित है ।

"कान्ति" मासिक का आगामी विशेषांक

पश्चिमी जगत और मुसलमान

नवम्बर 2018 का अंक पढ़िए

मुसलमानों ने पश्चिमी जगत को किस रूप में देखा, समझा और जाना ? इस विषय पर बहुत ही कम साहित्य उपलब्ध है ॥ जबकि पश्चिमी जगत के लोगों के मुसलमानों के साथ संपर्क पर बहुतायत चीज़ें उपलब्ध हैं ॥ ब्रिटिश मूल के अमेरिकी इतिहासकार एवं विचारक बर्नार्ड लुइस ((BERNARD LEWIS)) ने इस विषय पर विस्तृत अध्ययन किया है और "द मुस्लिम डिस्कवरी ऑफ़ यूरोप" ((The Muslim Discovery of Europe)) नामक पुस्तक लिखी है, जो काफ़ी प्रसिद्ध हुई ॥ इसकी उपादेयता और महत्व के मद्देनज़र 'कान्ति' ((मासिक)) के प्रस्तुत विशेषांक में इस पुस्तक के महत्वपूर्ण अंशों को हिन्दी भाषा में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है ॥ साथ ही पेश की गयी हैं इस विषय पर कुछ अन्य सामग्रियां ॥

पृष्ठ लगभग : 120, मूल्य : 60 रुपये

संपादक, 'कान्ति' (मा॰), दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल
इन्कलेव, जामिया नगर, नयी दिल्ली-110025
ई-मेल : editorkanti@yahoo.com

Posted on 20-21 September 2018
October 2018
E-mail: kantihindimonthly@yahoo.com
Publishing Date: 18.09.2018
Total pages 52 with Cover

कान्ति

RNI 53372/91
DL(S)-05/3147/2018-2020
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. U (SE)-73/2018-2020

Sajid Anwar
9372478173, 9422828136

SAJID CARPETS

We Sale All Kinds of JA - NAMAZ

SPECIALIST IN MASJID JA-NAMAZ

WHOLE SALER & RETAILER

We also Import & Export

Mohammad Ali Road, Mominpura, NAGPUR - 440 018. INDIA
E-mail : carpetjanamaz@gmail.com

